खण्ड-232, अंक-6
सोमवार, 15 श्रावण, शक संवत् 1884
(6 अगस्त, 1962 ई0)

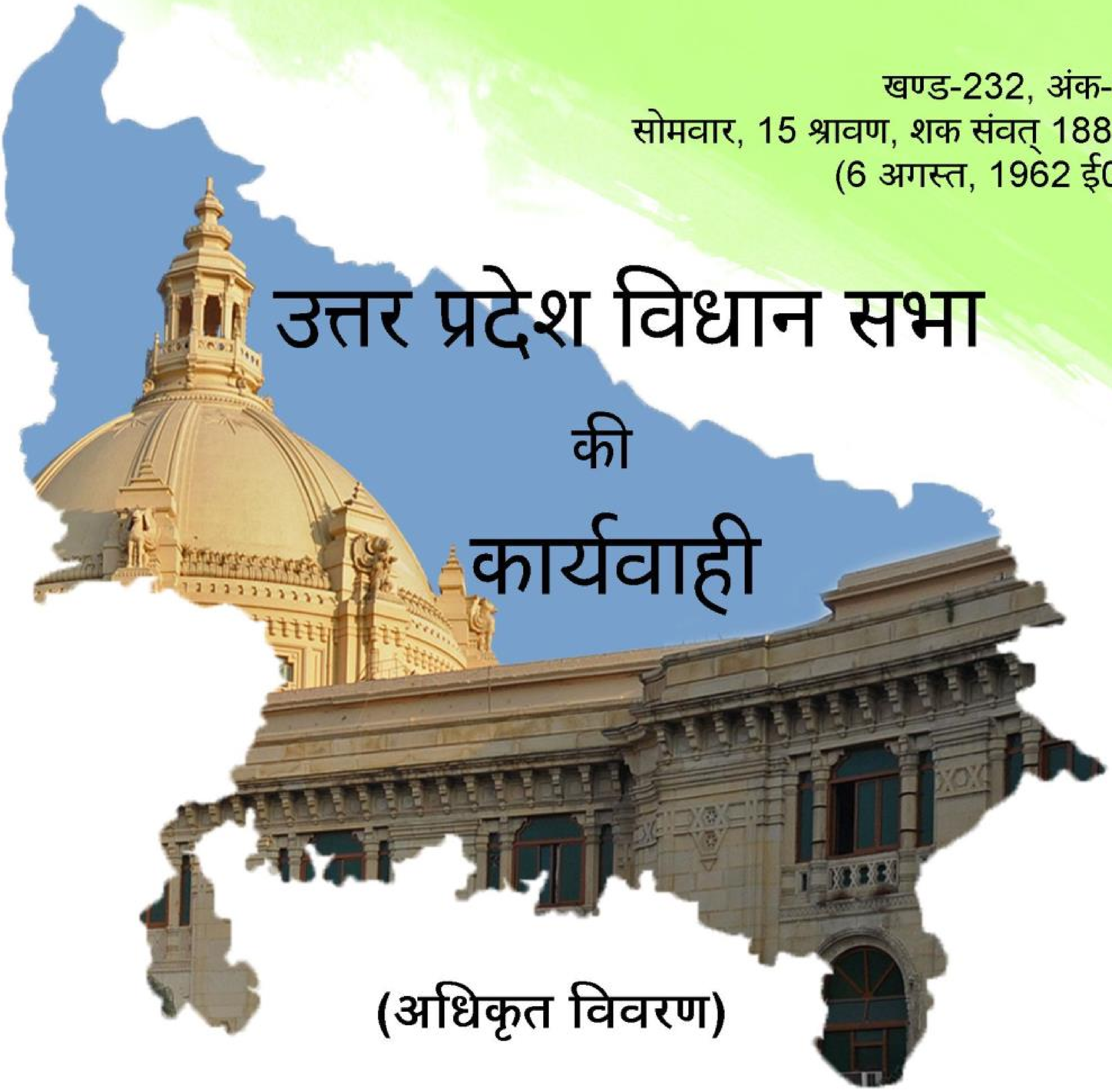

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ६ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—३७३

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छैबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिन्हा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर बैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे०पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बबवार, श्री (राजाजी)

पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्नसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेंदुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअवार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रसन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शौकत हमीद खां, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द शर्मा, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मन्त्री, श्री अलगूराय शास्त्री, नियोजन मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ६ अगस्त, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चीनी के दाम में बढ़ोत्तरी

*१—श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि मार्च, अप्रैल तथा १५ मई, सन् १९६२ तक प्रांत के बड़े नगरों में चीनी के दाम बढ़ गये हैं? यदि हां, तो कितना? तथा, बढ़ते दामों को रोकने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की?

रसद उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां, ३ रु० से ५ ० प्रति क्विंटल तक चीनी के भाव चढ़े हैं, किन्तु यह एक अति अस्थायी प्रवृत्ति है। गर्मियों में चीनी की मांग यूंही बढ़ जाती है, फिर इन्हीं महीनों में सर्वाधिक विवाहादि सम्पन्न होते हैं। अतः चीनी की मांग बढ़ जाने से थोड़ा भाव चढ़ गया है, किन्तु इस समय भी लगभग वही भाव हैं जो चीनी पर से नियंत्रण उठाने के समय सितम्बर, १९६१ में थे।

ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, इसी सदन में जब भी बार-बार गन्ने और चीनी का प्रश्न उठा तो यही कहा गया सरकार की तरफ से चीनी का स्टाक बहुत है। तो जब चीनी के भाव बढ़े तो उस सर्प्लस स्टाक को क्यों नहीं बाजार में भेजा गया ?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—चीनी का नियंत्रण केंद्रीय सरकार के हाथ में है। पिछले साल से हमने उसको छोड़ दिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय सरकार से यह सिफारिश की थी कि चीनी के भाव बाजार में चढ़ रहे हैं, इसलिये सर्प्लस स्टाक को रिलीज किया जाय यदि हां, तो वहां से क्या उत्तर आया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जिस वक्त चीनी पर डीकंट्रोल हुआ था उस वक्त चीनी के भावों में अन्तर नहीं था। इसलिये हमने लिखने की जरूरत नहीं समझी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार का ध्यान श्री टामस, भारत सरकार के खाद्य मंत्री, के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से हमारे पास कोई सिफारिश नहीं आई कि भाव बढ़ रहे हैं और उन्हें रोका जाय ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमने कोई पत्र नहीं लिखा क्योंकि हमारे यहां भाव वही थे, जब डीकंट्रोल हुआ। अब भी आपने पटेल साहब का स्टेटमेंट पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि चीनी के भाव बढ़ने की आशा नहीं है, घटने की है ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीनी के भाव धीरे धीरे बढ़े और आज उसका भाव दुगने से भी ज्यादा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने कहा कि प्रति क्विन्टल चीनी का भाव ज्यादा नहीं बढ़ा है। रिटेल में ११ पैसे या १२ पैसे के करीब, बढ़ा है और होलसेल में २.९० पैसे, हद से हद ५ रुपये प्रति क्विन्टल तक बढ़ा है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर में, जो चीनी का मशहूर बाजार है, चीनी का भाव ४४ या ४५ रुपये प्रति मन है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसे कानपुर का मालूम करें तो होल-सेल रेट जनवरी में सौ रुपया था और इस वक्त १०४ रुपया है, फर्क ४ रुपये का है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया कि जिस वक्त मार्च-अप्रैल में भाव चढ़े उस समय सर्प्लस चीनी उत्तर प्रदेश में सरकार ने लाने की कोशिश क्यों नहीं की तो उन्होंने कहा कि कोई खास भाव नहीं बढ़ा, इसलिये प्रयत्न नहीं किया, परन्तु उत्तर में उन्होंने स्वय कहा है कि ३ रुपये से लेकर ५ रुपये प्रति क्विंटल भाव बढ़ गया। जब भाव चढ़ गया तो इस समय रिलीज करने के लिये क्यों नहीं सिफारिश की गयी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शायद उन्होंने समझा नहीं। मैंने कहा कि गत वर्ष जब डीकंट्रोल किया गया था सितम्बर में तो यही भाव था, तो किस आधार पर मैं उनको लिखता कि जिस भाव पर डीकंट्रोल किया है उसपर कंट्रोल इम्पोज कराया जाय ? कहीं कहीं तो १०१ रुपये का भाव था तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं था लिखने के लिये।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कानपुर शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने जून के महीने में जब भाव बढ़ रहे थे एक मेमोरेंडम मुख्य मंत्री को दिया था जिसमें इस बात की सिफारिश की थी कि चीनी का कोटा समय स रिलीज नहीं हो रहा है जिसके कारण चीनी महंगी होती जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे स्मरण नहीं आता, शायद मुख्य मंत्री जी को याद हो तो वह बतायेंगे, मेरे पास तो कागज नहीं आया था।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मुख्य मंत्री जी इस पर प्रकाश डालगे? मैंने पहले भी सवाल किया था मई या जून में। उस समय कहा गया था कि चीनी का भाव नहीं बढ़ रहा है, आज कहा जा रहा है कि बढ़ रहा है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह सही है कि कानपुर के शुगर मर्चेंट्स न कोटा रिलीज करने के सिलसिले में मुख्य मंत्री के पास एक विशेष आवेदन-पत्र दिया था और उसके उपरान्त जब मुख्य मंत्री दिल्ली गये थे, उन्होंने रिलीजेज के विषय में विभाग के मंत्री और सचिव से बातें की थीं और उनकी तरफ से यह आश्वासन मिला था कि समय समय पर कोटा रिलीज करके केंद्रीय सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि जो शुगर की प्राइसेज हैं उन्हें बराबर रेगुलेट कर सके और उस रेगुलेशन के द्वारा कीमतें न बढ़ें। केन्द्रीय सरकार ने उस नीति को अपनाया। यदि किसी समय किसी कारण से रिलीजेज समय से न हो सकीं तो कभी कीमतें बढ़ जाने की आशंका रहती है और बढ़ भी जाती है, परन्तु जबतक कोई और नियंत्रण की व्यवस्था न हो, रिलीजेज के द्वारा ही प्राइसेज को कंट्रोल करने की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने अपना रखी है और केन्द्रीय सरकार उस व्यवस्था के ऊपर चलने की बराबर चेष्टा करती रही है। प्रदेशीय सरकार को फिर उस बात चीत के बाद इस विषय को फिर से उठाने का प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों द्वारा सर्कम्सटांशियल प्रापर्टी टैक्स लगाना

*२—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बावजूद हाई कोर्ट के फैसले Raghubir Singh and others (Appellants) *vs.* Town Area Committee and others, 21st July, 1961 (A. L. J. 6th October, 1961, p. 743) Town Area Committees and Municipalities C. P. Tax लगा रही है और वसूल कर रही हैं? यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—प्रश्न में वर्णित हाई कोर्ट के फैसले के अलावा उसी विषय पर उस हाईकोर्ट का एक और फैसला बाद में हुआ है जो पहले वाले फैसले से भिन्न है। शासन दोनों फैसलों को दृष्टि में रखते हुये इस बात पर विचार कर रहा है कि इस संबंध में क्या नीति अपनाना ठीक होगा।

श्री यशपाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सवाल में बयान किये गये फैसले के अलावा हाई कोर्ट का फैसला किस तारीख में और क्या हुआ है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—२१ जुलाई, १९६१ को पहला फैसला हुआ था, दूसरे फैसले की तारीख इस समय नहीं दिखाई दे रही है। उसके कुछ दिन बाद दूसरा फैसला हुआ होगा। उसकी बाबत आपकी आज्ञा से थोड़ा सा निवेदन कर दूं। पहले फैसले में तो यह कहा गया है कि जो टैक्सेज, जिन टाउन एरियाज में पहले नहीं लगे हुये थे, विधान पास होने के बाद फिर लगाये वह सब गैरकानूनी है और दूसरे फैसले में कहा गया है कि वास्तव में ये गैर-कानूनी नहीं है, बल्कि एक तरह से उन्होंने इसमें यह कहा कि इसका अधिकार उनको है। हमारे यहां इस समय इस बात पर विचार हो रहा है कि हमारे रूल्स कुछ डेफेक्टिव हैं जिनके कारण यह आभास निकलता है कि ये टैक्सेज वास्तव में संकटकालीन सर्कम्सटांसेज पर न होकर इनकम पर है। हम अपने यहां रूल बदलने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहां के जो विधि विशारद हैं वह कहते हैं कि पहला डिसीजन रद्द हो जाता है, लेकिन हम इस मामले में एडवोकेट जनरल की राय लेना चाहते हैं और अगर उनकी राय पक्ष में हुई तो रूल नहीं बदले जायेंगे वरना बदल दिये जायेंगे।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---हाईकोर्ट के दो फैसले और एक फैसले में निश्चित रूप से कहा गया है कि संविधान आने के बाद टाउन एरिया को सर्कम्सटांशियल प्रापर्टी टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। तो क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जबतक रूल्स नहीं बदलते हैं तबतक नये टैक्स न लगाये जायं ताकि भविष्य में पेचीदगियां न पैदा हों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---सर्कम्सटांशियल टैक्स लगा सकते हैं, यह कहा गया है कि इनकम पर नहीं लगा सकते।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

वाराणसी नगरपालिका की पुरानी चौकियों द्वारा नई निर्धारित सीमा में चुंगी की वसूली

*१---श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि नगरमहापालिका ने जितना सीमा विस्तार किया है उसके नागरिकों से सभी प्रकार का नगरपालिका टैक्स वसूल कर रही है ? यदि हाँ, तो उनसे अपना सामान पुरानी सीमा के अन्दर लाने पर चुंगी क्यों वसूल करती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी हाँ। चूंकि वर्तमान नियमों के अन्तर्गत चुंगी सीमा व नगरमहापालिका सीमा का समान न होना असम्भव नहीं है अतः इस बात की भी सम्भावना स्वतः स्पष्ट है कि कहीं-कहीं उन नागरिकों से भी जो नगर महापालिका सीमा के अन्दर तो हैं परन्तु चुंगी सीमा के बाहर रहते हैं चुंगी वसूल की जाती हो।

*२---श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)---क्या वाराणसी नगरपालिका पुरानी चुंगी चौकियों को नई निर्धारित सीमा पर लगाने की व्यवस्था कर रही है या नहीं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---शासन के पास नगर महापालिका वाराणसी का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

जिला मिर्जापुर के वन विकास क्षेत्रों की हदबन्दी

*३---श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)---क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मिर्जापुर के वन क्षेत्रों, विशेषकर विकास क्षेत्र हलिया, लालगंज, मड़िहान के क्षेत्रों में जो वन सीमा की हदबन्दी के पत्थर वन विभाग द्वारा गाड़े जा रहे हैं या गाड़े गये हैं उस हदबन्दी में किसानों के निजी खेत एवं मकान तक आ गये हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त आँकड़ों पर आधारित वन सीमा की इस हदबन्दी के कार्यान्वियन को तुरन्त स्थगित करने का कोई आदेश प्रसारित किया है ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)---जी हाँ। प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों की हदबन्दी में किसानों के निजी खेत एवं मकान आ गए हैं। शासन इस हदबन्दी के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आदेश नहीं प्रसारित कर सकती। यह कार्य इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट के अनुसार वन बन्दोबस्त अधिकारी का है। वन बन्दोबस्त अधिकारी के आदेशानुसार हदबन्दी का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया है।

*४---श्री बेचनराम---क्या सरकार ने अपनी ओर से सम्पूर्ण वन सीमा को नये सिरे से छानबीन करके शुद्धिकरण के लिये कोई सक्रिय कदम उठाया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अशुद्ध वन सीमा की हदबन्दी से त्रस्त कृषकों की स्थिति के प्रति कोई औचित्य प्रस्तुत कर सकती है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--जी नहीं। यह कार्य वन बन्दोबस्त अधिकारी का है और उन्होंने विज्ञप्ति में अशुद्धियों के कारण वन सीमा की हदबन्दी का कार्य स्थगित करवा दिया है।

*५--श्री बेचनराम--क्या सरकार को यह सुझाव मान्य होगा कि वन-विभाग द्वारा परमिट देने के लिये गाँव समाज का चेयरमैन अथवा भूमि-व्यवस्था समिति अपनी अनुशंसा यदि करे तो उक्त कृषक को परमिट मिल जाय अथवा परमिट के लिये ग्राम सभा, क्षेत्रीय समिति अथवा जिला परिषद् के स्थानीय सदस्य की अनुशंसा वन अधिकारियों को मान्य हो ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--जी नहीं, वन सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा सम्भव नहीं है।

श्री बेचनराम--क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जिस नोटीफिकेशन के आधार पर यह हदबन्दी हुई है उस नोटीफिकेशन को निरस्त करने का शासन ने कोई कदम उठाया है ?

श्री हरिदत्त काण्डपाल--निरस्त करने का सवाल उठता नहीं है। जिस धारा के मातहत सेटिलमेन्ट हो रहा है उसमें सेटिलमेन्ट आफिसर नियुक्त किया जाता है जिसको जुडीशियल पावर्स होती हैं, फिर स्टेट गवर्नमेन्ट को पावर नहीं रह जाती है क्योंकि सेटिलमेन्ट आफिसर नियुक्त करने के बाद फारेस्ट डिपार्टमेन्ट खुद एक पार्टी हो जाता है।

श्री बेचनराम--अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के आँकड़ों पर ही हदबन्दी होती है, तब अगर बुनियादी नोटीफिकेशन ही गलत हो जिसमें किसानों के खेत और मकान हैं तब उसको बिना कैंसिल किये कैसे हदबन्दी होगी, इस पर मन्त्री जी प्रकाश डालें ?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)--सदस्य महोदय ने स्वीकार किया कि जो सूचना राजस्व विभाग से मिलती है उसी के आधार पर नोटीफिकेशन होता है।

जब हम बन्दोबस्त अधिकारी मुक़र्रर करते हैं तो लोग उसके सामने अपनी बातें रखते हैं। तो जब बन्दोबस्त अधिकारी ने देखा और उसके सामने आपत्तियाँ आईं तो उसने कार्यान्वयन का समय स्थगित कर दिया। सरकार की ओर से नोटीफिकेशन को रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता है।

युवक कल्याण कार्यक्रम

*६--श्री चन्द्रजीत--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आय-व्यय वर्ष १९६२-६३ में Youth Programme विभाग ने राज्य के नवयुवकों के लिये कोई योजना तैयार की है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसकी रूप-रेखा से सदन को अवगत कराने की कृपा करेगी ?

कारागार राज्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)--युवक कल्याण का कार्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। इन विभागों के अन्तर्गत इस दिशा में किये जाने वाले कार्यों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

श्री चन्द्रजीत--इस बात को ध्यान में रखते हुए युवक कल्याण कार्य के लिये सरकार ने मंत्रालय की स्थापना की है और यह कार्य इस समय विभिन्न कार्यालयों में बिखरा हुआ है तो सरकार यूथ के लिये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनावेगी ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)--ऐसा सुझाव विचाराधीन है।

श्री चन्द्रजीत--क्या सरकार ने राष्ट्र के समाजवाद की शिक्षा या राष्ट्रीय एकता के लिये यूथ को सेमीनार के द्वारा या स्टडी सर्किल के द्वारा सिखाने का कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री गोविन्दसहाय---यूथ के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का विषय विचाराधीन है।

श्री झारखंडेराय---यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का प्रोग्राम भी यूथ के लिये है, तो इसके अलावा और क्या प्रोग्राम बनाया जायगा ?

श्री गोविन्दसहाय---जहाँ तक अब तक के प्रोग्राम का दायरा है वह बहुत सीमित है। क्या प्रोग्राम बनाया जाय, अगर हम तमाम प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट कर पायें तब यह प्रश्न उठता है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या मंत्री जी इस प्रश्न के महत्व और व्यापकता को देखते हुये विचार करेंगे कि एक कमेटी का निर्माण किया जाय जो इस पूरे प्रश्न के ब्यौरे में जा कर सरकार को सुझाव दे ?

श्री गोविन्दसहाय---अभी सरकार इसकी आवश्यकता नहीं समझती।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मन्त्री जी इस प्रोग्राम की कुछ खास-खास बातें बतावेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---युवक कल्याण का कार्य शिक्षा, समाज कल्याण और नियोजन विभागों द्वारा होता है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्यालयों में शारीरिक संवर्धन, शिक्षा की प्रोन्नति तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की एक योजना बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित हैं :---

१---राज्य युवक रेली। २---अखिल भारतीय विद्यालयों और राज्य के टूर्नामेन्टों में भाग लेना तथा भाग लेने वाले नये खिलाड़ियों के प्रशिक्षण। ३---असम्भागीय टूर्नामेंट आयोजित करना। ४---बालकों और बालिकाओं के लिये संभागीय युवक रैलियाँ। ५---खेल-कूद की सज्जा आदि के लिये व्यवस्था। इस योजना के लिये १९६२-६३ में २,५१,००० रुपये का प्राविधान किया गया है।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)---युवक प्रोग्राम को देहाती क्षेत्र तक पहुंचाने के लिये क्या योजना है ?

श्री गोविन्दसहाय---युवक मंगल दल वहाँ हैं जिनसे गाँवों में रहने वाले युवकों को राष्ट्र की प्रगति से अवगत कराया जाता है।

श्री चन्द्रजीत---जैसा उत्तर में कहा गया है, ग्राम समाजों में जो कार्य संगठित किया जाने वाला है ये कब तक पूरे किये जायेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय---प्रत्येक विकास क्षेत्र में युवक मंगल दल स्थापित होते हैं। उनका ध्येय है कि ग्रामों के बच्चों में प्रारम्भ से ही हाथ से काम करना, खेती में दिलचस्पी लेना, गांव के अन्दर निर्माण की बातों को जानना आदि के सम्बन्ध में दिलचस्पी पैदा की जाय। जहां तक सरकारी आंकड़ों का ताल्लुक है, लगभग ७२,००० ऐसे केन्द्र हैं, लेकिन फिर भी, मैं समझता हूं, इस दिशा में और बहुत कुछ किया जा सकता है और सरकार को इसमें ज्यादा दिलचस्पी लेने की जरूरत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मन्त्री जी ने इस बात का सर्वेक्षण कराया है कि प्रदेश में कितने युवकों के लिये कल्याण की योजना बनानी है और बनाई गई है ?

श्री अध्यक्ष---यह बड़ा मुश्किल है।

श्री गोविन्दसहाय---अभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई और यह काम इतना आसान भी नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---जो प्रश्न विचाराधीन है इसका अन्तिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री गोविन्दसहाय---शीघ्र ही हो जायगा।

चित्रकूट उद्धार योजना

*७---**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३ वर्षों के अन्दर चित्रकूट उद्धार निमित्त कितना रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और उसमें से कितना खर्च हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---पिछले तीन वर्षों में चित्रकूट का उद्धार करने के लिये कोई रुपया स्वीकृत नहीं हुआ पर वर्ष १९५८ में ५०,००० रु० का अनुदान इस सम्बन्ध में स्वीकृत किया गया था जो कुल खर्च हो गया।

*८---**श्री मतोलासिंह**---क्या यह सही है कि उक्त धन चित्रकूट उद्धार पर न व्यय कर किसी अन्य मद पर खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसमें से रु० ४,५१०.६४ न० पै० की राशि ऐसी मदों पर व्यय कर दी गई है जिनके लिये यह स्वीकृत न थी।

नगरपालिका चित्रकूट धाम ने शासन की स्वीकृति लिये बिना ही यह राशि अन्य मदों पर खर्च की है।

*९---**श्री मतोलासिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह चित्रकूट उद्धार की योजना को कब कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यह कार्य वर्ष १९५८ से ही प्रारम्भ कर दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक Joint Advisory Committee नियुक्त कर दी गई है।

श्री मतोलासिंह---यह ४५,००० रुपया कहां खर्च किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---नगरपालिका ने निम्न विषयों पर इसे खर्च किया :---

	रु० न०पै०
यात्री गृह का निर्माण	२६,९६२.८५
सड़कें	४,४०१.८६
प्रचार	४,२७५.५४
प्रकाश	१०,७२३.५३
निवासगृह का निर्माण	४,६७९.००
राजवेश विद्यालय को दी गई ऊषा मशीन	२३५.००
योग ..	५१,२७७.७८

श्री मतोलासिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो विश्रामगृह बनाया गया है वह केवल आफिसरों को ठहरने के लिये ही बनाया गया है और जिस सड़क का जिक्र किया गया है चित्रकूट में नहीं बनायी गई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह सूचना मेरे पास इस समय नहीं है कि विश्रामगृह किन लोगों के लिये बनवाया गया है और सड़क किस जगह बनायी गयी है।

श्री अध्यक्ष---आप सवाल को और साफ कर दीजिये।

श्री मतोलासिंह---यह चार हजार रुपया जो बिना मंजूरी बेजा खर्च कर दिया वह कहां खर्च किया गया है ? सड़क चित्रकूट में नहीं बनी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---यदि माननीय सदस्य को यह सूचना है कि सड़क और कहीं बनाई गयी है तो वे मुझे लिख कर दें, मैं जांच करा लूंगा। दूसरे वह चार हजार रुपया प्रचार पर खर्च किया गया है जिसको जिला मैजिस्ट्रेट ने भी स्वीकार नहीं किया था और न उसको सरकार ने ही स्वीकार किया था।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो विश्रामगृह बनाया गया है वह केवल डाक बंगले के रूप में आफिसरों के ठहरने के लिये ही बनाया गया है अथवा वह यात्रियों के ठहरने के लिये बनाया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण---जिस समय यह विश्रामगृह बनाया गया था, उस समय सरकार के पास उसके बारे में क्या लिखकर आया था कि वह यात्रियों के लिये बनाया जा रहा है अथवा आफिसरों के लिये ?

श्री अध्यक्ष---वे कहते हैं कि इसके बारे में कोई सूचना उनके पास नहीं है।

श्री काशीनाथ---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि चित्रकूट के उद्धार के नाम पर वहां यात्रियों के ठहरने के लिये किसी विश्रामगृह अथवा धर्मशाला की तरह की कोई चीज बनाने की व्यवस्था है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---व्यवस्था तो पहले से भी है, लेकिन व्यवस्था में कमी समझ कर ही यह रुपया स्वीकार किया गया था, लेकिन उसका क्या हुआ इसकी सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या चित्रकूट का उद्धार पूरा हो गया ? यदि नहीं तो फिर ५८ के बाद अब तक और रुपया क्यों स्वीकार नहीं किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---५० हजार रुपया तो इसीलिये मंजूर किया गया था।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि चित्रकूट के उद्धार का क्या मतलब है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया।)

श्री उग्रसेन---क्योंकि यह प्रश्न बड़ा अहम है तो क्या मंत्री जी इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके उत्तर देने के लिये इस प्रश्न को स्थगित करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---उनके पास पर्याप्त सूचना है।

कुंवर श्रीपालसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह चार हजार रुपया जो प्रचार पर खर्च किया गया वह किस चीज के प्रचार पर खर्च किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---चित्रकूट की महिमा को लोगों को बताया गया जिससे लोग वहां आयें और उससे फायदा उठायें।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या चित्रकूट को टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप करने का उनका विचार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वहां बिना प्रचार के ही बहुत लोग आते हैं उनके लिये समुचित प्रबन्ध हो, यही प्रश्न इस समय है। अगर उसके साथ साथ मामूली सुधार और किये जा सकें तो टूरिस्ट सेन्टर भी खुल सकता है और वह वांछनीय होगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त—यह देखते हुये कि मतोलासिंह ने जो रिपोर्ट दी कि सड़कें उचित नहीं बनी हैं और जो डाक बंगला बना है वह केवल मात्र आफिसरों के ठहरने के लिये है, अन्यान्य यात्रियों के ठहरने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की पुनः जांच करायेंगे कि चित्रकूट उद्धार के नाम पर जो रुपया सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया उसका उचित उपयोग हुआ या नहीं और उस जांच की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मेरी जानकारी तो यह है कि ४ हजार रुपया जो प्रचार के नाम पर खर्च हुआ वह गलत है और जिलाधीश ने भी उसे गलत करार दिया है। उसके बाद बाकी जो रुपया खर्च किया गया उसके बारे में किसी माननीय सदस्य को कोई खास शिकायत हो तो लिखित रूप में देने पर उसकी जांच जरूर कराऊंगा।

श्री काशीनाथ—चित्रकूट की महिमा को देखते हुये और यह देखते हुए कि उसका गौरव और बढ़ेगा, क्या सरकार सोच रही है कि चित्रकूट में एक रामायण विश्वविद्यालय खोला जाय और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का सारी दुनिया में प्रचार किया जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह आप अलग से पूछियेगा।

टाउन एरियाओं की श्रेणियां तथा सालाना आमदनी

*१०—**श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन टाउन एरिया जिलेवार किन-किन श्रेणी में हैं और उनकी सालाना आमदनी क्या है ?

*११—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० के किस-किस टाउन एरिया की आमदनी ५,००० रु० सालाना से अधिक होते हुये भी जिले के हेडक्वार्टर पर उसका हिसाब-किताब कलेक्टरेट के क्लर्क द्वारा चलाया जाता है ?

*१२—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि किस-किस यू० पी० के टाउन एरिया में उसकी आमदनी के लिहाज से उसके कर्मचारियों का वेतन उनके ग्रेड के मुताबिक दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न १०, ११, और १२ के उत्तर देने के लिये सामग्री एकत्रित करने में जितना समय और धन व्यय होगा वह जन साधारण की उपयोगिता की दृष्टि से उचित नहीं होगा।

सहारनपुर नगर के मास्टरप्लान की सलाहकारिणी समिति

*१३—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर नगर के लिये जो मास्टर प्लान (Master Plan) बनाया जा रहा है उसमें सलाह देने के लिये जो कमेटी बनी है उसमें कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—(१) श्री सुपरस दास,
(२) सरदार अमीरख सिंह प्रेमी, तथा
(३) श्री सदरुद्दीन।

*१४—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस कमेटी में तीनों सदस्य नगरपालिका के ही सदस्य हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। चूंकि मास्टर प्लान तथा मकान आदि बनाने न बनाने के प्रश्नों से नगरपालिकाओं का सम्बन्ध बहुत घनिष्ट है, अतः ऐसा करना वांछनीय समझा गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अभी तीन नाम बतलाये गये हैं, इनमें से बोर्ड की तरफ से किस व्यक्ति को चुन कर भेजा गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सुपरस दास को बोर्ड की तरफ से चुन कर भेजा गया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—माननीय मंत्री जी ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी को अपनी तरफ से सिर्फ एक आदमी को चुनना था इस मास्टर प्लान सब कमेटी के लिये और उसने श्री सुपरस दास को वहां चुन कर भेजा। लेकिन दो आदमी सरदार अमीरख सिंह प्रेमी और श्री सरीउद्दीन को प्रान्तीय सरकार की सिफारिश से जो वहां भेजा गया, यह कैसे हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चूंकि सरकार को करना था इसलिये सरकार ने ऐसा किया और उनको वहां चुन कर भेजा।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जिन दो व्यक्तियों को उस कमेटी में सरकार द्वारा रखा गया है, क्या उनको मास्टर प्लान बनाने की कोई टेक्निकल जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—इसमें एक उत्तर में बतलाया गया है कि चूंकि मास्टर प्लान तथा मकानों के बनाने के प्रश्न पर नगरपालिका और उनका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है, इसलिये ऐसा करना वांछनीय समझा गया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मास्टर प्लान के लिये हमें हर जगह और हर शहर में टेक्निकल आदमी मिलते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के कामों से जो परिचित होते हैं और इस तरह के काम कराते हैं, वे जानकारी प्राप्त करते-करते एक्सपर्ट हो जाते हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि ये जो तीन सदस्य नगरपालिका सब-कमेटी में लिये गये हैं इनमें से किसी को भी कोई टेक्निकल या दूसरी जानकारी प्राप्त नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बताया उन्होंने कि हम लोगों ने इस पर विचार नहीं किया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—जब टेक्निकल आदमी नगरपालिका में और उसके बाहर शहर में भी रहते हैं जिनको पूरी टेक्निकल जानकारी है, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उस समय सूचना मिलती एप्वाइंटमेंट से पहले तो विचार हो सकता था।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय यह प्रश्न सरकार के समक्ष विचारणीय रहा कि सरकार दो सदस्यों को नामजद करे, उस समय कौन से प्वाइंट सरकार के दिमाग में थे कि जिन को लेकर वह २ सदस्य नियुक्त किये गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सब से ज्यादा उपयुक्त कौन रहेगा यही देखकर नियुक्ति की गई।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—क्या मंत्री जी को मालूम है कि मास्टर प्लान में किसी शहर का भावी प्लान और ले-आउट तय होता है, तो हमारे शहर में जब श्री सुमेर चन्द, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर तथा बाबू माधो राम, रेलवे इंजीनियर जैसे लोग मौजूद थे तो ऐसे लोगों को उसके लिये नामजद क्यों नहीं किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उस समय मैं नहीं था, जाती तौर पर तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन शायद यह नाम उस समय उन की जानकारी में न आये होंगे, अगर आते तो विचार हो सकता था ।

अध्यक्ष, नगरपालिका, सहारनपुर के विरुद्ध शिकायत

*१५---**श्री ब्रह्मदत्त मायर**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगरपालिका के अध्यक्ष ने १५ जनवरी, १९६२ से २७ फरवरी, १९६२ तक कितनी रकम का काम बिना बोर्ड की स्वीकृति के कराया और उनमें कितना अमानी पर कराया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---अध्यक्ष, नगरपालिका, सहारनपुर ने किसी रकम का काम १५ जनवरी, १९६२ से २७ फरवरी, १९६२ तक, बिना बोर्ड की स्वीकृति के नहीं कराया और न कोई कार्य अमानी पर कराया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि यह १५ जनवरी से २७ फरवरी तक का समय आम चुनावों का था और नगरपालिका प्रधान ने भी अपना एक केन्डीडेट आम चुनाव में खड़ा किया था और उस को जिताने के लिये नगरपालिका प्रधान ने रातों रात मालागढ़ और विजयनगर में बिजली लगवाई, गन्ना मिल क्षेत्र में सड़कें बनवाईं और बेरी बाग में रातों रात टट्टियां बनवाईं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---हमें इस बात की तो सूचना नहीं है, लेकिन शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सहारनपुर के म्युनिसिपल बोर्ड ने अध्यक्ष को कुछ खास बाईलाज बनाकर अधिकार दे दिया । जो यह मेरे पास है आप कहें तो मैं सुना दूं, उन अधिकारों के बमूजिब अध्यक्ष ने काम किया और जो कुछ भी किया वह यही समझा जायगा कि उसके लिये सहारनपुर म्युनिसिपैल बोर्ड की स्वीकृति थी ।

श्री ई० जी० खान, सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर, मिर्जापुर की जमानत का बकाया

*१६---**श्री रघुवीरसहाय कैथवार** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ऐसे राशनिंग विभाग के कर्मचारियों की संख्या बताने की कृपा करेगी कि जिन्होंने सन् ५४ के छटनी के बाद अब तक जमानत वगैरह का रुपया नहीं पाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, अभी ऐसे १५४ कर्मचारी हैं ।

*१७---**श्री रघुवीरसहाय कैथवार** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब राष्ट्रपति जी ने श्री ई०जी० खान, भूतपूर्व सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर, गोरखपुर रीजन मिर्जापुर की बकाया की दरख्वास्त जून सन् १९६० में सरकार को भेजी तो खान उस पर श्री ई० जी० का उक्त पेमेन्ट क्यों नहीं हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---श्री खान को उनके बकाया का आंशिक रूप से भुगतान किया जा चुका है । शेष धनराशि को श्री खान के समय में सरकार को पहुंची हुई परिवाहन हानि (Transit Loss) की मद में समायोजित (Adjust) करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

*१८---**श्री रघुवीरसहाय कैथवार** (अनुपस्थित)---सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है, जिन्होंने राष्ट्रपति जी के आदेश का जो उन्होंने जून और सितम्बर सन् १९६० में श्री ई० जी० खान सीनियर मार्केटिंग इन्सपेक्टर, गोरखपुर रीजन मिर्जापुर के बकाया के दरख्वास्त पर दिया था, उल्लंघन किया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---केवल जून, १९६० की दरख्वास्त आई थी और उस पर भी राष्ट्रपति का कोई आदेश नहीं था । अतएव यह प्रश्न नहीं उठता ।

रुदौली नोटीफाइड एरिया का आय-व्यय

*१९—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रुदौली (बाराबंकी) नोटीफाइड एरिया को अप्रैल सन १९५७ से मार्च सन् १९६२ तक कितना धन अनुदान में और कितना धन कर्ज के रूप में दिया गया और मार्च सन् १९६२ तक कुल कितना कर्ज बाकी है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—रुदौली नोटीफाइड एरिया को अप्रैल सन ५७ से मार्च सन् ६२ तक २०,००० रुपये अनुदान के रूप में दिये गये। कोई कर्जा नहीं दिया गया।

*२०—श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नोटीफाइड एरिया, रुदौली के भंगियों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन एक वर्ष से अधिक का बाकी पड़ा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

*२१—श्री मुकुटबिहारीलाल (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया रुदौली की सालाना आमदनी क्या है और टैक्स की दर क्या है तथा उसका आधार क्या है ?

श्री विचित्रनारायणशर्मा—नोटीफाइड एरिया, रुदौली को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में २९,०९६ रु० की आमदनी हुई। टैक्स की दर १.५० रु० व २.५० रु० प्रतिशत सालाना है और उसका आधार हैसियत व जायदाद टैक्स है।

नैनी सेन्ट्रल जेल में कैदी की मृत्यु

*२२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री नरसिंहनारायण—क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २३ अप्रैल सन् १९६२ को नैनी सेंट्रल जेल में चाकू चलने के कारण एक कैदी की मृत्यु हो गई है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—जी हां।

*२३—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री नरसिंहनारायण—क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चाकू कैदी ने कहां से प्राप्त किया और क्या उसकी तलाशी नहीं ली जाती रही थी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—तलाशी तो नियमानुसार नित्य ली जाती थी। कट्टन कैदी को किस प्रकार प्राप्त हुआ इस विषय में कुछ ठीक पता नहीं चल सका है। अनुमान यह किया जाता है कि उसने उस लोहे की पत्ती को जिससे कट्टन तैयार किया, सर्किल में कहीं से वस्तुओं के कटे-पिटे टुकड़ों में से प्राप्त किया था और तेज करके उसे पानी पीने के घड़े में छिपाकर रख छोड़ा था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस जानकारी का आधार क्या है, यह वार्डर का बयान है या किसी अन्य ने कोई बयान दिया है ?

श्री अध्यक्ष—जरा प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो यह बताया गया कि लोहे की पत्ती तेज करके रखी थी इस सूचना का आधार क्या है ?

श्री गोविन्दसहाय—अधिकांश रूप में तो यह अनुमान ही है। सारे वाकयात को देख कर जो अंदाज लगाया गया वह बताया गया।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—मंत्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में जांच की गई ? यदि हां, तो उस जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोविन्दसहाय—जो वैज्ञानिक तरीके से जांच कीप्रणाली है उसके द्वारा इस बात की जांच की गई और उसके आधार पर ही यह अनुमान निकाला गया। यह तो मुश्किल है कि किसी एक आदमी को हम जिम्मेदार ठहरायें, मगर ऐसा मालूम होता है कि कैदी ने इस तरह से एक कट्टन को तैयार किया ।

श्री नरसिंहनारायण—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कैदियों को जब जेलखाने में भेजा जाता है तो बाहर फाटक पर एक संतरी रहता है जो उनकी तलाशी लेता है कि उसके पास कोई सामान तो नहीं है। और फिर जब अन्दर जाते हैं तो वार्डर इंजार्ज इन चीजों की देखभाल करता है कि कोई ऐसा सामान न हो जिससे किसी को नुक्सान हो सके या ऐसा सामान हो जिससे कोई और भी दूसरा कदम वह उठा सके। अतः इस बात को देखते हुये मंत्री जी बतायेंगे कि कैसे उसको पत्तर मिल गया और कहां से पा गया ? इन तमाम चीजों की छानबीन की गई थी कि नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—तलाशी जिस प्रकार नियमानुसार ली जाती है उसी प्रकार से ली गई। अनुमान यह है वह कैदी जब अपनी ड्यूटी से हटा तो जो लोहे की कट्टन थी उसको अपनी बैरक के बाहर के कच्चे हिस्से में, जहां बन्द होता है, जमीन में गाड़ दिया और अन्दर जाने के बाद उसे निकाल कर पानी पीने के घड़े में डाल दिया ।

श्री गेंदासिंह—क्या मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि वार्डर या अन्य लोग जो तलाशी लेने वाले फाटक पर होते हैं उनसे ज्यादा होशियार वे लोग होते हैं जो जेलखाने में जाते हैं और बावजूद इसके कि तलाशी ली जाती है फिर भी ये सामान आम तौर से जेलखाने में जाया करते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जिला झांसी के सरकारी जंगलों में खेती के लिये सुविधाएं

*२४—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी में सरकारी जंगलों से किसानों को खेती के लिये हल, बखर, रहट आदि तथा मकान बनाने और जलाऊ लकड़ी और खेतों की बारी करने (खेतों को घेरने) के लिये जार (काटा) आदि लेने की क्या-क्या सुविधायें हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—सूचना संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ ६७४ पर)

*२५—**श्री सुदामाप्रसादगोस्वामी**—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी समाप्त होने के बाद सन् १९५२ से १९६० तक परती जमीन के जो जंगल व जमीनें गांव समाज से वन विभाग ने लिये हैं उनसे किसानों को वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो उन्हें पहिले प्राप्त थीं ? यदि हां, तो वह मुख्य-मुख्य सुविधायें क्या हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—विभाग ने गांव समाज से कोई जंगल नहीं लिया है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—(प्र० सं० २४ से संबंधित) क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो निःशुल्क छूट किसानों को देने की सुविधायें हैं वे किसके प्रमाण-पत्र पर दी जायेंगी और निःशुल्क इकट्ठा करने के क्या माने हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—स्थानीय जो वन-अधिकारी होते हैं उनकी आज्ञा से छूटें दी जायंगी । निःशुल्क के माने होते हैं बिना कीमत ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—उत्तर में लिखा है निःशुल्क दी जायगी और कुछ में लिखा है निःशुल्क इकट्ठा करने की सुविधा, तो इकट्ठा के अर्थ क्या हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जो सुविधायें वन के पास रहने वालों को दी जाती हैं उसमें घास-फूस और खेत में बाढ़ लगाने की चीजें सब मुफ्त मिलती हैं। और इकट्ठा करने का मतलब यह है कि वह अपने सिर के बोझ के लिये जितनी सूखी लकड़ी, घास वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं। यह अधिकार उनको प्राप्त है, किसी खास से पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—जमींदारी उन्मूलन के बाद जो वन सरकार को प्राप्त हुये हैं उनमें जो पूर्व सुविधायें उनको प्राप्त थीं क्या वे आज भी दी जा रही हैं और यदि हां, तो क्या-क्या ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—जी हां, जमींदारी उन्मूलन के पहले जो सुविधायें थीं वही उनकी दी जा रही हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मेरा प्रश्न यह था कि वे क्या-क्या सुविधायें दी जा रही ह तो उत्तर मिला कि जो पहिले दी जा रही थीं। मैं यह जानकारी चाहता था कि जमींदारों के वक्त क्या क्या सुविधायें थीं, उसका उत्तर नहीं मिला है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि जो सारी सुविधायें पहले थीं वही उपलब्ध हैं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—जो सरकार के कब्जे में परती जमीनें आई हैं उनमें किसानों को वही सुविधायें प्राप्त हैं जो पहिले थीं, यदि हां, तो वे क्या-क्या सुविधायें हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—वास्तविक घरेलू आवश्यकतायें हेतु सर के बोझों के रूप में सूखी गिरी हुई लकड़ियों का इकट्ठा किया जाना।

माल विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित मांगों के आधार पर खेतों के चारों ओर झाड़ी लगाने हेतु कांटों तथा झाड़ियों का इकट्ठा किया जाना। यह सुविधा ललितपुर, मदौरा और आंशिक तालबहेट रेंज के निहित वनों में निःशुल्क उपलब्ध है। अन्य स्थानों पर यह सुविधायें अनिश्चित दरों पर उपलब्ध हैं।

कृषि सम्बन्धी औजारों हेतु निश्चित दरों पर लकड़ी, यदि उपलब्ध हो।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—मेरा निवेदन यह था कि पहले उन्हें क्या-क्या सुविधायें थीं, इसका जवाब नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—फिर पूछ लीजियेगा।

बदायूं नगरपालिका द्वारा मुहल्ला जलन्धरीसराय व लोटनपुरा के बीच स्थित पशुवधशाला को हटाने का विचार

*२६—**कुंवर रुकुमसिंह राठौर** (जिला बदायूं)—क्या सरकार को पता है कि बदायूं नगरपालिका के मध्य पब्लिक सड़क के किनारे मुहल्ला जलन्धरीसराय व लोटनपुरा के बीच जो पशुवधशाला है, क्या सरकार उसे वहां से हटाने का विचार रखती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। इस पशुवधशाला को हटाने का निश्चय नगरपालिका बदायूं ने किया है तथा वह इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

बरहलगंज तथा गोला टाउन एरियाओं में जनशौचालय की व्यवस्था

*२७—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार यह बतायेगी कि बरहलगंज और गोला टाउन एरिया, जिला गोरखपुर में जनशौचालय की कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार ने इस कार्य के लिये कोई धनराशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत करने की योजना बनाई है या विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न का प्रथम भाग—जी हां। बरहलगंज टाउन एरिया में दो तथा गोला टाउन एरिया में तीन जन-शौचालय हैं।

प्रश्न का द्वितीय भाग—जी नहीं।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय मंत्री को इस बात की सूचना है कि बरहलगंज टाउन एरिया ने गत दो वर्षों में कई बार सरकार के पास इस बात की लिखापढ़ी की कि उसे शौचालय के लिये अनुदान मिलना चाहिये, यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह बात सही है कि सरकार से उन्होंने विनती की लेकिन हमारे पास जो पैसा है वह केन्द्रीय सरकार से मिलता है और वह इस काम के लिये होता है कि भंगियों की स्थिति को सुधारा जाय। उन्होंने बतलाया कि यह शौचालय सुधारने के वास्ते वह रुपया नहीं दे सकते। मेहतरों को सर पर बोझा न उठाना पड़े, हाथ से न उठाना पड़े और पाखाने को साफ करने के जो तरीके हैं उसके लिये वह पैसा देते हैं। शौचालय म्युनिसिपलिटी बनाये ताकि लोगों को आराम मिले। यह चीज इसके अन्तर्गत नहीं आती, इसलिये दिक्कत हो रही है।

श्री गेंदासिंह—केन्द्रीय सरकार के द्वारा इस कार्य के लिये धन देने से इन्कार कर देने के बाद और इसकी महत्ता को देखते हुये गांवों में शौचालय की व्यवस्था के लिये राज्य सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें लोगों को कष्ट न हो और दिन में झाडियां कट जाने से शौचालय बे जा सकें ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जितने ये निकाय बनाये गये हैं स्वायत्त शासन के मातहत, वे इसीलिये बनाये गये हैं कि ऐसा प्रबन्ध कर सकें।

श्री गेंदासिंह—जिस प्रकार निकायों के रहते हुए, स्वास्थ्य को कायम रखने के लिये राज्य सरकार पानी की व्यवस्था खुद करती है इसी प्रकार सरकार यह भी विचार करेगी कि शौचालय के लिये कुछ धन की व्यवस्था की जाय ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिये सरकार समझती है कि उनका प्रबन्ध करना ही चाहिये। बहुत-सी चीजें ऐसी हैं जिनके लिये यह समझा जाता है कि स्थानीय निकायों को ही उन्हें करना चाहिये और यह विषय ऐसा है जिसमें उन्हें प्रबन्ध करना चाहिये।

श्री झारखंडेराय—इस बात को देखते हुये कि टाउन एरियाओं के अन्दर महिलाओं के लिये कोई व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हर टाउन एरिया में महिलाओं के लिये ऐसे स्थान बनायें जायं इसके लिये कुछ विशेष धनराशि सरकार देने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—विशेष धन का जहां सवाल आता है वह तो माननीय सदस्यों के हाथ में है कि ऐसा प्रस्ताव ला कर दें, सरकार मन्जूर करेगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—जैसा कि उनके उत्तर में लिखा हुआ है कि बरहलगंज में २ और गोला में ३ शौचालय मौजूद हैं और बरहलगंज टाउन एरिया ने शौचालय बनाने के लिये भी पैसा मांगा है तो दोनों बातों में विरोधाभास है और सही यह है कि वहां एक भी शौचालय मौजूद नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसमें कोई विरोधाभास है नहीं। तीन हैं वहां पर, तो दो और बन सकते हैं, अभी कम हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—एक माननीय सदस्य ने मेरे भाषण के प्रति यह कहा था कि शौचालय हम बनाने को तैयार हैं लेकिन उनकी सफाई सोशलिस्ट करें। तो क्या माननीय मंत्री जी उसको कार्यान्वित करेंगे कि बड़े-बड़े गांवों में शौचालय बनायें?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्लानिंग विभाग शौचालय इत्यादि के लिये रकम रखता है और हमारी क्षेत्र समितियां उसके लिये कुछ रकम देंगी। साथ ही में बोर्ड आफ पब्लिक हेल्थ भी शौचालय इत्यादि के निर्माण के लिये धनराशि रखता है और बहुत से टाउन एरियाज में उसने धनराशि अनुदान के रूप में और कहीं-कहीं ऋण के रूप में भी इस कार्य के सम्पादन के लिये प्रदान किया है, और आज भी यदि बरहलगंज टाउन एरिया में शौचालय नहीं है तो मैं बोर्ड आफ पब्लिक हेल्थ की तरफ से यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई इस प्रकार की अर्जी इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये आयेगी तो बोर्ड आफ पब्लिक हेल्थ उस विषय पर, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर के, ऐसा इन्तजाम करेगा कि उसकी पूर्ति हो जाय।

वन विकासार्थ किसानों की कथित अध्याप्त भूमि

*२८—**श्री छेदालाल चौधरी** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विकास के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा किसानों की भूमि लेने में उनकी भूमि के लिये कानूनी पैरवी करने के लिये किसानों को वन विभाग द्वारा क्या सुविधायें दी गयी हैं?

श्री हरीदत्त कांडपाल—वन विकास के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा किसानों की भूमि नहीं ली जा रही है। अतः कानूनी पैरवी करने के लिये किसानों को वन विभाग द्वारा सुविधायें दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*२९—**श्री छेदालाल चौधरी**—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के उपरान्त जंगलों के निकटवर्ती लोगों को कौन-कौन-सी माफी अथवा सुविधायें वन विभाग द्वारा दी गई हैं?

श्री हरीदत्त कांडपाल—जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के उपरान्त जंगलों के निकटवर्ती लोगों को वन विभाग द्वारा जो सुविधायें दी गई हैं उन सब की गणना करना सम्भव नहीं है क्योंकि ऐसी सुविधायें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हैं। जो भी सुविधायें लोगों को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व प्राप्त थीं वे सब सुविधायें दी जा रही हैं। उदाहरणार्थ चराई की सुविधा, छप्पर के लिये घास-फूस व बांस इत्यादि, जलाऊ लकड़ी तथा कांटेदार झाड़ी बाड़ के लिये।

श्री छेदालाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि भूमि वन विभाग के उद्देश्य से नहीं ली जा रही है तो फिर जो खीरी जिले में हजारों बीघा भूमि वन के निकट ली जा रही है किसानों की, वह किस उद्देश्य से ली जा रही है?

श्री हरीदत्त कांडपाल—किसानों की तो कोई जमीन ली नहीं जा रही है। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जमीन वेस्ट हुई है वह नोटिफाई होती है, वह ली जाती है। किसानों की अपनी निजी जमीन नहीं ली जाती है।

श्री छेदालाल चौधरी—भूमि जो जंगल के किनारे ली जा रही है उसका क्या उद्देश्य है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—जो वेस्ट लैंड है उसमें जंगल उगाये जायेंगे और वन की तरक्की करने के लिये और विकास करने के लिये जमीन ली जाती है ।

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या यह सही है कि कुछ जमीन पर जमींदारों के समय से बहुत से काश्तकार काबिज हैं और वे जोत रहे हैं उनसे भी जमीन ली जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। इसमें तो सीधी कार्यवाही होती है। पहले जमीन नोटीफाई होती है कि कहां पर वन लगाया जायगा और सेटिलमेंट आफिसर नियुक्त होता है । इसलिये ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की जमीन खामख्वाह ले ली जायगी । अगर ले ली जायगी तो काश्तकार के पास चाराजोई करने का अधिकार है ।

श्री रामचरणशाह (जिला खीरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं निघासन क्षेत्र से आया हूं वहां पर मैंने १५० दरख्वास्तें डिप्टी कमिश्नर के पास भिजवाई हैं । जो सेटिलमेंट आफिसर नियुक्त होते हैं उन्होंने किसानों की जमीन पर कब्जा किया है, अगर किया है तो कहां किया है, इसको सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—आपके कहने का मतलब यह है कि इस तरह की दरख्वास्तें डिप्टी कमिश्नर के पास आई हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—इस तरह की कोई दरख्वास्तें सरकार के पास नहीं आई हैं । इसकी सीधी कार्यवाही होती है । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि पहले जमीन नोटीफाई होती है कि कहां पर वन लगायें जायेंगे । इसके साथ ही सेटिलमेंट आफिसर नियुक्त किया जाता है । उसको जुडीशियरी की पावर्स होती हैं और वह जुडीशियल आफिसर होता है । लिहाजा फारेस्ट डिपार्टमेंट और किसान जिसका कि उस जमीन पर हक होता है दोनों पार्टीज होती हैं । अगर कोई अर्जी पड़ी होगी तो सेटिलमेंट आफिसर के यहां पड़ी होंगी । अगर सेटिलमेंट आफिसर इंसाफ नहीं करता है तो किसान को अपील करने का हक है ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री जी का उत्तर अधूरा है हरिद्वार से लेकर बरेली तक ३०-३० साल पहले की किसानों की जमीन छीनी जा रही है । रोज खाईं खोदी जाती है और पैसा लेकर कहा जाता है कि तुम जोत सकते हो । छः महीने के बाद फिर खाई खोदी जाती है ।

श्री अलगूराय शास्त्री—श्रीमन्, इस संबंध में भ्रम दूर करना जरूरी है । मैं कई बार कह चुका हूं कि इस तरह की दिक्कतें उसी क्षेत्र में आती हैं जहाँ जमींदारी उन्मूलन के बाद जो जमीन वन के क्षेत्र में थी उसमें जमींदारों ने ठेका-पट्टा करके किसानों को दी और वह जोतते आते हैं । जब जमीन सरकार में वेस्ट हुई और वन विभाग में जब उसका कंट्रोल आया । रेवेन्यू रिकार्ड में जो जमीन वन में घोषित है, वह नोटीफाई हो जाती है, गाँव वाले खेत जोत रहे होते हैं इसलिये जाहिर है कि उनको एतराज होता है इसी झगड़े को तय करने के लिये सेटिलमेंट आफिसर्स नियुक्त होते हैं और उनका फैसला हम मानते आते हैं । श्रीमन्, आप देखेंगे कि बस्ती क्षेत्र में १७,००० एकड़ जमीन हमने नोटीफाई की और बाद में ६,००० एकड़ रह गई । वह इसलिये कि किसानों ने ऐतराज किया और अपने क्लेम्स दिये, सेटिलमेंट आफिसर ने फैसला दिया और हमने उस जमीन को छोड़ा । शुरू में ही हम जमीन नहीं छोड़ सकते हैं । कुछ कठिनाइयाँ किसानों के सामने आ जाती हैं । लेकिन किसानों को कष्ट पहुंचाने के लिये यह चीज नहीं है बल्कि मजबूरी में, जो हमारा उत्तरदायित्व है कि जो जमीन वन विभाग की है, रेवेन्यू विभाग से प्राप्त हुई है, उसकी हम हदबंदी करना चाहते हैं । इसमें

[श्री अलगूराय शास्त्री]

बाज औकात किसानों ने जो अपने मकान वगैरह बना लिये होते हैं उसके झगड़े चलते हैं। उसमें सैटिलमेंट आफिसर्स के फैसले को हम मान लेते हैं। अगर किसान को उनका फैसला ठीक नहीं लगता तो अपील करने का अख्तियार उसको हासिल है। इससे ज्यादा सुविधा, मैं नहीं समझता, क्या दी जा सकती है। किसानों को तकलीफ है। जमींदारी अबालिशन के बाद यह दिक्कत पैदा हुई है। बाकी बनों में कहीं नहीं है।

श्री रामचरणशाह--वन मंत्री ने जैसा बताया, उस संबंध में हमारे क्षेत्र में जहाँ पर जमींदारी से पहले लोग जोते हुये थे, गजट में २०० कुछ एकड़ थी, तकिया बंगलहा में ४०० एकड़ भूमि एक्वायर की गयी है, और वह किसानों की भूमि है। किसानों के पास दो-दो चार-चार एकड़ भूमि है। वह बेचारे सरकार के पास अपील करने पहुंच नहीं पाते हैं। मैंने सेटिलमेंट आफिसर के सामने प्रश्न रखा। मैंने दिखलाया कि गजट में इतनी जमीन है, परन्तु किसान वहाँ अधिकतर पहुंच नहीं पाते हैं, इसके कारण किसानों को महान् कष्ट मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि जिला खीरी के सेटिलमेंट आफिसर को सचेत कर दें कि जितने ऐसे खेत हैं जो वाकई में किसान जमींदारी अबालिशन के पहले से जोते हुये हैं, उनको छोड़ने की कृपा करें।

गाजियाबाद नगरपालिका में आटो रिक्शा के लाइसेंस

*३०--श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक नगरपालिका अथवा नगर महापालिका के लिये साइकिल रिक्शाओं की संख्या निर्धारित की गई है? अगर हाँ, तो क्या और किस आधार पर?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--सन् १९५८ में बनाई गई आदर्श उपविधियों के अनुसार शासन ने नगरपालिकाओं में २१ मार्च, १९५८ को मौजूद रिक्शाओं के वैध अनुज्ञापत्रों की संख्या को (ceiling) निर्धारित किया है।

*३१--श्री तेजसिंह--क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकारी आदेशानुसार प्रदेश की नगरपालिकायें रिक्शा चलाने के लाइसेन्स देते समय हर साल १० प्रतिशत कम कर देती हैं? अगर हां, तो क्या यह बात गाजियाबाद नगरपालिका पर भी लागू है और क्या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रिक्शा चलाने के लाइसेन्स देते समय १० प्रतिशत कम कर देते हैं? यदि हाँ, तो यातायात के और साधन न बढ़ने के कारण और आबादी के दिन-प्रतिदिन वृद्धि के कारण जनता की सुविधा के लिये वहाँ, आटो रिक्शा चलाने के लाइसेन्स देने की व्यवस्था की जायेगी? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--अधिकतर नगरपालिकाएं रिक्शा लाइसेन्स में १० प्रतिशत कमी करती हैं। यह बात नगरपालिका, गाजियाबाद पर भी लागू है और वहाँ १९६१-६२ तक १० प्रतिशत कमी की गई है। सड़कों की दशा जब तक अच्छी नहीं हो जाती, तब तक आटो रिक्शा चलाने देने के विषय में कुछ कहना कठिन है।

उप अरण्यपाल, बस्ती द्वारा वन विभाग की जमीन पट्टे पर उठाना

*३२--श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)--क्या वनमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमींदारी उन्मूलन के समय बस्ती जिला में कितने एकड़ जंगल किन-किन गाँवों में थे तथा इस साल कितने हैं?

नोट--ताराँकित प्रश्न २८-२९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री अलगूराय शास्त्री---बस्ती जिले में जमींदारी उन्मूलन के समय १७६८९.२३ एकड़ जंगल वन विभाग के पास था, ग्रामवार विवरण संलग्न सूची †१ में दिया है। इस वर्ष लगभग ६२७०.०० एकड़ जंगल वन विभाग के पास है। इसका ग्रामवार सही क्षेत्रफल इस समय देना सम्भव नहीं है। वन बन्दोबस्त समाप्त होने पर ग्रामवार सही रकबा मालूम होगा। बीटवार विवरण संलग्न सूची †२ में दिया है।

*३३---श्री चन्द्रबली---क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जंगल अधिकारी, बस्ती ने जंगल विभाग की अनुमति के बिना कुछ जमीनें पट्टे पर उठाई हैं? यदि हाँ, तो कितनी, कहाँ-कहाँ और क्यों?

श्री अलगूराय शास्त्री---उप अरण्यपाल ने वन विभाग की अनुमति के बिना १९ एकड़ भूमि मसूरनगर बीट और २६ एकड़ भूमि डुमरियागंज बीट में बोरो काश्त के हेतु सालाना पट्टे पर दी है। यह परम्परा जमींदारी उन्मूलन से पहले से चली आ रही थी और वन विभाग ने इसे जारी रक्खा है।

*३४---श्री चन्द्रबली---क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पट्टे की जमीन की वापसी के लिये क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री अलगूराय शास्त्री---पट्टे की जमीन की वापसी का प्रश्न नहीं उठता।

कोल्हुव जंगल से आय तथा बदौसा-कोल्हुव सड़क पक्की कराने की प्रार्थना

*३५---श्री मतोलासिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोल्हुव जंगल विभाग से सन् १९४० में क्या आय थी और अब सन् १९६१ व १९६२ में क्या आय हुई?

श्री अलगूराय शास्त्री---कोल्हुव जंगल से सन् १९३९-४० में २,४७५ रुपये की आय हुई थी। सन् १९६०-६१ तथा सन् १९६१-६२ में क्रमशः १४,३०० रुपये तथा ५४,३५० रुपये की आय हुई।

*३६---श्री मतोलासिंह---उपरोक्त प्रश्न से संबंधित बदौसा से कोल्हुव सड़क की सालाना मरम्मत में वन विभाग क्या खर्च करता है?

श्री अलगूराय शास्त्री---यह सड़क अन्तरिम जिला परिषद् की है। वन विभाग केवल इसकी मरम्मत परिषद् के दिये हुये धन से करता है। सन् १९६१-६२ में ८५० रुपये का खर्च हुआ था।

*३७---श्री मतोलासिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदौसा-कोल्हुव सड़क क्या वन विभाग पक्की करा देने का विचार रखता है? अगर रखता है, तो उसे कब तक बना देगा?

श्री अलगूराय शास्त्री---चूंकि यह सड़क वन विभाग की नहीं है इसलिये इस विभाग द्वारा उसे पक्की कराने का प्रश्न नहीं उठता।

अमरोहा नगरपालिका के प्राविडेंट फण्ड में गोलमाल की शिकायत

*३८---श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि दिसम्बर, १९६१ तक अमरोहा नगरपालिका के कर्मचारियों का कुल कितना प्राविडेन्ट फंड का जमा हो चुका है?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--२,३०,८५७ रुपया ४४ नये पैसे ।

*३९--श्री शराफत हुसैन रिजवी--क्या मंत्री जी कृपा कर यह भी बतायेंगे कि सरकार की ओर से हर साल नगरपालिका अमरोहा का वार्षिक आय-व्यय जाँच करने के लिये आडिटर जाता है ? क्या हर वर्ष के प्राविडेन्ट फंड के हिसाब की जांच वह करता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हाँ ।

*४०--श्री शराफत हुसैन रिजवी--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों के प्राविडेन्ड फंड में गोल माल के संबंध में कोई शिकायत उन्हें हाल में प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

मड़ियाहूं में अपर्याप्त बिजली

*४१--श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के मड़ियाहूं कस्बे में बिजली प्राइवेट घरों पर है, पर मुख्य सड़कों व गलियों में बिजली नहीं है ? इसका क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण टाउन एरिया, मड़ियाहूं मुख्य सड़कों तथा गलियों में बिजली का प्रबन्ध करने में असमर्थ है ।

भिनगा नगरपालिका के लिये जलकल योजना

*४२--श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)--क्या सरकार को पता है कि बहराइच जिले की भिनगा नगरपालिका में न तो जल कल का प्रबंध है और न बिजली का ही ? क्या सरकार वहाँ इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन दोनों साधनों की व्यवस्था करेगी ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--जी हाँ, भिनगा नगर क्षेत्र में अभी तक जल कल तथा विद्युत् का प्रबन्ध नहीं है । जलकल की व्यवस्था के लिये नगरपालिका से स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग ने योजना के निर्माण हेतु अपना शुल्क माँगा है जिसके प्राप्त होने पर योजना का निर्माण किया जायगा । जहाँ तक बिजली का प्रश्न है, जाँच करने के उपरान्त यह पता चला कि इस क्षेत्र में बिजली का प्रबन्ध करना आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

बुन्देलखंड वन प्रखण्ड, झांसी के रेंजर, सहायक रेंजर तथा फारेस्टर

*४३--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९६२ तक बुन्देलखंड बन प्रखंड, झांसी में ऐसे कितने, रेन्जर, सहायक रेन्जर, फारेस्टर हैं जो तीन वर्ष से अधिक दिनों से एक ही जिले में हैं और कौन-कौन उक्त कर्मचारी किस रेंज में कितने दिन रहा और अब किस रेंज में हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६७५-६७६ पर)

कुम्भ मेला, हरिद्वार में नियुक्त अफसरों पर व्यय

*४४--श्री नरसिंहनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिद्वार में जो गत कुम्भ मेला लगा था उसमें सामान्य प्रशासन, पुलिस , परिवहन, स्वायत्त शासन विभागों के कितने सरकारी अफसर नियुक्त किये गये थे तथा उनके ऊपर अलग-अलग कितने रुपये सरकार ने व्यय किये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--आवश्यक ब्यौरा निम्न प्रकार है:

			रु० न० पै०
१--सामान्य प्रशासन	..	२५ अफसर	२३,८६३.६३
२--पुलिस ..	..	२५ अफसर	४४,११९.१३
३--परिवहन ..	..	१ अफसर	१,१२५. ५४
४--स्वायत्त शासन ..	..	१ अफसर	७,४४३

फारेस्ट रेंज अधिकारी, तालबेहट के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*४५--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फारेस्ट रेन्ज अधिकारी, तालबेहट (जिला झांसी) के विरुद्ध शिकायतों की जांच सितम्बर, १९६० और फरवरी, १९६१ में सी० आई० डी० पुलिस, लखनऊ तथा कानपुर के अधिकारियों द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि किस-किस शिकायत की जांच की गई थी तथा क्या-क्या शिकायतें सही पाने पर किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अलगूराय शास्त्री--जी हां।

निम्नलिखित कर्मचारियों के खिलाफ, उनके सामने लिखी गई शिकायतों की जांच की गई थी:--

(१) श्री हरनामसिंह, निवासी मुहर्रिर तथा श्री चन्द्रशेखर, ढूंढ़ मुहर्रिर पर आरोप था कि उन्होंने श्री हिम्मतसिंह को अनधिकृत रूप से रोक कर तमाचा मारा और २५ रुपया घूस मांगा।

(२) श्री अहिबरनसिंह राठौर, रेन्जर, ने श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी के विरुद्ध रेन्ज कार्यालय में जाकर दुर्व्यवहार करने की अतिशयोक्तिपूर्ण शिकायत पुलिस स्टेशन तालबेहट में की थी।

पुलिस सी० आई० डी० की रिपोर्ट है कि श्री हिम्मतसिंह को चांटा मारा गया और २५ रुपया घूस के तौर पर नाजायज निकासी के अपराध में लिया गया और बाद में अपने बचाव के लिये अनुचित प्रतिकर प्राप्त करने की रसीद इजरा की गई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी के कथित दुर्व्यवहार के विषय में पुलिस गुप्तचर का मत है कि उनके खिलाफ बढ़ा-चढ़ा कर रिपोर्ट की गई थी।

इन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है।

झांसी पम्पिंग स्टेशन में कुप्रबन्ध की शिकायत

*४६--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी पम्पिंग स्टेशन, जहां से कि नगर को पानी सप्लाई किया जाता है, के, मोटर के क्वायल सन् १९६१ में तेजाब द्वारा जला देने का गम्भीर काण्ड हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अपराधियों को दन्डित करने के हेतु की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हां। मामले की रिपोर्ट नगरपालिका ने पुलिस में कर दी थी। पुलिस द्वारा संबंधित अधिकारी (फिल्टर आपरेटर) के खिलाफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, झांसी की अदालत में मुकदमा चलाया गया था परन्तु अभियुक्त के खिलाफ सबूत न मिलने के कारण अदालत ने उसे अपराधी नहीं ठहराया।

*४७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९ से सन् १९६१ तक कितनी बार पम्पिंग स्टेशन के मोटरों के क्वायल जले व कितने हजार रुपये मरम्मत के नाम पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदारों को कब-कब दिये गये और जो रुपया तथा जो मरम्मत का काम ठेकेदार को दिया गया क्या बोर्ड द्वारा वह स्वीकृत था ? यदि था, तो उसका तारीख, माह व एजेन्डा नम्बर बताने की कृपा करें। जिन मोटरों का खराब होना बताया गया, उनके नम्बर व कितने क्वायल किस-किस मोटर में नये बदले गये ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—६ बार। क्वायलों के मरम्मत के लिये ३,७५० रुपये ठेकेदारों को नगरपालिका की स्वीकृति से दिया गया इसके अतिरिक्त १२५ रुपया जन-सुविधा समिति द्वारा तथा २५ रुपया अध्यक्ष, जिन्हें क्रमशः २५० तथा १०० रुपया तक की धनराशि स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है, ने मंजूर किये थे। इन रकमों की अदायगी की तिथियां एवं बोर्ड के प्रस्ताव संख्या जिसमें रकम मंजूर हुई थी वह सूचना संलग्न है। बोर्ड एजेन्डे में कोई नम्बर नहीं पड़ता है। यह सूचना शून्य है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६७७ पर)

*४८—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ४ अगस्त, १९६१ तथा २४ जुलाई, १९६१ को नगरपालिका के एक ही सदस्य द्वारा कमिश्नर झांसी को इस बात की लिखित सूचना दी गई थी कि मोटरों के क्वायल दो-तीन ही हर एक में नये बदले गये और पूरे क्वायलों के जलने और उनके नये बदलने के नाम पर पेमेन्ट कर दिये गये ? यदि इस प्रकार की शिकायत थी, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शिकायतों की जांच सहायक रेडियो अभियन्ता, सूचना विभाग द्वारा की गई थी परन्तु मोटरों के क्वायलों के ऊपर मसाले की गहरी लेप (pitch) होने के कारण यह नहीं पता चल सका कि किस किस क्वायल को नया बदला गया। जांच से इतना अवश्य पता चला कि मोटरों के खराब होने का मुख्य कारण यह था कि नगरपालिका के पास अनुभवी जलकल अभियन्ता नहीं था अतः कमिश्नर झांसी मंडल ने नगरपालिका को ४ दिसम्बर, १९६१ को आदेश दिये थे कि वह शीघ्रातिशीघ्र जल-कल अभियन्ता की नियुक्ति करे। साथ-साथ कमिश्नर ने नगरपालिका को यह भी आदेश दिये थे कि भविष्य में मरम्मत कार्य किसी व्यक्ति विशेष को न सौंपा जाय बल्कि ख्याति प्राप्त एवं प्रतिष्ठित दूकानों से, पर्याप्त विज्ञापन के बाद, टेन्डर मंगाकर, सबसे कम टेन्डर देने वाले उस दूकान को, जो कार्य करने की क्षमता रखता हो, दिया जाय।

दुगडा-रतवाढ़ाव सड़क से आय

*४९—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—दुगडा से रतवाढ़ाव तक मोटरेबिल रोड की लम्बाई क्या है, वह सड़क कब वन विभाग ने बनाई और साल भर में कितने दिन वह सन् १९६०–६१ से चालू रही ?

श्री अलगूराय शास्त्री—दुगड्डा से रतवाढ़ाव तक मोटर चलाने लायक सड़क की लम्बाई २५ मील है। इस सड़क को वन विभाग ने १९४५–१९४७ में बनाया था। सन् १९६०–६१ में यह सड़क २४१ दिन, २–११–६० से ३०–६–६१ तक चालू रही।

*५०—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—उस मोटरेबिल रोड पर कितनी बसें और ट्रकें रोजाना औसतन चलती हैं और उन सवारी बसों से तथा लकड़ी या माल ढोने वाली ट्रकों से कितना कर या टैक्स जंगलात महकमा लेता है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—इस सड़क पर औसतन २३ बसें व ट्रकें रोजाना चलती हैं। सवारी बसों से १२ न० पै० प्रति बस, प्रति मील, प्रति ट्रिप रोडटैक्स लिया जाता है। ट्रकों से प्रति ट्रक १८ न० पै० प्रति मील, प्रति ट्रिप रोडटैक्स और प्रति ट्रक १ रु० २५ न० पै० ट्रांजिट फीस ली जाती है। विभागीय ठेकेदारों की लकड़ी ढोने वाले ट्रकों से कुछ नहीं लिया जाता है।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का भूमि विकास पर व्यय

*५१—श्री तेजसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जब से काम शुरू किया है उस पर १ मई, सन् १९६२ तक कितना व्यय हो चुका है, कितनी भूमि को विकास करके बेचा जा चुका है और उससे क्या लाभ हुआ है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जबसे गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित हुई है उस समय से १ मई, १९६२ तक ७,७३,१०४ रु० ९२ न० पै० व्यय हो चुका था और उक्त दिनांक तक न कोई भूमि विकास की करके बेची गई थी और न कोई लाभ हुआ था।

नदी गांव क्षेत्र वन विभाग में निहित भूमि को किसानों को देने की प्रार्थना

*५२—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के नदी गांव के क्षेत्र का कितना रकबा जंगलात में लिया गया है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जिला जालौन के नदी गांव क्षेत्र में जंगल और बंजर क्षेत्र की लगभग ३०५८ एकड़ भूमि वन विभाग को निहित वन के रूप में प्राप्त हुई।

*५३—श्री विजयसिंह—क्या सरकार को यह पता है कि नदी गांव के जंगलात का कुछ रकबा तोड़ कर जोतने योग्य बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या उस भूमि को उन गरीब किसानों को पट्टे पर उठाने की व्यवस्था पर विचार करेगी कि जिन्होंने उस भूमि को तोड़ा है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—निहित वन, नदी गांव का कभी भी कोई भाग कृषि उद्देश्यों से नहीं तोड़ा गया था। इस निहित वन के कुछ भागों को समीपवर्ती खेतों के किसानों ने अनधिकारिक रूप से तोड़ा परन्तु जैसे ही ऐसी स्थिति का पता लगा, उचित वैधानिक कार्यवाही कर इनको संबंधित क्षेत्रों से अलग किया गया। उस भूमि को उन किसानों को पट्टे पर उठाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बनों के ये क्षेत्र बुरी तरह कटे हुये भाग तथा नालों (ravines) में स्थित हैं और भूमि संरक्षण के विचार से इन क्षेत्रों में वन उपज का होना अत्यावश्यक है।

बोधपुरा क्षेत्र, जिला जालौन के सुरक्षित वन में गड्ढों की खुदाई

*५४—श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में बोधपुरा के सुरक्षित वन के अन्दर कितने क्षेत्र में गड्ढे खुदवाये गये हैं तथा उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई है और वह गड्ढे कब खुदवाये गये तथा कब उपयोग में लाये जायेंगे ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जिला जालौन के सुरक्षित वन बोधपुरा में २५० एकड़ भूमि पर नालियां और गढ़े खोदे गये हैं और इस काम में १०,९७४ रु० ५७ न० पै० खर्च हुआ। खुदाई का काम जनवरी से मार्च १९६२ के अन्दर किया गया था। इन नालियों और गढ़ों में इसी वर्ष वृक्षारोपण किया जायेगा।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हरगांव में लोहा और टीन के बेचने में अनियमितता

*५५—श्री बैजूराम (जिला सीतापुर)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हरगांव, जिला सीतापुर के किस अधिकारी द्वारा अप्रैल, १९६२ ई० में एसे कितने मामलों की जांच की गई जिनमें लोहा और टीन के परमिट बेचे गये या परमिट पर प्राप्त माल को ब्लैक मार्केट में या अनियमित तौर पर दूसरे कितने व्यक्तियों को दिया गया और जांच के पश्चात् संबंधित मामलों में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड, हरगांव, जिला सीतापुर में अप्रैल, सन् १९६२ में विकास खंड अधिकारी, हरगांव द्वारा ८ मामलों की जांच की गई। इनमें से केवल एक के विरुद्ध अनियमितता पाई गई। जिलाधीश इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

[६ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

महापालिकाओं के मेहतरों के लिये मकान

*१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन नगरों में कितने-कितने मकान सरकार ने महापालिका के मेहतरों के लिये बनवाये हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने अपने खर्चे से महापालिका के मेहतरों के लिये मकान नहीं बनवाये हैं।

*२—**श्री कल्याणचन्द मोहिल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९६२-६३ में कितना-कितना धन महापालिकाओं को मेहतरों के रहने हेतु मकान बनवाने के लिये दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में अभी तक कोई धन नहीं दिया गया है।

यू० पी० जेलों में गड़बड़ियों की जांच

*३—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर), **श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर) तथा **श्री मुकुटबिहारीलाल**—क्या जेल मंत्री को यू० पी० जेलों की गड़बड़ियों के संबंध में श्री गोविन्दसिंह, तत्कालीन एम० एल० ए० द्वारा भेजे गये निम्नांकित पत्र मिले थे:

(१) डी० ओ० से० २९०-६१, दिनांक १७ जुलाई, १९६१
(२) डी० ओ० से० ३६८-६१, दिनांक १५ सितम्बर, १९६१
(३) डी० ओ० से० ४१३-६१, दिनांक ३ नवम्बर, १९६१
(४) डी० ओ० से० ४२१-६१, दिनांक १७ नवम्बर, १९६१
(५) डी० ओ० से० ४४०-६१, दिनांक ३० नवम्बर, १९६१
(६) डी० ओ० से० ५०-६२, दिनांक ४ मार्च, १९६२
(७) डी० ओ० से० ५१-६२, दिनांक ५ मार्च, १९६२।

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, न० १ व ६ पर अंकित पत्रों को छोड़ कर अन्य पत्र प्राप्त हुए।

*४—**श्री हिम्मतसिंह, श्री रक्षपालसिंह** तथा **श्री मुकटबिहारीलाल**—यदि हां, तो क्या इन पत्रों की एक प्रति सदन की मेज पर रखते हुये वे बताने का कष्ट करेंगे कि इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गोविन्द सहाय—पत्रों में उल्लिखित मुख्य मुख्य बातों व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न सूची† में दिया जा रहा है। पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखना सरकार उचित नहीं समझती।

---

†छापी नहीं गई।

*५—श्री हिम्मतसिंह, श्री रक्षपालसिंह तथा श्री मुकुटबिहारीलाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यू० पी० जेल्स की गड़बड़ियों के बारे में जो सी० आई० डी०, द्वारा यू० पी० आई० जी०, डी० आई० जी० तथा निदेशक जेल इन्डस्ट्रीज के खिलाफ गत वर्ष की गई थी उसका परिणाम क्या हुआ ?

श्री गोविन्दसहाय—आई० जी० व डी० आई० जी० के विरुद्ध कोई जांच नहीं हुई क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। निर्देशक जेल इन्डस्ट्रीज के विरुद्ध जो जांच की गई थी उसमें वे निर्दोष पाये गये।

*६-७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[हटा दिये गये।]

जेल कर्मचारियों की मांगें

*८—श्री गणेशचन्द (जिला मैनपुरी) तथा श्री नरोत्तमसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की बहुत सी जेलों से दिसम्बर, १९६१ में जेल वार्डरों तथा जेल हेड वार्डरों की तरफ से वेतन वृद्धि तथा तरक्की के लिये प्रार्थना-पत्र इन्स्पेक्टर जनरल, जेल विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा गृह मंत्री के पास आये हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, ये प्रार्थना पत्र कारागार महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश के द्वारा शासन को २७ अप्रैल, १९६२ को प्राप्त हुये थे।

*९—श्री गणेशचन्द तथा श्री नरोत्तमसिंह—यदि हां, तो उनकी क्या-क्या मांगें हैं और अब इस मामले में क्या हो रहा है ?

श्री गोविन्दसहाय—ये मांगे संलग्न सूची 'क' में संकलित है और अभी शासन के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६७८-६७९ पर)

तालबेहट से चावल का अवैधानिक व्यापार

*१०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास हाल ही में यह शिकायत आई है कि देहरादून और अन्य स्थानों से १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक हजारों बोरी चावल रेल मार्ग से तालबेहट (जिला झांसी) म आया है और वह सब चावल अवैधानिक तौर से मध्य प्रदेश को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त चावल किस किस नाम से मंगाया गया है और रेलवे स्टेशन तथा बैंकों से बिल्टी किस के द्वारा छड़ाई गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां। अभी हाल ही में सरकार के पास एक शिकायत आई है कि चावल अवैधानिक प्रकार से मध्य प्रदेश तथा गुजरात व महाराष्ट्र को भेजा जाता है। इसकी छानबीन हो रही है। सरकार के पास जो सूचना है उसके अनुसार १८४० बोरी बांसमती चावल सहारनपुर से तथा १५०० बोरी बांसमती चावल थानाभवन स्टेशन से रेल मार्ग द्वारा १ जनवरी, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक तालबेहट (जिला झांसी) में आया जिन नामों से यह भेजा तथा मंगाया गया उनकी सूची† संलग्न है। इन व्यक्तियों का पता ठीक तरीके से नहीं लग पाया है। तालबेहट स्टेशन पर उपलब्ध रिकार्ड से ज्ञात होता है कि यह रेलवे बिल्टियां किसी बैंक द्वारा पृष्ठांक नहीं की गईं।

*११—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त अवैधानिक व्यापार में झांसी जिले के कुछ अधिकारियों का भी हाथ है ? यदि हां, तो वह अधिकारी कौन-कौन हैं ?

---

†सूची छापी नहीं गयी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी तक की जांच से झांसी जिले के किसी अधिकारी का हाथ इस मामले में नहीं मालूम पड़ता। ताजबेहट स्टेशन बार्डर एरिया में नहीं है और यहां पर खाद्य विभाग का कोई कर्मचारी अथवा अफसर भी नियुक्त नहीं था।

*१२—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस संबंध में अभी जांच हो रही है।

नगरपालिका, फतेहपुर के वर्गोत्थान की मांग

*१३—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७ में जब कि नगरपालिका, फतेहपुर की सालाना आमदनी मय खर्च के लगभग डेढ़ लाख रुपये थी, क्या सरकार ने पत्र संख्या ३३३९—जी/९—ए०ए०—४९९—५७, दिनांक २६ नवम्बर, १९५७, द्वारा प्रान्त की अन्य ३८ नगरपालिकाओं के साथ ही उसे भी वर्गोत्थान प्राप्त करने की अधिकारिणी मान कर नव-निर्वाचित बोर्ड की सम्मति मांगी ? यदि हां, तो ३८ अन्य नगरपालिकाओं के साथ ही उसका भी वर्गोत्थान किस कारण नहीं किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां। पर आदेश की सही संख्या ३३३९—जे/११—ए—५९९/५७, दिनांक २६ नवम्बर, १९५७ है तथा उसमें ६५ नगरपालिकाओं के साथ नवनिर्वाचित नगरपालिका, फतेहपुर के भी वर्गोत्थान के संबंध में विचार आमंत्रित किये गये थे। नगरपालिका फतेहपुर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न थी तथा नगरपालिका स्वयं भी वर्गोत्थान के पक्ष में न थी अतः इस नगरपालिका का वर्गोत्थान नहीं किया गया।

*१४—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या एक्जीक्यूटिव अफसर, फतेहपुर ने अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक ३ अगस्त, १९६१ और बोर्ड के कर्मचारियों व १४ सदस्यों ने दिनांक २७ जनवरी, १९६२ के प्रार्थना-पत्र व सिफारिश द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि नगरपालिका फतेहपुर वर्गोत्थान की पूर्ण क्षमता रखती है उसका वर्गोत्थान किया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या विचार व कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शासन को केवल अधिशासी अधिकारी नगरपालिका फतेहपुर का दिनांक ३ अगस्त, १९६१ का पत्र उनके प्रत्यावेदन के साथ प्राप्त हुआ।

उपरोक्त पत्र पर जिलाधीश की आख्या मंगाई गई। उनकी आख्या से विदित हुआ कि नगरपालिका की आर्थिक स्थिति संतोषजनक न थी तथा नगरपालिका स्वयं भी वर्गोत्थान के पक्ष में न थी। अतः शासन ने इस मामले को समाप्त कर दिया।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत व्यय

*१५—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो गांव नदियों के कटाव से कट गये हैं उन्हें सरकार गृह निर्माण योजना (मास्टर प्लान) के अन्तर्गत बसाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस प्रकार की कोई पृथक् योजना नहीं है। ग्रामीण गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत बाढ़ ग्रस्त या दैविक प्रकोप से प्रभावित ग्रामवासी लाभ उठा सकते हैं। यह योजना तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों की एक प्रति †सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

---

†छापी नहीं गई।

*१६—श्री कल्पनार्थसिंह—किस-किस जिले में उक्त गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत कितना-कितना रुपया खर्च करने का उसका विचार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इसका कोई पृथक् ब्योरा नहीं रखा जाता है ।

*१७—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या कटाव पीड़ित इलाकों में सरकार ने गत पंचवर्षीय योजना में उक्त मद में कोई खर्च किया है ? यदि हां, तो कितना और कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह बताना संभव नहीं है, क्योंकि कोई पृथक् ब्योरा नहीं रखा जाता है ।

जेल अधिकारियों द्वारा कम्बलों की गलत खरीद की जांच

*१८—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १६ फरवरी, १९६१ को दो शिकायती प्रार्थना-पत्र इन्स्पेक्टर जनरल (जेल) के कार्यालय में कुछ अधिकारियों को गलत तरीके पर कम्बल खरीदने के संबंध में पत्र संख्या LXVI/२६८–६०, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० तथा संख्या ५३–६१, दिनांक १६ फरवरी, १९६१ के रूप में प्राप्त हुये जिसकी जांच सरकार द्वारा की जा रही थी ? इसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई और गलत तरीके से कम्बल खरीदने में कौन-कौन लोग जिम्मेदार पाये गये ?

श्री गोविन्दसहाय—सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई, परन्तु लगाये गये आरोप निर्मूल पाये गये ।

*१९—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—क्या इस गलत खरीद के संबंध में सन् १९५० से सी० आई० डी० जांच कर रही थी ? क्या सन् १९६१ के वित्तीय वर्ष में बरेली, आगरा की सेन्ट्रल जेलों से १०–१० हजार कम्बल सप्लाई किये गये और डिमान्ड के अलावा ३,००० हजार कम्बल का सामान (ऊन) वगैरह खरीदा गया ?

श्री गोविन्दसहाय—जी नहीं ।

नगीना नगरपालिका की सड़कों पर व्यय

*२०—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगीना नगरपालिका (जिला बिजनौर) ने १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में नगरपालिका की सड़कों पर कितना व्यय किया तथा इस संबंध में इन वर्षों में उसे सरकार से कितना अनुदान दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका नगीना (जिला बिजनौर) ने प्रश्न में उल्लिखित वित्तीय वर्षों में सड़कों पर जो व्यय किया है तथा इस संबंध में सरकार से उसे जो अनुदान मिला है उसकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६८० पर)

पेय जल की व्यवस्था

*२१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार, महामान्य राज्यपाल के ९ मई, १९६२ के वाराणसी के वक्तव्य के अनुसार, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां सुलभ तरीके पर पानी भी उपलब्ध नहीं है, कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में पीने का पानी सुलभ तरीके पर उपलब्ध नहीं है और वह स्थान कौन से हैं और सरकार ने उसके लिये कौन-कौन से प्रबंध करने की योजना बनाई है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बुन्देलखंड, बांदा जिले के दक्षिण में पाठा क्षेत्र, मिर्जापुर व वाराणसी जिलों के दक्षिण भाग, उत्तराखंड तथा अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल व देहरादून जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी सुलभ तरीके से प्राप्त नहीं है ।

पाठा क्षेत्र में १२.७८ लाख रुपये की तथा मिर्जापुर जिले गांवों में ७.७० लाख रु० की योजनाएं इस समय कार्यान्वित की जा रही है । पाठा क्षेत्र में नये कुएं व तालाब बनाए जा रहे हैं और पुराने कुओं व तालाबों को गहरा किया जा रहा है । मिर्जापुर में कुएं व हैन्ड पम्प की व्यवस्था की जा रही है । पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग १८४ गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जा चुकी है ।

सीतापुर में टीन तथा सीमेंट की फर्म का चालान

*२२—**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई, १९६२ के मास में सीतापुर नगर में टीन तथा सीमेंट की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए कितनी फर्मों का चालान हुआ तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मई, सन् १९६२ के मास में सीतापुर नगर में टीन की ब्लैक मार्केटिंग करते हुये केवल एक फर्म का चालान हुआ और उसके विरुद्ध मुकदमा चल रहा है । सीमेंट की ब्लैक मार्केटिंग करते हुये कोई नहीं पकड़ा गया ।

रेंट कन्ट्रोल एण्ड ऐविक्शन ऐक्ट में संशोधन के लिए सुझाव

*२३—**कुंवर श्रीपालसिंह**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने रेंट कंट्रोल ऐण्ड एविक्शन ऐक्ट में संशोधन करने के उद्देश्य से जनता से सुझाव मांगे हैं ? यदि हां, तो अब तक कितने सुझाव, कहां-कहां से आये और उनमें प्रमुख सुझाव क्या-क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—शासन ने रेंट कंट्रोल ऐक्ट में संशोधन करने के उद्देश्य से जनता से सुझाव नहीं मांगे हैं । तथापि उत्तर प्रदेश ला कमीशन ने रेंट कंट्रोल ऐक्ट में संशोधन करने के विचार से सुझाव मांगे हैं । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

*२४—**श्री रामसुन्दर, श्री दौलतलाल** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री मंगलदेव** (जिला आजमगढ़)—[२० अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

गेहूं की खरीद

*२५—**श्री यशपाल**—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष प्रांतीय सरकार गेहूं की खरीद करेगी ? यदि हां, तो कब से किस प्रकार और किस भाव पर ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने मूल्य संरक्षण नीति के अन्तर्गत गेहूं के निम्नांकित न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये हैं :

१—सुपीरियर फार्म वेराइटीज : १४ रु० प्रतिमन,

२—व्हाइट वेराइटीज : १३ रु० प्रतिमन,

३—रेड वेराइटीज : १२ रु० प्रतिमन ।

जहां मूल्यों में अधिक गिरावट होने की संभावना थी वहां केन्द्रीय सरकार ने खरीदारी का प्रबंध भी किया है ।

*२६—श्री यशपाल—क्या गेहूं की खरीद के संबंध में प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के बीच कोई बातचीत चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मूल्य संरक्षण योजना के अन्तर्गत गेहूं की खरीदारी का कार्य प्रादेशिक सरकार को सौंपने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ।

बन्दी गृहों में अविवाहित स्त्रियां

*२७—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के बन्दीगृहों में स्त्रियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनी अविवाहित हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—१० जुलाई, १९६२ को प्रदेश की जेलों में स्त्री बंदियों की कुल संख्या २४२ थी जिनमें से ६ अविवाहित थीं ।

नगरपालिकाओं के लाइब्रेरियनों का वेतन-क्रम

*२८—श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं द्वारा संचालित पुस्तकालयों के लाइब्रेरियनों के वेतन-क्रम निर्धारित करने की क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब तक वह लागू हो जायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं ।

जौनपुर जिले में गृह निर्माणार्थ ऋण

*२९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के अन्तर्गत प्रत्येक तहसील में गृह निर्माण तथा मकान मरम्मत के लिये किन-किन लोगों को और कहाँ-कहाँ कितना-कितना धन लोन या ग्रान्ट के रूप में १९६० लगायत १९६२ अप्रैल तक दिया गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—स्वायत्त शासन शाखा के निवास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अन्तर्गत जौनपुर जिले में वर्ष १९६० से लेकर अप्रैल, १९६२ तक गृह निर्माण हेतु जिन-जिन लोगों को जितना जितना ऋण दिया गया है उसका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पष्ठ ६८१ पर)

*३०-३१—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—[१७ वें गुरुवार के लिये प्रश्न २५-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३२—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—[१२ वें गुरुवार के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

फर्रुखाबाद जिले में शिक्षा संस्थाओं व बाढ़ क्षेत्रों के लिए टीन व लोहे के परमिट

*३३—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के ऐसे कोई आदेश हैं जिसके अनुसार जिले के कोटे में से शिक्षा संस्थाओं को टीन व लोहे के परमिट नहीं दिये जा सकते ? फर्रुखाबाद जिले में जुलाई, १९६१ से दिसम्बर, १९६१ तक कितने आवेदन-पत्र शिक्षा संस्थाओं ने टीन के परमिट के लिये जिला सप्लाई आफिसर को दिये और कितनी शिक्षा संस्थाओं को टीन के परमिट दिये गये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--सरकार के आदेश के अनुसार केवल जूनियर हाई स्कूल तक शिक्षा संस्थाओं को जिले के कोटे से लोहा व टिन मिल सकता है। इन्टरमीडिएट कालेजों को शिक्षा संचालक से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। फर्रुखाबाद में जुलाई, ६१ से दिसम्बर, ६१ तक ३ आवेदन-पत्र शिक्षा संस्थाओं ने टिन की परमिट के लिये दिये। केवल एक संस्था को २५ पनारीदार चद्दरों का परमिट मिला।

*३४--श्री सूबेदारसिंह--क्या रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ (फ्लड) के सिलसिले में गतवर्ष कितनी टीन का कोटा फर्रुखाबाद जिले को दिया गया और कितने व्यक्तियों को टीन के परमिट दिये गये? क्या बाढ़ के सम्बन्ध में टीन के कोटे को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ब्लैक मार्केट में बेचने की सूचना सरकार को प्राप्त हुयी? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्या अब सूचना दिये जाने पर सरकार इस मामले की जाँच करायेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--फर्रुखाबाद जिले में बाढ़ के सिलसिले में गत वर्ष ११ मैट्रिक टन पनारीदार चद्दर का कोटा दिया गया। ७६ व्यक्तियों को टिन दिये गये। ब्लैक मार्केट में टिन बेचने की कोई सूचना सरकार को नहीं प्राप्त हुई। ब्लैक मार्केट की सूचना पाने पर सरकार जाँच अवश्य करायेगी।

अध्यक्ष, नगरपालिका, झांसी के विरुद्ध आरोपों की जांच

*३५--श्री लखपतराम शर्मा--क्या स्वायत्त शासन मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के ताराँकित प्रश्न संख्या १-३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध प्रकाशित पुस्तकों से सम्बन्धित जो मुकदमा न्यायालय दीवानी में झांसी में विचाराधीन बताये गये हैं दीवानी में अध्यक्ष द्वारा कब दायर किये गये व पुस्तकों में प्रकाशित अभियोगों की जाँच के लिये राज्य सरकार द्वारा किस माह व किस तारीख व सन् में आदेश हुआ व जाँच दोनों पुस्तकों पर पूर्ण रूप से कब समाप्त हुयी और कब आरम्भ हुयी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह मुकदमा अध्यक्ष ने ९ सितम्बर, १९५९ को दायर किया था।

बुक्लेट नं० १ तथा २ में प्रकाशित अभियोगों पर जाँच के हेतु सरकारी आदेश क्रमशः २ मार्च, १९५९ तथा ९ दिसम्बर, १९५९ को प्रसारित किये गये। उक्त जाँच क्रमशः २१ मार्च, १९५९ और १ मार्च, १९६० को प्रारम्भ हुई तथा १ अगस्त, १९५९ तथा १२ अप्रैल, १९६० को समाप्त हुई।

*३६--श्री लखपतराम शर्मा--क्या स्वायत्त शासन मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के ताराँकित प्रश्न संख्या १-३ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सन् ५९-६० में अध्यक्ष द्वारा इस सम्बन्ध में आवेदन पत्र दिया गया, जो पेश होते समय ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस देसाई द्वारा दिनाँक ८ अप्रैल, १९६० को खारिज कर दिया गया था? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा फिर भी विभागीय कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गयी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--जी हाँ। खारिज होने की तारीख ४ अप्रैल, १९६० है।

चूंकि उन्हीं आरोपों पर जो श्री उदैनिया पर लगाये जाने का विचार था, मामला न्यायालय के विचाराधीन है अतः उस पर आगे की कार्यवाही अभी तक संभव नहीं हो सकी है।

*३७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या स्वायत्त शासन मंत्री उक्त प्रश्नों के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिकप कान्ड से सम्बन्धित अध्यक्ष नगरपालिका झांसी के विरुद्ध क्या शीघ्र मामला न्यायालय में दिया जायेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चूंकि पिकप कांड से सम्बन्धित मामले में श्री उदैनिया, अध्यक्ष, नगरपालिका झांसी के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण अप्राप्य हैं अतः उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना वांछनीय न होगा ।

झींझक टाउन एरिया का मास्टर प्लान

*३८—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिला के अन्तर्गत टाउन एरिया झींझक का कोई मास्टर प्लान बना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उसे टेबिल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ । मास्टर प्लान की प्रतिलिपि† सदन की मेज पर रख दी गई है ।

जौनपुर नगरपालिका की सीमा

*३९—श्री जगन्नाथ (जिला जौनपुर) तथा श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर नगरपालिका की सीमा क्या है ? बाबूपुर (हुसेनाबाद के पास) इस सीमा के भीतर गाँव है या बाहर ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका जौनपुर की सीमा का ब्योरा संलग्न है । बाबूपुर ग्राम इस सीमा के बाहर है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६८२ पर)

जौनपुर नगरपालिका का चुंगी संबंधी प्रस्ताव

*४०—श्री जगन्नाथप्रसाद तथा श्री विश्वनाथप्रसाद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर नगरपालिका बोर्ड के द्वारा यह प्रस्ताव पास होने के उपरान्त कि बिना वापसी के चुंगी की प्रणाली लागू की जाय तथा नियमावली तैयार होने पर उसमें सरकारी सेंक्शन में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका ने यह प्रस्ताव आयुक्त वाराणसी खंड को भेजा था परन्तु उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि नगरपालिका को भारी आर्थिक हानि हो जाती ।

बाराबंकी जिले में प्रान्तीय रक्षक दल के ग्रुप लीडरों की वर्दी

*४१—श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी)—क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में प्रांतीय रक्षक दल के कुल कितने ग्रुप लीडर कार्य कर रहे हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—१५६१ ।

*४२—श्री घनश्याम दास—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त ग्रुप लीडरों को विभाग द्वारा वर्दी में कौन-कौन सी चीजें दी जाती हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—वर्दी में निम्नलिखित चीजें दी जाती हैं—१—कमीज १, २—पैन्ट १, ३—टोपी खाकी १, ४—बेल्ट १, ५—जूता काला १ जोड़ा, ६—मोजा सूती १ जोड़ा ।

---

†प्रतिलिपि छापी नहीं गई ।

*४३—श्री घनश्यामदास—क्या सरकार बाराबंकी जिले के ग्रुप लीडरों की ऐसी सूची देने की कृपा करेगी कि जिससे यह जाहिर हो सके कि किस ग्रुप लीडर को किस तारीख को वर्दी दी गयी है तथा कितने शेष हैं ?

श्री गोविन्द सहाय—व्यक्तिगत रूप से ग्रुप लीडरों में वितरित की गई वर्दी का विवरण देना इस समय सम्भव नहीं है।

आगरा नगरमहापालिका के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव

*४४—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगरमहापालिका ने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करके सरकार को स्वीकृति के लिये भेजा है ? यदि हाँ, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हाँ। सरकार ने समस्त स्थानीय निकायों, जिनमें नगरमहापालिका, आगरा तथा अन्य नगरमहापालिकायें भी शामिल हैं, के सम्बन्ध में ये आदेश प्रसारित कर दिये हैं कि यदि कोई स्थानीय निकाय अपने आप वेतन भोगी कर्मचारियों को जिनका वेतन २०० रुपया मास तक है, ५ रुपया मासिक विवेक भत्ता (Discretionary Allowence) देना चाहती है तो दे सकती है।

जौनपुर जिले में कोयले के लाइसेंसी

*४५—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कोयले के कौन-कौन से लाइसेंसी कहाँ-कहाँ हैं और १९६१ की जनवरी से १९६२ के अप्रैल तक कितना-कितना कोयला प्रत्येक को दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जौनपुर जिले के कोयले (साफ्ट कोक) के लाइसेंसी, उनके व्यापारिक स्थान तथा पूछी गयी अवधि के अन्तर्गत उन्हें दिये गये कोयले की मात्रा निम्नाँकित है :

नाम लाइसेंसी	व्यापारिक स्थान	दिये हुये कोयले की मात्रा (वैगन)
१—सर्वश्री रामरूप राजरूप	जौनपुर	३
२—सर्वश्री महादेव प्रसाद सालिक राम	,,	६
३—श्री लक्ष्मी शंकर मेहरोत्रा	,,	६
४—श्री राम चन्द्र चौबे	,,	६
५—सर्वश्री गयाराम बद्री राम	,,	७
६—श्री अब्दुल मजीद	,,	४
७—सर्वश्री बाबू लाल कचौरीलाल	,,	८
८—श्री अंगनू सेठ	,,	६
९—श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव	,,	६
१०—सर्वश्री सुन्दर लाल सरजू प्रसाद	,,	७
११—सर्वश्री अमीर अहमद वशीर अहमद	शाहगंज	४
१२—सर्वश्री अम्बिका प्रसाद लाल जी	मुंगराबादशाहपुर	३

बस्ती नगरपालिका के चौकीदारों की मांगें

*४६—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास बस्ती नगरपालिका के न्यून वेतन प्राप्त चौकीदारों का कोई मांग-पत्र वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में आया है? यदि हां, तो सरकार ने उनकी मांगों पर क्या विचार किया है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, जिलाधीश से रिपोर्ट मंगाई थी वह अधूरी प्राप्त हुई है अतः पुनः रिपोर्ट मंगाई गई है।

मनकापुर—लकड़मण्डी सड़क पर चुंगी लेने में आपत्ति

*४७—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में नवाबगंज नगरपालिका की चुंगी चौकी जो मनकापुर-नवाबगंज सड़क पर स्थित है क्या नगरपालिका क्षेत्र से बाहर है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, उक्त चौकी नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर है।

*४८—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—यदि हां, तो मनकापुर से लकड़मन्डी सड़क पर आने व जाने वाले सामान पर जो नगरपालिका के बाहर के बाहर है, नगरपालिका चुंगी वसूल कर लेती है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

*४९—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—यदि हां, तो नगरपालिका चुंगी किस आधार पर वसूल करती है और क्या सरकार इसको रोकने का आदेश देगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगरमहापालिका की मोतीमोहाल मलिन बस्ती निपातन योजना

*५०—श्री शारदानन्द तथा श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के मोतीमुहाल में स्थित मकान सं ६५/१०० से लेकर मकान सं० ६५/२०० तक के मकानों को सरकार की गिरवाने की योजना है? यदि हां, तो कब तक? उपरोक्त सभी मकान गिराये जावेंगे या कुछ और उनके मकान नम्बर क्या-क्या होंगे तथा गिराये जाने वाले मकानों के मालिकों को सरकार मुआविजा किस हिसाब से देगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—कानपुर नगर महापालिका की मोतीमुहाल मलिन बस्ती निपातन योजना के अन्तर्गत मोतीमुहाल, कानपुर के चक संख्या ६५ में ११ मकानों को अर्जित करने की कार्यवाही चल रही है। इन मकानों का नम्बर ६५/१३१, ६५/१३२, ६५/१३३, ६५/१३५-ए, ६५/१४०, ६५/१४१, ६५/१४१-ए, ६५/१४३, ६५/१४४, ६५/१४५ व ६५/१४६ है। ये मकान वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही अर्जित करके गिरा दिये जायेंगे इनके अतिरिक्त इस चक में और किसी मकान को गिराने की स्वीकृति नहीं है। इनके मकान मालिकों को मकानों का मुआवजा लैंड एक्वीजीशन आफिसर के "एवार्ड" के अनुसार दिया जायगा।

तुलसीपुर नोटीफाइड एरिया की गजट में घोषणा

*५१—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तुलसीपुर टाउन एरिया जिला गोंडा १ फरवरी, १९६२ से नोटीफाइड एरिया गवर्नमेन्ट गजट में घोषित हो चुकी है परन्तु कार्य अभी तक टाउन एरिया कमेटी से ही चलाया जा रहा है? उक्त नोटीफाइड एरिया कमेटी किस तारीख से कार्य करना शुरू करेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—तुलसीपुर में १ जुलाई, १९६२ से नोटीफाइड एरिया घोषित हो गई है और पुरानी टाउन कमेटी कार्य नहीं कर रही है। निर्वाचन कराने की कार्यवाही रही है। निर्वाचित कमेटी के कार्य शुरू करने का निश्चित दिनांक बताना सम्भव नहीं है।

*५२—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी** (जिला खीरी)—[२० अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

हमीरपुर जिले के लिये टिन की सप्लाई

*५३—**श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले के सप्लाई विभाग द्वारा अक्तूबर, सन् १९५९ से अब तक कितने इंडेन्ट टिन के लिये भेजे गये, कितने टन टिन की मांग उन इंडेन्ट्स में की गयी, उसके फलस्वरूप कितना टिन सरकार द्वारा स्वीकार किया गया तथा वास्तव में कितना टिन हमीरपुर जिले को मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अक्तूबर, सन् १९५९ से अबतक ६ इंडेन्ट जिला पूर्ति विभाग द्वारा भेजे गये जिनमें १२२ टन टिन की मांग की गई और सरकार द्वारा सब स्वीकार किया गया। इन इंडेन्ट के अन्तर्गत २२ टन टिन की प्राप्ति हुई है।

*५४—**श्री डूंगरसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में कितने दूकानदारों को टिन बेचने का लाइसेन्स दिया गया है और उनका कितना रुपया टिन के लिये जमा करा लिया गया है परन्तु उनको सरकार द्वारा टिन नहीं दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमीरपुर जिले में केवल एक दुकानदार को टिन बेचने का लाइसेन्स दिया गया है और उसका ७ हजार रुपया बतौर ऐडवान्स आयरन स्टील कम्पनी, कलकत्ता के पास जमा है। इसके विरुद्ध सप्लाई यथासमय होगी।

*५५—**श्री डूंगरसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस बीच जो जिले को टिन मिला है उसमें कितना बाढ़ के लिये था और कितना सरकारी कार्य के लिये ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हमीरपुर जिले में उपरोक्त २२ टन टिन के अतिरिक्त ९ टन टिन के ब्लाक परमिट प्रान्तीय लोहा नियन्त्रक द्वारा मिले। बाढ़ तथा सरकारी कार्य के लिये अलग से कोई टिन नहीं मिला।

*५६-५८—**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर**—[२० अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला जेल उरई में विजिटरों द्वारा मुआयना

*५९—**श्री शिवनाथसिंह**—क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला जेल उरई के सरकार द्वारा नामजद किये गये १ जनवरी, १९६० से ३१ जनवरी, १९६२ तक कौन-कौन से जेल विजिटर रहे और उनमें से किन-किन ने उक्त अवधि में कितने बार कब-कब जेल का मुआयना किया ?

श्री गोविन्दसहाय—१—श्री चन्द्रभान विद्यार्थी,
२—श्री बद्रीप्रसाद पुरवार
३—श्री राजनारायण मिश्र,
४—श्रीमती राजकुमारी रायजादा,

परन्तु ये लोग जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक के लिये ही जेल विजिटर नियुक्त थे। मुआयना करने की तिथियों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६८३ पर)

*६०.....श्री गंगाप्रसादसिंह—[२० अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

कुवानों रेंज, गोंडा दक्खिनी के उप-अरण्यपाल के पास प्रार्थना-पत्र

*६१.....श्री नवरंगसिंह (जिला गोंडा)—क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुवानों रेन्ज गोंडा दक्खिनी के वनाधीश के पास कितने प्रार्थना-पत्र जंगल के किनारे बसने वालों के मिले हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, कुवानों रेंज, गोंडा दक्षिणी के उप-अरण्यपाल के पास जंगल के किनारे बसने वालों के कुल ५२० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

*६२—श्री नवरंगसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रेन्ज में कितने प्रार्थना-पत्र मिले उनमें कितने पर वनाधीश अपना फैसला दे चुके और कितने अब भी बाकी हैं ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां। उक्त रेंज में जितने भी प्रार्थना-पत्र मिले हैं, उन पर उप-अरण्यपाल अपना फैसला दे चुके हैं।

*६३.....श्री नवरंगसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रेंज के काश्तकारों का फैसला वनाधीश बरसात के पहले कर देंगे ? अगर हां, तो किस महीने तथा किस तारीख तक ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—जी हां, सब प्रार्थना-पत्रों पर फैसला हो चुका है, अतः वर्षा के पहले उनका निर्णय करने का प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर, वन खंड क्षेत्र के ठेकेदारों पर बकाया

*६४.....श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर वन खंड क्षेत्र में ठेका लेने वाले किन-किन जंगलों के ठेकेदारों पर कितना-कितना रुपया सरकार का दो वर्ष और इससे अधिक समय से शेष है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—आवश्यक सूचना संलग्न सूची† में दी गई है।

*६५—६६.....श्री मतोलासिंह—[१२ वें मंगलवार के लिए प्रश्न २३—२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

अलीगढ़ नगरपालिका में विद्यालयों के कथित असुरक्षित भवन

*६७.....श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका द्वारा संचालित १२ विद्यालय भवनों के असुरक्षित घोषित होने के कारण बंद कर देने का आदेश हुआ है ? यदि हां, तो छात्रों की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*६८—६९.....श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—[२० अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

स्थानीय निकायों के चुनाव

*७०.....श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरियाओं का चुनाव वह कब तक कराने का विचार कर रही है ?

---

†सूची छापी नहीं गई।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इन स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि का अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं हुआ।

*७१—**श्री मोहनलाल वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार विधान सभा की Seat Single हो गयी है वह नगरपालिका में भी single क्षेत्र बनाने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—जी नहीं।

मिर्जापुर नगरपालिका तथा कछुआ टाउन एरिया के चुनाव

*७२—**श्री भगवान दास** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगामी आम नगरपालिकाओं के चुनाव के साथ सरकार मिर्जापुर नगरपालिका का भी चुनाव कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगामी आम नगरपालिकाओं के चुनाव के साथ मिर्जापुर नगरपालिका का चुनाव नहीं हो सकेगा और न अभी तक कोई तिथि ही इसके लिये निर्धारित की जा सकी है।

नगरपालिका मिर्जापुर १२ फरवरी, १९६२ से एक वर्ष के लिए सुपरसीड कर दी गई थी और जब तक इसकी हालत का सुधार पूरे तौर पर न हो जाय इसको सुपरसीड रखना ही उचित होगा।

*७३—**श्री भगवानदास**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगामी आम नगरपालिकाओं के चुनाव के साथ सरकार कछवा टाउन एरिया, मिर्जापुर का चुनाव कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आम नगरपालिकाओं के चुनाव को पहिले ही कछवा टाउन एरिया (मिर्जापुर) में चुनाव कराने का विचार है।

आशा की जाती है कि सितम्बर, १९६२ तक इस टाउन एरिया में चुनाव करा दिये जायेंगे।

सहारनपुर नगरपालिका समितियों के चुनाव

*७४—**श्री ब्रह्मदत्त मायर**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि पिछले दो साल में सहारनपुर नगरपालिका में भिन्न-भिन्न कमेटियों के चुनाव हुये है या नहीं ? यदि हुए हैं तो उन कमेटियों के प्रधानों के नाम क्या हैं और यदि नहीं तो क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—१९६० में जो चुनाव हुये थे उनके प्रधानों के नाम संलग्न सूची में हैं। सन् १९६१ में कमेटियों का चुनाव तो हुआ पर उनके चेयरमैनों का चुनाव नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में पूछ ताछ की जायगी।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६८४ पर।)

मुगलसराय में धर्मशाला वाली गली का मामला

*७५—**श्री ऊदल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुगलसराय नगरपालिका में स्थित आढ़त रोड के बगल में धर्मशाला रोड से आती हुई गली के मुख्य द्वार को बन्द करने के लिये आढ़त के हीरालाल-बिहारी लाल ने नगरपालिका मुगलसराय से कोई नक्शा पास कराया है ? यदि नहीं, तो नगरपालिका ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नगरपालिका मुगलसराय न ऐसा कोई नक्शा पास नहीं किया है। प्रश्न नहीं उठता।

*७६—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि मुगलसराय के पचासों नागरिकों ने जिलाधीश, वाराणसी को एक पत्रक २ मार्च, १९६२ को दिया था जिसमें उक्त गली के रास्ते में जमा बालू, ईंटें, मिट्टी, रोड़े आदि हटवाने की प्रार्थना की गई थी? यदि हां, तो उक्त पत्रक पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जिलाधीश वाराणसी को ऐसा कोई पत्रक नहीं प्राप्त हुआ है। प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर में पानी की दिक्कत तथा म्युनिसिपल टैक्सों का विरोध

*७७—श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में दिनांक ८ मई, १९६२ को नागरिक समिति, गाजीपुर की मीटिंग मुहम्मद अशफाक के अध्यक्षता में हुई थी और शहर के नागरिकों को पानी की काफी दिक्कत है और कुछ व्यक्तियों पर गलत ढंग से टैक्स म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा लगाया गया है इस पर विचार किया गया और कमेटी इस विषय पर जिलाधीश से मिली और उनको एक प्रार्थना-पत्र दिया? उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। नागरिक समिति भी इस विषय में जिलाधीश गाजीपुर से नहीं मिली और न ही उसने जिलाधीश को कोई प्रार्थना-पत्र दिया। अतः उस पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका, बलरामपुर के विरुद्ध आरोप

*७८—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सत्य है कि बलरामपुर नगरपालिका के पांच सदस्यों ने सार्वजनिक रूप से नगरपालिका प्रशासन के विरुद्ध २१ आरोप लगाये थे? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां, लेकिन १९ आरोप लगाये गये थे जिन पर जिलाधीश गोंडा से रिपोर्ट मांगी गई है।

*७९—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सही है कि बलरामपुर नगरपालिका के कृषि फार्म के १३ बीघे में जो कांटेदार फेंसिंग लगी थी उसे किसी ने चुरा कर गायब कर दिया है? यदि हां, तो क्या एक सदस्य द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करने के लिये कहे जाने पर भी रिपोर्ट नहीं की गई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जांच करवाने पर ज्ञात हुआ है कि कृषि फार्म सन् १९५८ में ही समाप्त कर दिया गया था और उसकी भूमि इत्यादि भी बोर्ड द्वारा नीलाम कर दी गई। कांटेदार फेंसिंग के चोरी होने की कोई सूचना शासन को नहीं है।

बाराबंकी जिले में टीन का कोटा

*८०—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में कितने महीने से टीन का कोटा नहीं प्राप्त हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बाराबंकी में टीन का कोटा २० जून, १९६२ को प्राप्त हुआ था।

नगरपालिका आगरा की घटवासन योजना में हस्तगत भूमि का मुआवजा

*८१—श्री खेमचन्द (जिला आगरा), श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा) तथा श्री भूपसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगरपालिका द्वारा जो घटवासन योजना लागू की जा रही है उसमें कितनी गरीबों की आबादी उजाड़ दी जायेगी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—आगरा नगर महापालिका की घटवासन योजना के अन्तर्गत कई योजनायें सम्मिलित हैं किन्तु कलेक्टर, आगरा को केवल मोटर ट्रक स्टैंड योजना भेजी गई है जिसमें १४४ व्यक्तियों के मकान अर्जित किये जाने हैं।

*८२—श्री खेमचन्द, श्री बनवारीलाल बिप्र तथा श्री भूपसिंह—क्या इस प्रकार से हस्तगत की जाने वाली भूमि का उसके मालिकों को मुआवजा दिया जायगा ? यदि हां, तो किस हिसाब से और वह मुआवजे की रकम कितनी होगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुआवजा अवश्य दिया जायगा और उसकी दर व धनराशि वही होगी जो लैंड एक्वीजीशन आफिसर अपने "एवार्ड" में निश्चित करेंगे।

*८३–८५—श्री चन्द्रजीत—[१४वें गुरुवार के लिये प्रश्न २७–२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बलिया जिला जेल

*८६—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला के अन्तर्गत जिला कारागार में १ वर्ष अथवा एक वर्ष से कम के सजा पाये हुए कितने बन्दी हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—ऐसे बन्दियों की संख्या ६६ है।

*८७—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला जेल से दिसम्बर, १९६१ से अब तक दफा ८ प्रोबेशन ऐक्ट के अनुसार कितने व्यक्तियों की रिहाई की दरख्वास्त सरकार के पास आई है जिनकी सजा १ वर्ष से कम की है ?

श्री गोविन्दसहाय—१७ व्यक्तियों की।

वाराणसी जिला जेल के सिपाहियों की मांगों पर विचार

*८८—श्री चन्द्रबली—क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल वाराणसी के जेल के सिपाहियों द्वारा कोई पत्रक उन्हें हाल में मिला है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, उस पत्रक की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६८५ पर)

*८९—श्री चन्द्रबली—क्या कारागार मंत्री यह भी बतायेंगे कि उनकी मांगों की पूर्ति हेतु क्या सरकार कोई निश्चय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गोविन्दसहाय—ये मांगें शासन के विचाराधीन हैं।

*९०–९१—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—[७ वें गुरुवार के लिए प्रश्न २९६–२९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

वाराणसी नगरपालिका द्वारा अनियमित कर लगाने का श्री दुर्गादास भट्टाचार्य का आरोप

*९२—श्री गिरधारीलाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के प्रश्न १३ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्ताव सं० १३, दिनांक १८ मार्च, १९६० बजट के तखमीनों की चर्चा करने के लिये अधिवेशन की कार्यवाही नहीं थी ? यदि हां, तो बजट अधिवेशन में कर लगाने का प्रस्ताव कैसे आया और क्या मंत्री महोदय उक्त प्रस्ताव संख्या १३ की सही प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--यह सही है कि दिनांक १८-३-१९६० का प्रस्ताव संख्या १३ बजट के तखमीनों पर विचार के निमित्त महापालिका की कार्यवाही थी। उस कार्यवाही के दरमियान कर-आरोपण का प्रस्ताव पारित करना अनियमित नहीं था। प्रस्ताव संख्या १३ दिनांक १८-३-१९६० की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६८६-६८७ पर)

*९३--**श्री गिरधारीलाल**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के अधिवेशन दिनांक २६ सितम्बर, १९६० को कार्यस्थगन प्रस्ताव संख्या ३५९ एक घंटा विचार के लिये प्रस्तावानुसार स्वीकृत हुआ था? क्या उक्त प्रस्ताव के बहस के दौरान में वहां के मुख्य नगरअधिकारी ने यह कहा था कि "१५ प्रतिशत जो वसूल कर रहे हैं उसे धारा १७२ (१) में प्रस्ताव पारित करना है। बजट में एकमुश्त रकम रक्खी गयी थी। उसमें क्लीयर प्रस्ताव नहीं है कि नगरमहापालिका १५ प्रतिशत वसूल करेगी" (महापालिका पत्रिका वाराणसी वर्ष १ सं० २ के पृ० ९९ की पंक्ति १०, ११ तथा १२) यदि हां, तो बिना सम्पत्ति कर लगाने का प्रस्ताव पारित किये कर की वसूली कैसे हुई?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--कथित तिथि को प्रस्ताव संख्या ३५९ महापालिका की बैठक में विचार के लिये आया उस पर बहस हुई परन्तु मतदान नहीं हुआ। मुख्य नगर अधिकारी के वक्तव्य के जिस अंश का उल्लेख प्रश्न में है उसका उत्तरांश है। उसे वक्तव्य के पूर्वांश के क्रम में पढ़ना चाहिये। पूर्वांश इस प्रकार है--

"धारा १४८ के अन्तर्गत प्रस्ताव में जहां तक समझता हूं कि उसमें कोई अनियमितता नहीं है फिर भी यदि कोई खामियां रह गई हैं तो रिवाइज्ड बजट में पुनः निश्चय किया गया ऐसा कर दें तथा खामी को दूर कर दें।"

वक्तव्य के उत्तरांश में जो कुछ भी कहा गया था और जिसका उल्लेख प्रश्न में है वह इस प्रधान तर्क के मातहत था। इस प्रकार यह कहना ठीक नहीं है कि कर लगाने का प्रस्ताव पारित हुये बिना कर की वसूली की गई।

*९४--**श्री गिरधारीलाल**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक २६ सितम्बर, १९६० के ३५९ नम्बर कार्यस्थगन प्रस्ताव की बहस के बाद दिनांक १ नवम्बर, १९६० को ३७० नम्बर का प्रस्ताव स्वयं मुख्य नगर अधिकारी ने प्रस्तावित किया था और क्या उक्त प्रस्ताव संख्या ३७० के विरुद्ध श्री दुर्गादास भट्टाचार्य सभासद नगरमहापालिका, वाराणसी की शिकायत दिनांक ५ नवम्बर, १९६० शासन को प्राप्त हुयी थी? उक्त प्रस्ताव संख्या ३७० मुख्य नगर अधिकारी द्वारा स्वयं प्रस्तावित करके महापालिका अधिनियम की धारा १०१ (१) का स्पष्ट उल्लंघन क्यों किया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--दिनांक १-११-१९६० के महापालिका के अधिवेशन में प्रस्ताव संख्या ३७० मुख्य नगराधिकारी ने नहीं प्रस्तुत किया बल्कि उन्होंने उसे महापालिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निमित्त अधिवेशन के पहले ही प्रेषित कर दिया था। इसका अधिकार उन्हें "महापालिका तथा उसकी समितियों के अधिवेशनों के आयोजन का तथा ऐसे अधिवेशनों में सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विनियमन करने वाली नियमावली" के नियम संख्या ९ व २५ में है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम की धारा १०१(१) का उल्लंघन नहीं हुआ। उपर्युक्त प्रस्ताव के विरुद्ध श्री दुर्गादास भट्टाचार्य की शिकायत दिनांक ५-११-१९६० शासन को प्राप्त हुई थी। उस पर विचार किया गया और कर अनियमित रूप से लगाये जाने का आरोप गलत पाया गया। श्री भट्टाचार्य को यही सूचित कर दिया गया था।

बस्ती में हरिजन नलकूप हटाने की शिकायत

*९५—श्री श्यामलाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती गांधीनगर पिकौरा शिवगुलाम मुहल्ले में एक नल हरिजनों के प्रयोग के लिये वर्षों से लगा हुआ था उसको गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती के धर्मदेव त्रिपाठी मास्टर ने हटवा कर अपने कम्पाउन्ड में लगवा लिया है जिससे हरिजनों में बड़ा असन्तोष फैला हुआ है और उनको बड़ी परेशानी हो रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह गलत है कि सम्बन्धित नल को श्री त्रिपाठी ने अपने कम्पाउन्ड में लगवाया है।

*९६—श्री श्यामलाल—क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*९७-९९-श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[२० अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को पेंशन देने का सुझाव

*१००—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिकाओं के अन्तर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों की भांति पेंशन नहीं दी जाती है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी हां।

*१०१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार इन कर्मचारियों को पेंशन देने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया पर अधिकांश नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह निर्णय किया गया है कि पेंशन देने की योजना अभी स्थगित रक्खी जाय।

बाराबंकी जिले में नवीन नोटीफाइड एरियाज न स्थापित होना

*१०२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—क्या सरकार बाराबंकी जिले की सुबेहा, हैदरगढ़, भलेवल, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज, को टाउन एरिया या नोटिफाइड एरिया घोषित कर इस पिछड़े क्षेत्र को उन्नत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—सुबेहा, हैदरगढ़, भलेवल, सिद्धौर व त्रिवेदीगंज की जनसंख्या कम होने के कारण इतनी आमदनी होने की सम्भावना नहीं है कि वहां टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया की स्थापना की जा सके।

गोंडा जिले में नवीन टाउन एरियाज स्थापित करने की योजना

*१०३-श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सही है कि सरकार जिला गोंडा में मथुरा बाजार, पचपेड़वा, महराजगंज परसपुर एवं मनकापुर को टाउन एरिया बनाने जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन को और कब तक ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। शीघ्र निर्णय लिय जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

धौरहरा क्षेत्र में नल लगवाने की लागत

*१०४—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धौरहरा असेम्बली क्षेत्र खीरी में पानी कितनी गहराई पर है और वहां जो एल०एस० जी० ई० डी० द्वारा नल लगे हैं, उनमें कितना ब्लाइन्ड पाइप लगा है, और उस पर ३०० रुपये फी नल जो खर्च के सरकार ने बतलाये हैं उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—धौरहरा असेम्बली क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में भूगर्भ जलमान (Sub-soil water level) भिन्न-भिन्न है परन्तु धौरहरा ग्राम में हैन्ड पम्प लगाते समय वहां का भूगर्भ जलमान लगभग १५ फीट था। तराई क्षेत्र में लगे सभी हैन्ड पम्पों को दृष्टि में रखते हुये औसत रूप से प्रत्येक नल में लगभग ४१ फीट ब्लाइन्ड पाइप डाला गया।

इन नलों को लगवाने की कुल लागत, जो सरकार को देनी पड़ी, औसत रूप से लगभग ३०० (तीन सौ) रुपया प्रति नल आती है जिसका ब्योरा निम्नलिखित है—

	रु०
१—नलों को उचित स्थान पर निरूपण (Specification) के अनुसार मय सामान की सप्लाई के केवल पाइप व छन्ने (Strainer) की कीमत छोड़कर लगाना तथा निरूपण (Specification) के अनुसार पक्का चबूतरा, नाली तथा पानी इकट्ठा होने का शोषण गर्त आदि बनाना—लगभग	२८०
२—१ १/२ इंच व्यास जी० आई० नल की कीमत लगभग ..	५८
३—छन्ने (Strainer) की कीमत—लगभग ..	२७
४—अन्य खर्चे—(लगभग)	७
कुल योग ..	३७२
चन्दे द्वारा एकत्रित औसत धनराशि ..	(–) ७३ रु० लगभग
प्रति नल औसत वास्तविक खर्च	२९९ रु० .. अर्थात् ३०० रु०

*१०५—१०७—श्री केसरीप्रसाद (जिला जौनपुर)—[२० अगस्त, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

जेल वार्डरों के वेतन में बढ़ोत्तरी न होना

*१०८—श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जेल के वार्डरों को, पुलिस सिपाहियों को दी गयी बढ़ोत्तरी क्यों नहीं दी गयी ?

श्री गोविन्दसहाय—पुलिस और जेल दो अलग-अलग विभाग हैं, अतः एक विभाग के कर्मचारियों को दी गयी बढ़ोत्तरी दूसरे विभाग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती।

मुरादाबाद नगरपालिका के स्वास्थ्य कर्मचारी तथा सफाई मजदूर

*१०९—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद नगरपालिका के स्वास्थ्य कर्मचारियों को गत तीन वर्षों से महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो महंगाई भत्ता न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह सत्य नहीं है ।

*११०—श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बतायेंगे कि मुरादाबाद के पुराने सफाई मजदूरों को बेजा तौर पर मुअत्तल किया जाता है और अनुचित लाभ उठाने के लिये तुरन्त नये व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो जुलाई सन् १९६१ से गत १५ मई तक कितने कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया और उनके विरुद्ध क्या आरोप है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—ऐसा तो नहीं है ।

बदायूं जिले में ईंट के भट्ठे

*१११—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा के द्वितीय सत्र सन् १९५९ के तीसरे सोमवार (२२-२-६०) के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर में बताया गया था कि जांच हो रही है परन्तु दिनांक २८ मई, १९६२ के प्रश्न संख्या ६५ के उत्तर में मंत्री द्वारा बताया गया कि मामला विचाराधीन है, तो निर्णय देने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस सम्बन्ध में सरकारी निर्णय की सूचना जिलाधीश को दे दी गई है ।

*११२—श्री उल्फतसिंह—क्या यह सत्य है कि भट्ठे का परमिट ३१ मार्च, १९६० को समाप्त हो गया था ? यदि हां, तो १९६१ में भट्ठा क्यों नहीं चला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह सत्य है कि भट्ठे का परमिट ३१-३-६० को समाप्त हो गया था । शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*११३—श्री उल्फतसिंह—क्या यह सत्य है कि उक्त भट्ठे के विरुद्ध अनधिकृत कोयला जमा करने की शिकायत थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । सरकार ने उक्त भट्ठे के सम्बन्ध में उचित आदेश दे दिये हैं ।

कारपोरेशन व म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन में विषमता

*११४—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—कारपोरेशन व म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों के वेतनों, महंगाई व दैनिक भत्तों आदि के रेटों में और अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, महंगाई व दैनिक भत्तों आदि के रेटों में एवं आपस में जो विषमता है उसे दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? उक्त विषमता के क्या कारण हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शासन इस विषमता को दूर करने के लिये इच्छुक अवश्य है परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है । विषमता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) नगरमहापालिकाओं व नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते और सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा महंगाई भत्ते में पहले से ही विषमता चली आ रही है, जिसका मुख्य कारण इनकी आर्थिक स्थिति है ।

(२) नगरमहापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा ऐसी नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों को उसी दर से वेतन दे सकें जिस दर से सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है।

(३) नगरपालिका के कर्मचारियों में विषमता का कारण यह भी है कि उनको जिस वर्ग की वह नगरपालिका होती है उसी के अनुसार वेतन मिलता है।

(४) नगर महापालिकाओं तथा नगरपालिकाओं के लिये यह संभव नहीं है कि यह यकायक अपने कर्मचारियों को, जिस दर से सरकारी कर्मचारियों को वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलता है, वेतन तथा महंगाई भत्ता दे सकें।

*११५—श्री रघुवीर—[हटा दिया गया।]

*११६-११७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—[२० अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा नक्खास मार्केटिंग स्कीम का कार्यान्वयन

*११८—श्री रियासत हुसैन रिजवी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नक्खास मार्केटिंग स्कीम के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ नगरमहापालिका को कितने लाख रुपया कर्ज के रूप में दिया और इस स्कीम के सम्बन्ध में नगरमहापालिका ने क्या कार्य किया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ नगर महापालिका को १० लाख रुपये का ऋण नक्खास मार्केटिंग योजना के लिये कर्ज के रूप में दिया गया। यह योजना महापालिका द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। भूमि अर्जित करने की लागत तथा विकास का एस्टीमेट बन चुका है। भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

*११९—श्री रियासत हुसैन रिजवी—[७ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला जेल बाराबंकी का ट्यूबवेल

*१२०—श्री रामआसरे (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल बाराबंकी में पावर न मिलने के कारण ट्यूबवेल बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो कब से और इस ट्यूबवेल को चलाने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री गोविन्दसहाय—जी नहीं।

*१२१-१२३—श्री गेंदासिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—[२० अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२४-१२५—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—[२० अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

नगरमहापालिक, कानपुर में गंगा घाटों की व्यवस्था

*१२६—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी के कितने घाट नगरमहापालिका कानपुर के अन्तर्गत हैं और उनको ठेके पर देने की क्या व्यवस्था है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—२५ घाट। उनको ठेके पर देने की कोई व्यवस्था महापालिका की ओर से नहीं है।

*१२७—श्री हमीद खां—नगरमहापालिका कानपुर के अन्तर्गत गंगा घाटों की मरम्मत की कोई व्यव था नगरमहापालिका कानपुर की ओर से की गई है ? यदि नहीं तो क्या भविष्य में इन घाटों की मरम्मत की व्यवस्था करने का विचार किया जावेगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—थोड़ी बहुत मरम्मत कभी-कभी महापालिका की ओर से की जाती है । महापालिका से कहा जायगा कि वे इस ओर और अधिक ध्यान दे ।

*१२८-१३०—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—[२० अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

गरौठा तहसील में बिना कुएं के गांव

*१३१—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिला की गरौठा तहसील में कितने ऐसे ग्राम हैं जहां पानी पीने के कुएं नहीं हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—केवल दो गांव ऐसे हैं ।

काशी में मिली लोहे की छड़ों की जांच

*१३२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १५ मई, १९६२ को रात्रि में लगभग ६,००० रु० की लोहे की छड़ें पुलिस ने काशी में लावारिश पड़ी प्राप्त की हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह कहां से चुरा कर लाई गईं थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । लोहटिया मोहल्ले में कुछ छड़ें लावारिश पड़ी मिलीं । यह पता नहीं चल सका कि ये छड़ें कहां से चुराकर लाई गईं थी । पुलिस की जांच जारी है ।

जेल सुधार समिति स्थापित करने की जानकारी

*१३३—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या कारागार मंत्री का विचार जेल सम्बन्धी सुधारों के लिये एक कमेटी बनाने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोविन्दसहाय—जी नहीं ।

*१३४—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके विचारणीय विषय क्या होंगे ?

श्री गोविन्दसहाय—प्रश्न नहीं उठता ।

*१३५—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—[३० अगस्त, १९६२ के लिये प्रश्न ११४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सप्लाई विभाग के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि तथा स्थायीकरण पर विचार

*१३६—श्री रक्षपालसिंह—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सप्लाई विभाग में जिन बातों को ध्यान में रख कर सरकार ने जिला सप्लाई अफसरों की तनख्वाह बढ़ाने का निश्चय किया है उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार उस विभाग के इंस्पेक्टर, लिपिक तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने का विचार करेगी तथा क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को स्थायी करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वे बातें, जिनको ध्यान में रखकर जिला सप्लाई अफसरों की तनख्वाह बढ़ाने का निश्चय किया गया, इन्सपेक्टरों तथा लिपिकों के केस में पूर्णतया लागू नहीं होती है तिस पर भी सरकार इस सुझाव पर सोच विचार करेगी । कर्मचारियों के स्थायी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*१३७-१३८—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—[हटा दिये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में जंगल की लकड़ी का वितरण

१—श्री दुर्योधन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ से लगायत मई, १९६२ तक गोरखपुर जिले में कितने लोगों को शिड्यूल रेट पर और कितने लोगों को सहायतार्थ जंगल की लकड़ी दी गयी है ?

श्री अलगूराय शास्त्री—गोरखपुर जिले में जनवरी, १९६१ से मई १९६२ तक १,५७२ व्यक्तियों को शैड्यूल्ड रेट पर लकड़ी दी गई और १,२३९ टांगिया कृषकों को निःशुल्क लकड़ी दी गई ।

२—श्री दुर्योधन—[हटा दिया गया ।]

३—६—श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—[८ व गुरुवार के लिये प्रश्न ४-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं इस वक्त बोल रहा हूं ।

श्री लखपतराम शर्मा—फिर समय नहीं दिया जायगा । यह प्रश्नों से सम्बन्धित है मामला ।

श्री अध्यक्ष—कहिये ।

श्री लखपतराम शर्मा—मुझे यह निवेदन करना है कि मैंने कुछ प्रश्न किये थे जो ४६, ४७ और ४८ नम्बर पर आज थे । मैंने प्रश्नों में यह पेश किया था कि झांसी में पम्पिंग स्टेशन को फूंक दिया गया था और वहां पर राम सहाय कमिश्नर ने तेजाब की बोतल पकड़ी . . . . .

श्री अध्यक्ष—व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री लखपतराम शर्मा—मुझे जो उत्तर दिया गया है, उसमें इस चीज को बिलकुल गायब कर दिया गया है कि वहां पर रामसहाय कमिश्नर ने उस जगह पर तेजाब की बोतल पकड़ी और पुलिस को सूचना दी । मुझे, लिख कर दिया गया है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहां मुकदमा दिया गया, उसमें सबूत नहीं पहुंचा ।

श्री अध्यक्ष—आपका यह कहना है कि उत्तर संतोषजनक नहीं है ?

श्री लखपतराम शर्मा—असंतोषजनक ही नहीं है बल्कि सत्यता को छिपा कर उत्तर दिया जाता है और प्रश्न इतने आगे कर दिये जाते हैं कि उनका नम्बर ही नहीं आता है ।

श्री अध्यक्ष—यह बात व्यवस्था के प्रश्न में नहीं आती ।

श्री लखपतराम शर्मा—तो कैसे आयेगी, बता दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—आप मेरे पास कमरे में आइये । वहां पर बता दिया जायगा ।

श्री लखपतराम शर्मा—आप यहां पर नहीं बता सकते हैं और आप कह रहे हैं कि कमरे में आइये ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय ३ के अधीन बने नियमों में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २१८७/१(क)—३६०३—५९, दिनांक २३ जून, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, (कठिनाइयों को दूर करने का) (द्वितीय) आदेश, १९६२*

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या १४१४—ए/३३—२०-आर—६२, दिनांक १८ जुलाई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (कठिनाइयों को दूर करने का) (द्वितीय) आदेश, १९६२ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २७२ की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

पंचायत राज विभाग की विज्ञप्ति के अधीन प्रख्यापित शपथ लेने अथवा भारत के संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने के संबंध में नियम*

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २८७७—ए/३३—५७-आर—६२, दिनांक १८ जुलाई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित शपथ लेने अथवा भारत के संविधान के प्रति निष्ठा प्रकट करने के सम्बन्ध में नियम को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों तथा राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार के माध्यम के संबंध में नियमावली*

श्रम मंत्री के सभासचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—मैं पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या २०२९—ए/३३—११-आर—६१, दिनांक १८ जुलाई, १९६२ के अधीन प्रख्यापित गांव पंचायतों या क्षेत्र समितियों तथा राज्य सरकार के बीच और जिला परिषद् तथा राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारियों के बीच पत्र-व्यवहार के माध्यम के सम्बन्ध में नियमावली को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, अधिनियम, १९६१ की उपधारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—मैं युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ में वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-२०९०/१०—९४८ (५—ए)—१९६०, दिनांक १२ सितम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

* छापे नहीं गये ।

अध्यक्ष महोदय, इस विज्ञप्ति को सदन की मेज पर समय से रखने में असावधानी हो गई और उसके लिये विभाग को यह हिदायत कर दी गई है कि आगे इस तरह की भूल न होने पावे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । १ सितम्बर की विज्ञप्ति यह है और माननीय मंत्री जी आज इसे रख रहे हैं । इनको उन कारणों पर प्रकाश डालना चाहिये, जिनकी वजह स यह देर हुई । तो कारणों पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला और एक लहजे में आगे बढ़ गये । तो कृपाकर वह उन कारणों पर प्रकाश डालें कि किन कारणों से यह विज्ञप्ति सदन की मेज पर नहीं रखी गई, जबकि सदन पहले भी चला और नया सदन जब बना तब वह भी चला ।

श्री अध्यक्ष—माननीय उग्रसेन जी, जहां तक मैं समझा हूं, उन्होंने यह कहा कि विभाग की गलती थी । उनकी असावधानी से यह नहीं रखी गई । अब विभाग को यह कह दिया गया है कि भविष्य में यह असावधानी न हो ।

श्री उग्रसेन—तो माननीय मंत्री जी भी तो जिम्मेदार हैं उसके लिये । वह उसके लिये सदन से क्षमा मांगें ।

श्री अध्यक्ष—अब क्षमा ही है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ के अधीन वित्त विभाग की विज्ञप्तियां*

श्री वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अधीन प्रख्यापित वित्त विभाग की विज्ञप्तियों संख्या एस० टी० ३३९१/१०-१०१२ क-१९६२ तथा संख्या एस० टी० ३३९२/१०-१०१२-१९६२, दिनांक १ जुलाई, १९६२ को उक्त धारा की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास विशेषाधिकार की दो सूचनायें आयी हैं । एक माननीय काशीनाथ जी की है । वह माननीय तुलसीराम त्रिपाठी मंत्री क्षेत्रीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उरई के विरुद्ध है । एक उन्होंने कोई विज्ञप्ति वितरित की है सदन में या कहीं, मैंने अभी उसको पढ़ा नहीं है, उसके सम्बन्ध में है । उसको मैं अभी देख रहा हूं । उसके बारे में फिर बताऊंगा ।

और एक माननीय लखीसिंह का माननीय गेंदा सिंह जी के संबंध में आया है । यह भी मैं देख नहीं सका हूं । देखने के पश्चात् मैं इन पर कार्यवाही करूंगा ।

श्री काशीनाथ (जिला बलिया)—श्रीमन्, यह जो लखी सिंह वाला है, यह तो सदन में घटी हुई बात के विषय में है ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, ऐसा नियम है कि जिसके विरुद्ध शिकायत की जाती है, उसको भी उसकी प्रतिलिपि भेजी जाती है ।

श्री अध्यक्ष—बिलकुल आप ठीक कहते हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—मैंने भेज दिया प्रतिलिपि ।

श्री अध्यक्ष—उसका कायदा यह है कि मैं उसको देखूंगा । अगर वह प्राइमाफेसी केस बनता है, जिसे कहते हैं प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है, तो फिर मैं आपको इसकी सूचना की प्रतिलिपि भी दे सकता हूं, आपसे बात भी पूछ सकता हूं । फिर उसकी जो प्रक्रिया है वह हो सकती है ।

---

*छापी नहीं गयीं ।

[श्री अध्यक्ष]

इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि अगर सदन के प्रत्यक्ष कोई बात हुई हो तो फिर नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने यह पढ़कर सुना दिया और आप सदन को बता दीजियेगा। इसको देखकर मैं बता सकूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किया था ?

श्री अध्यक्ष—मैं उसी को देख रहा हूं। माननीय कृष्णानन्द राय ने ३ तारीख को एक प्रश्न उठाया था इस सदन में और वह इस प्रकार से था। "मैं इस सदन के अपमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आज सुबह प्रश्नों के बाद हमारे सदन के एक आदरणीय सदस्य श्री नेकराम शर्मा ने श्री अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वे स्वयं सदन के नियमों की अवहेलना किया करते हैं और उनके रवइये से उनके दल को बड़ी शिकायत है।" मैं इस प्रश्न को उसी समय उठाना चाहता था, लेकिन उस समय उन लोगों ने वाक आउट करना चाहा और उनकी पूरी बात मैं नहीं सुन सका। अतएव मैंने सोचा कि प्रोसीडिंग देखूं कि वे शब्द क्या आये हैं। मैंने जाकर प्रोसीडिंग देखी। इस पर श्री उग्रसेन ने कहा कि "यह किस विषय पर बोल रहे हैं। यह नोटिस दे रहे हैं या कुछ और"। इस पर माननीय कृष्णान्दराय जी ने फिर कहा कि "श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री नेकराम शर्मा ने यह कहा था कि अध्यक्ष महोदय स्वयं नियमों का पालन नहीं करते। यह इस सदन का अपमान है और इसी का मैं नोटिस देना चाहता हूं।" इस पर श्री उपाध्यक्ष ने यह आदेश दिया था कि "इस प्रश्न के साथ-साथ सदन का समय भी समाप्त होता है। इसलिये यह प्रश्न ले तो लिया गया परन्तु अगले दिन बहस इस पर होगी।"

अब मेरे सामने जो कार्यवाही है उसमें नेकराम जी शर्मा ने जो शब्द प्रयुक्त किये थे वह इस प्रकार से थे कि "हमारे दल को बड़ा अफसोस है कि अध्यक्ष महोदय नियमों का पालन नहीं करते स्वयं और आपके रवइये से हमको बड़ी शिकायत है। इसलिये घंटे के लिये हम सदन का परित्याग करते हैं।" ये उनके शब्द हैं। (माननीय नेकराम शर्मा) आपको इस संबंध में क्या कहना है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—मुझे नियम के अनुसार इसकी प्रतिलिपि मिलनी चाहिये। जब प्रतिलिपि मिल जायगी तो उसके बाद मैं बताऊंगा। मैं कृष्णानन्द राय जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रश्न को उठाया और यह विशेषाधिकार समिति में जाना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमन्, नियम ६४ के अन्तर्गत जब सदन के समक्ष ऐसी बात हुई हो तब कोई फार्मल कम्पलेंट देने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री गेंदासिंह—माननीय कृष्णानन्दराय जी का यह कहना है कि सदन के समक्ष यदि कोई बात हो तो उस पर कम्पेलेन्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने लिखकर दिया है वह प्रापर कम्पलेंट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने अभी लिखकर नहीं दिया है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—उस समय कृष्णानन्दराय जी ने केवल यही शब्द कहे थे माननीय उपाध्यक्ष ने उस पर यही कहा था कि जो कुछ उनको कहना होगा वह लिखकर देंगे। हमने उस समय जानना चाहा था कि वह किस विषय पर बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना भाषण देना शुरू कर दिया। अब जो कुछ उनको शिकायत है वह उनको लिखकर देना चाहिये। परम्परा के अनुसार जो विशेषाधिकार का प्रश्न होता है उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य को दी जाती है उसी के साथ जो माननीय अध्यक्ष को दी जाती है। अब जब तक नेकराम जी शर्मा को उसकी प्रतिलिपि न मिल जाय तो वह क्या निवेदन कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नियम यह है परन्तु यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। तो अब....

श्री उग्रसेन—यह सदन कार्यवाही कर रहा है या कार्यवाही उन्होंने उठायी है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय नेकराम जी, आप....

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—उन्होंने आपत्ति की है कि उन्हें उस शिकायत की प्रति नहीं मिली है और आप कह रहे हैं कि सदन के समक्ष कही गयी है। तो आप नियम ६८ को को देखें। उसमें साफ कहा गया है कि "(१) यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो और विषय सदन के सामने लाया जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायगी, यदि नियम ६४ के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा उसकी सुनवाई पहले ही न हो चुकी हो।" और दूसरे में कहा गया है कि "(२) शिकायत की एक प्रति, उस दस्तावेज की एक प्रति के साथ सदस्य को दी जायेगी, जिस पर शिकायत आधारित है और सदस्य को अध्यक्ष की अनुमति से अधिकार होगा कि वह सब दस्तावेजों का निरीक्षण कर सके।" आपने नियम ६४ में कहा कि यह घटना सदन के समक्ष हुई, इसलिये आवश्यक नहीं है कि प्रति दी जाय। उसमें भी चार तरीके बतलाये गये हैं। किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा, अथवा समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा सदन की सूचना में लाया जा सकेगा। यदि सदन के सामने यह घटना हुई तो सचिव की तरफ से नोटिस दिया जाता। लेकिन जब एक माननीय सदस्य शिकायत कर रहे हैं और उन्होंने एक लिखित शिकायत भी आपके पास भेजी है तो उचित यही होगा कि उनकी शिकायत की एक प्रति माननीय नेकराम जी को दी जाय। जो कुछ कार्यवाही में उन्होंने कहा है उसकी प्रतिलिपि भी उनको दी जाय कि उसमें क्या छपा है। उसे वह देखें और उसके बाद उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय। उसके बाद ही विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—पहले मैं नियम पढ़ कर सुना दूं ताकि दिक्कत न हो। नियम ६४ में यह कहा गया है कि किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार की अवहेलना को अध्यक्ष की सम्मति से—(१) किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, (२) सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, (३) याचिका द्वारा, अथवा (४) समिति की ओर से प्रतिवेदन द्वारा सदन की सूचना में लाया जा सकेगा। सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा,जो लिखा हुआ है, उसकी व्याख्या नियम ६५ में की है। वह यह है कि अगर किसी सदस्य को, शिकायत हो तो वह लिखित देगा। जो सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहे वह उस दिन उपवेशन आरम्भ होने से पूर्व सचिव को लिखित सूचना देगा। यदि शिकायत का आधार कोई दस्तावेज हो तो मूल दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी।" तो ऐसी अवस्था में लिखित सूचना आवश्यक हो जाती है। किन्तु नियम ६४ और ६५ को ६४ के परन्तुक के साथ पढ़ना चाहिये और परन्तुक यह है कि "यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा।" तो यहाँ शिकायत आप के सामने की ही है। एक माननीय सदस्य इस सदन के समक्ष जो घटना हुई, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो शिकायत और लिखित शिकायत का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो सदन के प्रत्यक्ष में जो बात हुई, उसके संबंध में कोई भी सदस्य ध्यान आकर्षित कर के शिकायत कर सकता है और अगर वह जिनके विरुद्ध शिकायत को उपस्थित हो तो उसी समय स्पष्टीकरण हो सकता है। जैसा कहा गया कि नोटिस की आवश्यकता है, जिसके लिये नियम ६८ पढ़ा, वह यह है "यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो और विषय सदन के सामने लाया जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायेगी, यदि नियम ६४ के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा उसकी सुनवाई पहले ही न हो चुकी हो। "(२) शिकायत की एक प्रति, उस दस्तावेज की एक प्रति के साथ सदस्य को दी जायेगी जिस पर शिकायत आधारित है।"

[श्री अध्यक्ष]

अगर लिखित शिकायत की आवश्यकता नहीं है, तो लिखित शिकायत की प्रतिलिपि देने का भी प्रश्न नहीं उठता । इस संबंध में जो स्थिति है वह यह है कि कोई लिखित शिकायत नहीं है । एक घटना इस सदन के समक्ष हुई, और उसकी तरफ माननीय सदस्य ने सदन का ध्यान आकर्षित किया । अब माननीय नेकराम जी अगर कोई स्पष्टीकरण अपना देना चाहते हों, तो वह दे सकते हैं।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, माननीय नेकराम शर्मा जी को बुलाने से पहले मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हू । माननीय अध्यक्ष को इतने व्यापक अधिकार हैं, नियमों के सस्पेंड करने का, नियमों के अलावा भी गौर करने का, तो जितने अधिकार हैं, उनमें मैं समझता हूं कि उसमें कामनसेंस की भी काफी गुन्जाइश है और इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय जी का कहना यह है कि यह इम्प्रापर कम्पलेंट है, इस संबंध में प्रापर कम्पलेंट करने की जरूरत नहीं है ।

एक सदस्य---आपकी समझ में इम्प्रापर है ।

श्री गेंदासिंह---खैर, मैं इसको छोड़ देता हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैंने सुना उसके अनुसार माननीय नेकराम जी ने एक बात कही और कहने के बाद वे सदन से बाहर चले गये और उसके बाद यह भी लिखा हुआ है कि सदन उठ गया. . . .

श्री अध्यक्ष---उस वक्त सदन बैठा था ।

श्री गेंदासिंह---ठीक है, मैंने, हो सकता है, ठीक न सुना हो । इतनी बात सही है, वह उठ कर सदन से बाहर चले गये । तो ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि वे कम्पलेंट को सुनते रहे हों । यह हो सकता है कि उनको उसकी जानकारी न रही हो । तो ऐसी हालत में वे कैसे तैयार हो कर आ सकते हैं अपना स्पष्टीकरण देने के लिये ? मैं समझता हूं कि यहाँ पर आपको अपने स्वविवेक के इस्तेमाल करने की आवश्यकता है और आप यह समझ लें कि उनको इसकी जानकारी नहीं है । इसलिये आप उनको दूसरा कोई मौका दें, कल का समय दे दें, या जो समय आप समझें, ताकि वे तैयार हो कर आयें और अपना स्पष्टीकरण दे सकें। इस समय उनका स्पष्टीकरण लेना असामयिक होगा ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, इस विषय के दो पहलू हैं---मैं समझता हूं कि एक तो व्यवहारिकता का पहलू है और दूसरा नियम का पहलू है। बिना सूचना के किसी से स्पष्टीकरण मागना, मेरी समझ से, थोड़ा-सा अव्यावहारिक होगा और जो परिस्थितियाँ सदन में रही हैं और जैसा कि गेंदा सिंह जी ने इशारा किया है, उस स्थिति में यह जरूर निवेदन करूंगा कि इसमें अव्यावहारिकता नहीं आनी चाहिये । इस समय अगर आप एक्सप्लेनेशन लें तो जैसा कि नियम में कहा गया है माननीय सदस्य को सूचना हो, वह पद्धति आप अपनाएं । जैसे कोई भी माननीय सदस्य अवहेलना करते हैं और इम्मीजिएट नोटिस लिया जाय तो उसके लिये यह प्राविधान है कि आप तुरन्त ले सकते हैं, नोटिस की आवश्यकता नहीं है । लेकिन माननीय कृष्णानन्द जी का पत्र पढ़ा गया, वे स्वयं सर्टेन नहीं थे कि हाउस में क्या कहा गया और इसी लिए उन्होंने प्रोसीडिंग्स को देखने की बात कही । यह घटना १-२ बजे की रही होगी, उसके काफी समय बाद यह नोटिस दिया गया । इसलिये चूंकि कम्पलेंट करने वाले सज्जन स्वयं सर्टेन नहीं थे और उन्होंने प्रोसीडिंग्स देख कर नोटिस दिया इसलिये यह नियम ६८ के अन्तर्गत आना चाहिये और माननीय नेकराम शर्मा को प्रापर नोटिस मिलना चाहिये ।

श्री उग्रसेन---मैं उस समय मौजूद था । कार्यवाही उठाकर देखिये । उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया कि लिखित नोटिस दीजिये और उन्होंने सदन में कहा कि मैं नोटिस दूंगा । तो जब उन्होंने उस दिन सदन में कहा कि नोटिस दूंगा तो यह नियम ६४-६५ में नहीं आता है, नियम ६८

के अन्दर आता है। लिखित नोटिस दिया जाना चाहिये और उसकी एक प्रतिलिपि नेकराम जी शर्मा को दी जानी चाहिये यों तो सदन के समक्ष बहुत-सी घटनाएं हुई हैं जिन पर श्रीमान को नोटिस लेना चाहिये या अगर शिकायत न हो तब सचिव महोदय विराजमान हैं इन को शिकायत हो या याचिका समिति की शिकायत हो तब तो कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत शिकायत की और उसके लिये सदन में कहा कि कल नोटिस मैं दूंगा तो नियम ६८ के अन्दर आना चाहिये।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---मुझे इतना निवेदन करना है कि अभी आपने जो नियम ६४ का परन्तुक पढ़ा, 'परन्तु यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा' वह यह सिद्ध करता है कि उस समय स्वयं आप उसको ले सकते थे, किसी सदस्य द्वारा इंगित करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस हो चुकी है।

कुंवर श्रीपालसिंह---तो मेरे कहने का मतलब यही है कि इस धारा के अन्तर्गत यह नहीं आता, नियम ६८ में आता है इसलिये उसी के अन्तर्गत विचार करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष- श्री दीपनारायण सिंह जी, आप दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग दुनिया में पढ़ा जायगा, इसलिये हम सब की राय सुनने के बाद अपनी रूलिंग दें। मैंने अध्याय ११ को पूरा तरह पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचा कि उक्त परन्तुक का अर्थ यह है कि अगर सदन के समक्ष घटना हो तो सदन स्वयं उस पर राय देगा, तब आपकी सम्मति की भी आवश्यकता नहीं है। चूंकि उस दशा में भी अगर सदन समझता है कि अवहेलना हुई तो नोटिस देकर रूल ६८ की पाबन्दी हर दशा में होगी, कहीं भी नियम ६८ में यह नहीं लिखा है कि ऐसी नोटिस नहीं दी जायगी। बल्कि उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो और विषय सदन के सामने लाया जाय तो उक्त सदस्य को सूचना दी जायेगी, यदि नियम ६४ के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा उसकी सुनवाई न हो चुकी हो। चूंकि उक्त परन्तुक के अन्तर्गत आपके द्वारा इस विषय की सुनवाई नहीं हुई, इसलिये नियम ६८ के अनुसार हर दशा में आपको सूचना देना अनिवार्य है। अगर आप पहले सुनवाई कर लिये होते तब इसमें कोई सूचना की आवश्यकता नहीं थी....

श्री अध्यक्ष---यह तो बहस हो चुकी है।

श्री दीपनारायणसिंह---संबंधित घटना इस रूप में नहीं हुई है। माननीय नेकराम जी सदन के बाहर चले गये थे, इसलिये एक अभियुक्त की हैसियत से जिस घटना के बारे में नोटिस दी गई उसका एक-एक शब्द उनको जानना जरूरी है। यह सदन है और आप यहां पर सिर्फ मुन्सरिम का काम करते हैं इस सदन की अदालत में। आपकी राय के खिलाफ भी सदन को निर्णय करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--आप क्या कहना चाहते हैं, सभी बातें तो कही जा चुकी हैं। आप बैठ जायं।

श्री दीपनारायणसिंह--हाउस आफ कामन्स में २६ अक्तूबर को जो रूलिंग हुई है उसमें भी यही है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें।

श्री दीपनारायणसिंह--आपके सामने यदि यह कहा जाय कि आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो इसमें कन्टम्ट आफ स्पीकर नहीं होता....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये ।

अब मैं श्री नेकराम जी से पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि नोटिस चाहिये तो नोटिस के बाद तब आप अपना बयान देंगे ?

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है । पिछले दिन उपाध्यक्ष महोदय ने निश्चित तरीके से माननीय कृष्णानन्द राय से कहा था कि आप नोटिस दीजिये इसके बारे में, उस समय उपाध्यक्ष महोदय आपकी कुरसी पर आसीन थे तो वह क्या समझ कर कहे ? आप कोई व्यवस्था देने के पहले इस प्वाइन्ट आफ आर्डर का फैसला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---अब जो हमारे रिकार्ड में है, उसी को मैं सही मानूंगा । उपाध्यक्ष महोदय ने कहा था "इस प्रश्न के साथ-साथ सदन का समय भी समाप्त होता है । इसलिये यह प्रश्न ले तो लिया गया परन्तु अगले दिन बहस इस पर होगी ।"

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख हुआ उन युक्तियों को सुनकर जो कि माननीय विरोधीदल के नेताओं ने प्रस्तुत कीं । कल जब मेरा ध्यान इस बात की ओर आमंत्रित किया गया, मैंने अपना यह कर्तव्य समझा कि मैं विभिन्न दलों के नेताओं से बातचीत इस संबंध में करूं । मैं सभी नेताओं से बातचीत करने का प्रयत्न किया, किन्तु गेंदासिंह जी को प्रयत्न करने पर भी मैं न पा सका, जेड० ए० अहमद साहब भी नहीं मिले, राघवेन्द्र प्रताप सिंह जी भी नहीं मिले, उग्रसेन जी को मैंने फोन नहीं किया, विरोधीदल के नेता जी को मैंने फोन किया और जो घटना यहां हुई थी उसके संबंध में मैं उनसे बातें की और विरोधीदल के नेता के सम्मुख मैंने अपने दृष्टिकोण को रखा और उस दृष्टिकोण से वे पूर्णतया सहमत थे कि सदन में ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिये, आवेश में भी नहीं होनी चाहिये, जिससे इस सदन की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को धक्का लगे । उन्होंने कहा कि वे और लोगों से इस संबंध में बातें करेंगे । मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या बातें कीं । लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि यह हमारा परम पुनीत कर्तव्य है, चाहे वे इधर के लोग हों अथवा उधर के हों कि यदि आवेश में किसी माननीय सदस्य से कोई भूल हो जाय तो उसके लिये हमें नियमों की शरण लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये परन्तु उस समय हमारा यह परम पुनीत कर्तव्य है कि सदन की मान मर्यादा को रखने के लिये हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि यदि आवेश में ऐसे शब्द निकल गये जिनसे सदन की मान मर्यादा को धक्का लगा अथवा अध्यक्ष के प्रति अश्रद्धा प्रकट हुई तो उसके लिये हमें खेद प्रकट कर देना चाहिये और हमें ऐसी परम्पराएं डालनी चाहिये जिनसे इस सदन की मान-मर्यादा बढ़े ।

मैं नियमों का तो पंडित नहीं हूं, मेरे सामने जो माननीय नेतागण बैठे हैं उन्होंने नियमों का अधिक अध्ययन किया होगा, परन्तु यदि मैं उनकी जगह होता और मेरे किसी साथी से भूल हो जाती तो मैं उसको यही सलाह देता कि तुमसे यह आवेश में भूल हो गयी है, तुम्हें अपने उन शब्दों को वापिस ले लेना चाहिये बजाय इसके कि नियमों की शरण लेकर मैं यह कहता कि उसके लिये नोटिस चाहिये और जो घटना हो गयी उसकी हमें कापी चाहिए । मैं तो केवल एक मोटी-सी बात जानता हूं कि यदि माननीय नेतागण समझते हैं कि वह बात सदन के सामने नहीं कहनी चाहिये थी तो उसके लिये उस सदस्य द्वारा खेद प्रकट किया जाना चाहिए ।

आज मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय नेकराम जी आज ऐसी जगह हैं कि मैं उनको सलाह नहीं दे सकता, एक जमाना था जब मैं उनको सलाह दे सकता था और मेरी सलाह को वे मानते भी थे । लेकिन आज वे विरोधीपक्ष में हैं । लेकिन विरोधीपक्ष में रहने के यह माने नहीं हैं कि आज मेरा उनके ऊपर यह अधिकार नहीं रहा कि उनसे जो गलत बात हो गयी है, उसके लिये उन्हें मैं कोई सलाह न दे सकूं । क्योंकि हमसे गुस्से में बहुत-सी बातें गलत हो जाती हैं, इसलिये मेरी उनसे इस विषय में सलाह यह है कि आवेश में जो बात उन्होंने भूल से कह डाली है ऐसी बात को वापिस लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये । यही हमारा सदन की मर्यादा रखने का ढंग है न कि नियमों के अन्तर्गत कोई तरकीब ढूंढ़ना और जो भूल हो गयी है उससे बचने की चेष्टा करना । मैं बहुत नम्रतापूर्वक माननीय नेता विरोधीदल और विभिन्न दलों के नेताओं से निवेदन

करूंगा कि यदि आपके पीछे बैठने वाले किसी नौजवान से कभी कोई भूल हो जाय, गलती हो जाय और आवेश में गलती हो जाय तो उनका और आपका सबका कर्त्तव्य होना चाहिये कि हम ऐसे साथी से नम्रता से निवेदन करें कि तुमने ऐसी भूल की है, तो वह उस भूल का निराकरण कर सकता है और कह सकता है कि हमने आवेश में कुछ बात कह दी, हमारा मतलब यह नहीं था और न हम कोई अध्यक्ष के प्रति अश्रद्धा रखते हैं और न प्रकट करना चाहते हैं सदन की मान मर्यादा को रखने के लिये। तो वे इस प्रकार का व्यवहार करें। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बहुत से नियमों को उक्तियां दी गयी हैं, उनसे मैं असहमति प्रकट करता हूं और जो आपने कहा—मैं समझता हूं वही सही बात है कि सदन में एक बात हुई उसके बारे में सदन में विचार कर सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह सही बात है कि माननीय मुख्य मन्त्री से टेलीफोन पर मेरी बात हुई और मैंने उनसे निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में और लोगों से बातें करनी हैं, लेकिन नियमों के सम्बन्ध में असेम्बली में कुछ बातें करने का अवसर तो मिले। मुझे दुख है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हम लोगों के लिये तो रोष में न आने की बात कही, लेकिन वे खुद बहुत जल्दी में आकर एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। खैर, वह अलग बात है। परन्तु श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि यह सही बात है कि मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे कहा था कि मैं औरों से बात करूंगा, लेकिन कल मुझे बात करने का अवसर नहीं मिला।

श्री उग्रसेन—चूंकि मुख्य मन्त्री ने मेरा नाम लिया है और सभी नेताओं का नाम लिया है, इसलिये मुझे भी स्पष्टीकरण का मौका दिया जाय और इसके लिये मुझे केवल दो मिनट दे दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आप पहले बोल चुके हैं, अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री नेकराम शर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विचार प्रकट किये हैं यह सही बात है कि माननीय मुख्य मन्त्री के आदेश को मैंने इस जीवन में कभी टाला नहीं है और न टालूंगा। श्रीमन्, मेरा उनका सम्बन्ध बहुत रहा है और वह टूट नहीं सकता। जो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि चूंकि वे विरोधी दल में चले गये हैं, इसलिये मेरी बात वह न मानें, ऐसा नहीं है। श्रीमन्, प्रश्न तो यह है कि इस सदन में अक्सर मैं कहता रहा हूं कि माननीय सदस्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। मैंने जो आपसे यह कहा था कि अध्यक्ष महोदय, आप भी नियमों का पालन नहीं करते, उसके पीछे उसकी एक पृष्ठ-भूमि थी। आपके कमरे में मुझ से जो आपकी बातचीत हुई, उसको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। आपने कुछ हद तक मेरी बात को सही माना और मुझसे कहा कि मैं तो तुमको बच्चा समझता हूं। सदन में नियमों के न पालन की बात जो मैंने कही, उसके पीछे जो बातें हैं उनकी दो-चार बातें मैं बतला सकता हूं। जिस दिन यह बात हुई उस दिन मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में चला गया और जब वहां से सुबह लौट कर आया तो माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ सदन में एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया है, जिस सम्बन्ध में कुछ बात करनी है। सदन में इसका तुम कुछ जवाब मत देना। जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, उस कुर्सी की मान मर्यादा के लिये यदि मुझे अपना जीवन भी देना पड़े तो उसके लिये मैं तैयार हूं और इसकी मैं बराबर चेष्टा करूंगा कि इसकी मान-मर्यादा रहे। मैं इस सदन में करीब दस वर्ष से हूं और बराबर मैंने अध्यक्ष की आज्ञा मानी और नियमों का पालन किया है। नियमानुसार जब अध्यक्ष खड़े हों तो किसी माननीय सदस्य को नहीं खड़ा होना चाहिये, लेकिन यहां देखा जाता है आपके खड़े होने पर भी अक्सर सदस्य लोग खड़े हो जाते हैं, यहां पानी भी पीने की प्रथा है, आप भी यहां पानी मंगा कर पीते हैं, इस तरह से नियमों का पालन नहीं होता है और इसी लिये मैंने कहा था कि यहां नियमों का पालन नहीं होता। मेरी मंशा इस कुर्सी का निरादर करने की कभी नहीं रही। हां, यह मैं अवश्य कह सकता हूं कि उस दिन रोष में आ गया था और यह कहा कि नियम ३१५ का पालन नहीं हुआ है आप की व्यवस्था थी, और असरकारी प्रस्ताव आ गया है जब ऐसी बात

[श्री नेकराम शर्मा]

हुई तो मैंने उपाध्यक्ष महोदय से कहा और व्यवस्था का प्रश्न उठाया उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने रखूं। मैंने उस वक्त कहा था कि मैं सहमत नहीं हूं और मैं महसूस करता हूं कि सदन के नियमों का पालन कड़ाई से होना चाहिये और यहां माननीय सदस्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उसमें आप भी शामिल हैं। मैं तो सब से पहले सजा पाने के लिये तैयार हूं अगर मैं सदन के नियमों का पालन नहीं करता। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं कभी ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता और न कहना चाहता हूं कि जिससे माननीय अध्यक्ष या किसी माननीय सदस्य को ठेस लगे और मेरी किसी बात से यदि माननीय अध्यक्ष को या किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिये खेद प्रकट करने के लिये तैयार हूं और उनकी हर बात को मानने के लिये तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्तव्य के बाद यह विषय समाप्त किया जाता है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय भीखा लाल जी की एक सूचना स्वीकार की है। उसे मैं पढ़े देता हूं—

"गत तीन-चार दिनों के अन्दर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों पर सशस्त्र डकैतों का हमला हुआ है और लूट-मार हुई। पहली घटना लखनऊ कानपुर लाइन पर स्थित स्टेशन मगरवारा जिला उन्नाव में २-८-१९६२ को हुई। यहां पर डकैतों ने स्टेशन स्टाफ को बुरी तरह पीट कर घायल किया और काफी सम्पति लूट ले गये। दूसरी घटना उन्नाव माधोगंज लाइन पर स्थित स्टेशन माखी जिला उन्नाव में ३-८-६२ को हुई। यहां पर डकैतों ने हमला किया और सहायक स्टेशन मास्टर के ऊपर गोली चलाई। तीसरी घटना फतेहगढ़-कानपुर लाइन पर स्थित स्टेशन खुदागंज जिला फतेहगढ़ में ३-८-६२ को हुई। यहां पर डकैतों ने पूरे स्टेशन स्टाफ को बुरी तरह पीटा और घायल किया और सब के क्वार्टरों में घुस कर हजारों की सम्पत्ति लूट ले गये। इन घटनाओं से उन स्टेशनों का स्टाफ जो आबादी से काफी दूर पड़ते हैं, बहुत भयभीत हैं और अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार दो दिन के अन्दर लगातार तीन स्टेशनों के लूटे जाने से प्रदेश के और विशेषकर उन्नाव व फतेहगढ़ जिलों के स्टेशन स्टाफ में क्षोभ व भय का वातावरण पैदा हो गया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सम्बन्धित मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

इसी तरह से एक माननीय नरसिंह नारायण जी का है, श्री काशीनाथ जी का है और श्री टम्बेश्वरी प्रसाद जी का है, इन सब को मैंने सम्बन्धित मन्त्री जी के पास भेज दिया है। वह कृपया बता दें कि कब तक वक्तव्य देंगे।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—इस विषय में शुक्रवार को वक्तव्य दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—बाढ़ के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मन्त्री को एक वक्तव्य देना था, उन्होंने.....

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वह मैं आज नहीं दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, चूंकि अभी सूचना एकत्र नहीं हुई है इस नियम में जितनी भी बाढ़ के सम्बन्ध में सूचनाएं थीं, वह सब मैंने उनके पास भेज दी हैं, इसलिये राजस्व मन्त्री जी ने लिखा है कि ७ अगस्त के बजाय १० अगस्त को उनका बयान होगा, यह सुविधाजनक होगा और उस समय तक सामग्री इकट्ठा हो जायगी।

माननीय कल्पनाथ जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना भेजी है और दूसरी श्री बांके लाल की है, वह भी मैं माननीय राजस्व मन्त्री के पास भेज दूंगा।

एक सूचना माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने दी है जो मुझे जरा सी कुछ महत्वपूर्ण लगी, इसी वजह से मैं सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं।

"बड़ी गंडक की असाधारण बाढ़ एवं गोरखपुर तथा देवरिया जिले में अतिबृष्टि के कारण गोरखपुर की रोहिन, राप्ती, आमी, कुआनों एवं घाघरा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई है। कई नदियों का पानी जिसमें राप्ती और रोहिन मुख्य हैं, खतरे के बिन्दु के ऊपर पहुंच गयी हैं। बाढ़ ने लाखों एकड़ भूमि को जलमग्न कर दिया है। सबसे खतरे की बात यह है कि बड़ी गंडक नये रास्ते बना कर दोनों जिलों की स्थिति भयावह बनाती जा रही है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय एवं आवश्यक प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाने हेतु विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

इसी प्रकार से माननीय बांके लाल जी का है, वह भी मैंने मन्त्री जी के पास भेज दिया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आधे मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। मैं तो गोरखपुर और देवरिया कल दिन भर घूम कर आया हूं, वहां बड़ा भय है। गोरखपुर की नदियों का नाम बताया गया, लेकिन देवरिया में भी राप्ती, बांसी, छोटी गंडक आदि नदियां भी खतरे के बिन्दु से ऊपर चल रही हैं। इतनी भयंकर स्थिति है, जिस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिये और इसकी सूचना जितनी जल्दी मंगायी जा सके, उतना ही अच्छा है तथा कुछ सहायता की भी व्यवस्था की जा सके तो की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैंने सम्बन्धित मन्त्री जी के पास इसको भेज दिया है कि विशेष रूप से इस पर वह ध्यान दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मुझे मन्त्री जी से इतना कहना है कि वह आज यह बता दें कि देवरिया और गोरखपुर की क्या स्थिति है तथा जिलाधीशों को आदेश कर दें कि जो बाढ़ क्षेत्र के गांव हैं, उनकी मदद करें। ऐसा न हो कि गांव का गांव डूब जाय और आदमी मर जायं। इसके लिये कम से कम टेलीफोन आज खटखटा दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब उग्रसेन जी ने कहा तो मैं फिर खटखटा दूंगा। वैसे मैं रोज खटखटाता रहता हूं। बरसात के दिनों में हर कलेक्टर को चौकन्ना रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब एक और सूचना नियम ५२ के अन्तर्गत आई है, उसको मैं नियम ५२ के अन्तर्गत तो स्वीकार नहीं करता, लेकिन जिन बातों का उन्होंने उल्लेख किया है उनको देखते हुये शिक्षा मन्त्री जी से कहूंगा कि वे कृपया इस सम्बन्ध में अगर अभी वक्तव्य दे सकें तो आज दे दें, नहीं तो कल या परसों दे दें। वह सूचना इस प्रकार से है:—

"गोरखपुर विश्वविद्यालय में बी० ए० द्वितीय का परीक्षाफल १४ जुलाई, सन् १९६२ को प्रकाशित किया है जब कि एम० ए० कक्षाओं में छात्रों का प्रवेश बिलकुल बन्द कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश पाना छात्रों एवं अभिभावकों के लिये यह गम्भीर समस्या है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में उक्त कक्षाओं में स्थान बढ़ाने की बात तो दूर रही, अभी गत सप्ताह विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने उक्त कक्षाओं में कुछ स्थान कम कर दिया है। इससे सैकड़ों छात्र एवं अभिभावकों के लिये एक विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और उनका भविष्य अन्धकारमय है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय शिक्षा मन्त्री से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

[श्री अध्यक्ष]

वैसे तो इसमें कोई शक नहीं, जैसा मैंने काशीनाथ जी से भी कहा, वह एक अटोनामस बाडी है। लेकिन मैं समझता हूं इसमें एक महत्व का भी प्रश्न है कि हमारे नवयुवक जिनका अभी नतीजा निकला है कुछ न कुछ उनके लिये सुविधा ऐसी होनी चाहिये कि यूनिवर्सिटी के विलम्ब करने से उनका एक साल खराब न हो।

माननीय शिक्षा मन्त्री जी आज वक्तव्य देंगे ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)---श्रीमन् तीन दिन का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---ठीक है।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में टिड्डी दल के आक्रमण से क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि अभी तक हमें कोई कापी नहीं दी गई। माननीय मन्त्री टिड्डियों के बारे में बयान देने जा रहे हैं। राजस्व मन्त्री बयान की कापी कभी देते ही नहीं, दूसरे मन्त्री तो दे भी देते हैं।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---यह कोई परम्परा नहीं है कि मुसन्ना दिया जाय। बयान होता है, उसके बाद सवाल होते हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---रेवेन्यू विभाग के मुसन्ने तो मिलते रहते हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कभी-कभी। लेकिन वह अब डिसकंटिन्यु हो गया है।

बदकिस्मती से हमारे राज्य पर एक बहुत बड़े टिड्डी दल ने आक्रमण किया है। ये टिड्डी दल पंजाब और राजस्थान की तरफ से उत्तर प्रदेश में आया था। आजतक लगभग ५२ दल ११ मई से १९ जुलाई तक हमारे प्रदेश में आये हैं। ये टिड्डियां पिंक कलर की और पिंक तथा यलो मिक्स्ड कलर की थीं। लेकिन अंडे देने योग्य नहीं थीं। बड़ी खूंखार थीं। २० जुलाई से करीब आधे दर्जन पीले रंग तथा परिपक्व टिड्डी के दल ने, जो पश्चिम से आया है, अंडे देना शुरू कर दिया है और इसके पूर्व जो टिड्डी दल आये थे वे अब भी प्रदेश के कुछ जिलों में विद्यमान हैं। प्रदेश के सब जिले सिवा टेहरी-गढ़वाल, चमोली, पिथोरागढ़ के मई ११ से अगस्त २, १९६२ तक इन टिड्डी दलों से मुतास्सिर रह चुके हैं। १५ जिलों से खबर मिली है, जहां कि अंडे टिड्डयों ने दिये हैं। ये जिले मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर रामपुर, बदायूं और खीरी हैं। यह अंडे देने का प्रोसेस जारी है। जो मुतास्सिर गांव हैं, उनका सर्वे किया जा रहा है। ७ जिलों में ९७,००० एकड़ भूमि में इन टिड्डियों ने अंडे दिये हैं। अब भी राजस्थान और पंजाब से टिड्डयां आ रही हैं, जिससे खतरा है कि और रकबा बढ़ जाय इफेक्टेड एरिया का। जहां तक नुक्सान का ताल्लुक है जब कि टिड्डियों का हमला जारी है इस वक्त यह कहना सम्भव नहीं है कि कितना नुक्सान हुआ है। इन टिड्डियों के आक्रमण से गन्ना, कपास, फाडर, मेज, ज्वार, बाजरा, धान, अरहर और कुछ फलदार पेड़ों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा पीपल, शीशम, बबूल और महुआ की पत्तियों को ये चाट गई हैं और जो प्रिलिमिनरी तखमीना ११ मई से २ अगस्त तक का बताया है, उससे यह पता चलता है कि २९,३३२ पेड़ और १३,३१० एकड़ भूमि इनसे प्रभावित हुई हैं, जिसकी कैश-वैल्यू अन्दाज किया गया है, १,८०,८७३ रुपये हैं।

कन्ट्रोल मेजर्स के सम्बन्ध में टिड्डियों के मारने के सभी तरीके अख्तियार किये गये हैं। जो हमारा प्लान्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वह जिले के रेवेन्यू और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आफि-

शल्स को पूल करके यह काम करा रहा है। यह रिपोर्ट आई है कि २,६९६ मन टिड्डियां मारी गई हैं और मारने का काम अब भी जारी है। इसके अलावा लोकस्ट डिस्ट्रक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत जिला मैजिस्ट्रेटों को यह अधिकार है कि वे मैन पावर को मोबिलाइज करके इसमें काम लें और उनको यह भी अधिकार है कि गवर्नमेंट के जितने वेहिकिल्स हैं और जो मैन पावर है उनको रेक्वीजीशन करके इस काम में लगा दें, ऐसा वे कर रहे हैं। स्टेट लेविल पर डिप्टी डायरेक्टर, प्लांट प्रोटेक्शन इसको सुपरवाइज कर रहे हैं और हर तरह का डायरेक्शन दे रहे हैं। डिपार्टमेंट से इस वक्त तक ११.१० लाख रुपया मौजूदा साल में मंजूर किया गया है, जहरीली दवायें और मशीनें आदि खरीद करके काम में लाने के लिये। इसके अलावा ऐग्रीकल्चर विभाग ने ६,३४,००,४०० रुपया की मंजूरी बोर्ड आफ रेवेन्यू को दे दी है कि वह लोगों को जहरीली दवायें और मशीनें आदि खरीदने के लिये कर्जा दें। आशा की जाती है कि इससे बहुत कुछ मदद हो जायगी। जो पहले हमारे पास स्टाक था २०० टन दवाओं का और ४०० मशीनों का, वह सब जहां जरूरत है वहां भेजी जा रही है और १५०० मैट्रिक टन और ११,५०० लिटर और जहरीली दवायें और १५५० मशीनें खरीदी गई हैं, यहां से मौके पर पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा फिल्म और पोस्टर्स वगैरह के जरिये पब्लिसिटी भी बहुत काफी की जा रही है और एक काफी लम्बी तादाद आदमियों की एंटी लोकस्ट मेजर्स का काम करने के लिये ट्रेन्ड की गई है। और वह अच्छा काम कर रही है। पहले का जो ट्रेंड स्टाफ है, वह भी जुटा हुआ है और किसान लोग, पंचायत का स्टाफ और सब लोग काम कर रहे हैं, इस तरह जितने जरूरी स्टेप्स हैं वे उनको बरबाद करने के लिये लिये जा रहे हैं। रेमीशन का भी जब अन्दाजा हो जायगा तो कायदे के मुताबिक देने का सरकार विचार रखती है। अमरोहे के बारे में हमारे मित्र ने नोटिस दिया था, इसलिये इस सिलसिले में दो-चार बातें कहना चाहता हूं। २० जुलाई की शाम के सात बजे एक टिड्डी दल अमरोहे से गुजरा। २०, २१ जुलाई की रात को वह ५, ७ गांवों में ठहर गया था और फिर सुबह होते-होते पूरब की तरफ उड़ गया। उन्होंने भी शुगरकेन, काटन और टंचे को १०० एकड़ में नुक्सान पहुंचाया। आम और शीशम के दरख्तों को भी नुक्सान पहुंचाया, जिसके नुक्सान का तखमीना किया जा रहा है। एक छोटा-सा दल २९ जुलाई, को रात को आया था, वह ठहरा नहीं। दो या एक वहां पर ब्लाक है, वहां से साढ़े बारह बजे गुजर गई, ठहरी नहीं, इसलिये नुक्सान का सवाल पैदा नहीं हुआ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। यह जो टिड्डियों के दल का आक्रमण हुआ, उसके लिये जो मन्त्री जी ने दवाई के स्प्रे करने का प्रयोग किया है उसके लिए वे फ्लाइंग क्लब के छोटे हवाई जहाजों द्वारा प्रयोग करायें। यदि आपके पास पर्याप्त संख्या में हवाई जहाज न हों तो भारतीय सरकार से मांग लें और उनका प्रयोग करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—सुझाव अच्छा है और जितना सम्भव होगा उतनी कोशिश की जायगी। जितनी कैपेसिटी होगी उस हद तक उनसे काम लिया जा सकता है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—यह बात देखते हुये कि १,५५० मशीनों की संख्या बहुत कम है और जितने गांव पर हमला हुआ है, उनकी तादाद बहुत अधिक है, इसलिये क्या वे प्रत्येक गांव सभा को इस प्रकार की मशीनें पूरी कीमत पर या जैसे भी दे सकें, देने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसा कि मैंने कहा कि ६ लाख रुपया लोन देने को है, उसमें से वे ले लें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---गांव सभा को तो लोन मिलेगा नहीं और एक व्यक्ति लेकर क्या करेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---गांव सभा को भी मिलेगा ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ५२ टिड्डी दल आये उनमें से कितने दल बच्चा देने वाले थे और कितने नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसमें छांट करना बड़ा मुश्किल है ।

(इस समय १ बज कर ७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये ।)

श्री शिवचरण (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, २९ जुलाई को आगरा जिले की ऐतमादपुर तहसील में टिड्डियों का दल आया, उसने वहां बच्चे भी दिये, तो वहां सरकार ने क्या इन्तजाम किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिलाधीशों को आदेश हैं कि जहाँ-जहाँ यह परिस्थिति हो, वहाँ कार्यवाही करें और कयास है कि ऐसा करते हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन टिड्डियों के जो मुख्य उद्गम स्थल हैं, खास-खास स्थान जहाँ अंडा देती हैं और वहाँ से चलती हैं, वहाँ उनके विनाश के लिये कोई योजना बनायी है और कोई धनराशि स्वीकार की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर वह मुकाम सूबे के बाहर हों तो हमारा कोई वश नहीं है। अगर पाकिस्तान में हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर राजस्थान में हैं तो केन्द्रीय सरकार कर सकती है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अमरोहा में २९ तारीख को जो टिड्डी का दल आया था, वह कोई नुक्सान किये बगैर चला गया। मैं अपनी मालूमात की बिना पर कहता हूं कि दोपहर को टिड्डी दल आया है, शाम तक उसने सारी फसल खराब कर दी। इस तरह से अमरोहा की विशेष परिस्थिति है, इसलिये उनको सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हमको यह रिपोर्ट है कि बैठी ही नहीं। लिहाजा नुक्सान का सवाल नहीं होता। अगर हमारे मित्र लिख कर भेज देंगे, और उन गाँवों के नाम भेज देंगे तो फिर इन्क्वायरी करवा लेंगे।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कुछ वर्ष पहले भी यह सुझाव था कि आम तौर पर टिड्डी दल पंजाब, राजस्थान या पाकिस्तान से आते हैं, तो क्या इस सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि वह अपनी कोई ऐसी योजना बनाये जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान या अफगानिस्तान में जो उद्गम स्थान हैं, उनसे बातचीत करके, टिड्डियों का वहीं विनाश हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उतनी ही जिम्मेदारी है टिड्डियों को नाश करवाने की जितनी हमारी है। हमें चेतावनी देने की आवश्यकता नहीं है। वह खुद जैसा मुनासिब समझेंगे करेंगे।

श्री चन्द्रजीत---सिफारिश आप कर सकते हैं। कई करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई जरूरत है नहीं।

श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)---अलीगढ़ जिले के इगलास तहसील में पूरे गाँव टिड्डियों से भरे पड़े हैं और जो साधन उनके पास हैं उनसे वह उनको मार नहीं पा रहे हैं, टिड्डियां तमाम अंडे दे रही हैं और जब तक विशेष रूप से आप सहायता नहीं देंगे, तो फसल चौपट हो जायगी, उसके लिये क्या इन्तजाम आपने सोचा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---६ लाख से अधिक रुपया लोन के लिये दे दिया गया है, बोर्ड आफ रेवेन्यु को। जो लेना चाहें लें और मशीनें और दवाएं खरीदें और उनका इस्तेमाल करें।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)---क्या राजस्व मन्त्री यह बतायेंगे कि मथुरा जिले में जो राजस्थान और पंजाब और दूसरे स्थानों से टिड्डियों का सबसे बड़ा प्रकोप हुआ है, सबसे अधिक टिड्डियां हमारे जिले में आयी हैं और उन्होंने अंडे भी दिये हैं और सरकार उनके निराकरण के लिये कोई भी प्रभावकारी प्रयत्न नहीं कर रही है, तो क्या उस जिले के लिये राजस्व मन्त्री कोई योजना बनाने के लिये तैयार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो योजना होगी, सारे प्रदेश के लिये होगी। संविधान में डिस्क्रिमिनेशन मना है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या राजस्व मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ६ लाख की ग्रांट उन्होंने दी है, अगर लोगों ने उधार न लिया तो क्या कोई दूसरी योजना टिड्डियों के निराकरण के लिये सरकार ने बनायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब यह है कि उनके पास पैसा है। तो अपने आप खरीदेंगे।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---सरकार ने कैसे अज्युम कर लिया कि वह लोन लेंगे ? एक तो सरकार से लोन मिलने में छः महीने से कम नहीं लगते। बोर्ड आफ रेवेन्यु को देने के मानी यह हैं कि सारी फसल को टिड्डियां खा जायंगी तब लोन पहुंचेगा, तो क्या स्पेशल मेजर्स हैं जिनके द्वारा वह जल्दी लोन प्राप्त कर सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिलाधीश के पास दरख्वास्त दें। उनको फौरन मिलेगा। जब न मिले तो हमको बतायें।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि सर्वप्रथम पश्चिमी जिलों में टिड्डी दल आया था, वहाँ कितना नुक्सान हुआ और सरकार ने क्या उनकी मदद की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैंने जवाब दिया है कि नुक्सान का अन्दाजा किया जा रहा है। जिस वक्त पूरा अन्दाजा हो जायगा, उस वक्त जो कानूनन मदद होगी वह दी जायगी।

श्री नरसिंहनारायण---क्या माननीय राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे और सदन को आश्वस्त करेंगे कि जब उनके पास पूरी रिपोर्ट आ जायगी ५१ जिलों से तो कोई दूसरा स्टेटमेंट सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे जिससे कि मालूम हो सके कि कितना नुक्सान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय सदस्य अगर नोटिस देंगे तो हम जरूर रख देंगे।

श्री नरसिंहनारायण—मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय राजस्व मन्त्री ने बार-बार अपने बयान में कहा कि अभी हमारे पास पूरी सूचना आयी नहीं है, केवल सात जिलों की सूचना आपके पास है, वह भी पूर्ण नहीं है। तो ५१ जिलों में टिड्डियों का हमला हुआ और अभी तक आपके पास पूरी सूचना नहीं आयी तो आज इस बयान को स्थगित करके जिस दिन पूरी सूचना आ जाय, उस दिन वह बयान दें। यह कह देना कि जब आप नोटिस देंगे तो हम रखेंगे, यह तो कुछ ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आज तक जो सूचना थी, वह उन्होंने दे दी। अब आप फिर नोटिस देंगे तो फिर सूचना मिल जायगी।

श्री नरसिंहनारायण—आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिये कि कब तक वह सूचना आ जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—जिस वक्त आपका क्वेश्चन आयेगा, उस वक्त सूचना आ जायगी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—क्या माननीय मंत्री जी मेरी ही रिपोर्ट के आधार पर मुरादाबाद जिले को जो कुल नुक्सान हुआ है, उसमें अमरोहा को सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है, उसको सही मानकर इसकी जाँच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने शायद जवाब दे दिया है कि आप लिखकर देंगे कि फलाँ-फलाँ गाँव में नुक्सान हुआ है तो मैं जाँच करा लूंगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान पंजाब की सरकार की तरफ गया है, जहाँ कि उन्होंने भारत सरकार से तीन प्लेन्स लिये हैं और उनके जरिये बहुत बड़े पैमाने पर दवाइयों का छिड़काव उन्होंने शुरू कर दिया है ? यदि हाँ, तो माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय राजस्व मन्त्री जल्दी से जल्दी भारत सरकार से प्लेन लेकर के दवाई छिड़काने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तक तो हमारा ध्यान उधर गया नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय राजस्व मन्त्री केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देंगे कि वह उस सरकार से बातचीत करें जहाँ से कि प्रथम टिड्डियाँ चलती हैं और जहाँ से आकर के हमारे देश में और पूरे प्रदेश में नुक्सान पहुंचाती हैं, जिससे कि जो उनका गढ़ है वहीं पर वह मारी जा सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री नरसिंहनारायण—माननीय राजस्व मन्त्री ने जैसा अभी बतलाया कि २,६९६ मन टिड्डियां मारी गयीं तो क्या इन टिड्डियों का माननीय मन्त्री जी ने वजन कराया है जो कि मारी गईं और क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि कितना पेट्रोल और दवा वगैरह इसमें खर्च हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यही तो हमारी दिक्कत है कि हम उनको खत्म करायेंगे तो आप हमसे उसकी डीटेल्स पूछेंगे। अन्दाजा किया गया है, तौली नहीं गई हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस समय जहाँ टिड्डियों ने अंडा दे रखा है उनका ठीक पता लगाकर के सरकार ऐसी कार्यवाही करे कि उन अंडों या बच्चों को मारने का प्रयत्न किया जाय, इस प्रकार की कार्यवाही करने की सरकार आवश्यकता समझती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१३–१४ जिलों में उन्होंने अंडे दिये हैं। उनको मारने का इन्तजाम है, सब अंडे बच्चे मारे जा रहे हैं।

लखनऊ नगर के आसपास के गांवों में डाकुओं द्वारा आतंक से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमन्त्री (श्री नवलकिशोर)—विगत सप्ताह में अर्थात् २६ जुलाई से २ अगस्त, १९६२ तक लखनऊ नगर के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो लूटमार और हत्याओं की घटनायें हुई हैं वह इस प्रकार हैं :—

(१) पुलिस चौकी चिनहट के क्षेत्र में २६, २७ जुलाई की रात्रि में ग्राम कसैला, जुगौली, उजरियाँव एवं ग्वारे के पुरवा में एक ही सिलसिले में एक की दस्यु दल द्वारा डकैती तथा राहजनी के ६ घरों में अपराध किये गये जिनमें ग्राम कसैला के श्री महावीर पासी के चोटों के कारण घटनास्थल पर मृत्यु हो गई एवं १४ व्यक्ति घायल हुए। अपराधी कुल मिलाकर ४१० रुपये का माल ले गये। इन घटनाओं को धारा ३९५, ३९६, ३९७ भा० दं० वि० के अन्तर्गत अंकित किया गया।

(२) दिनांक ३०, ३१ जुलाई की रात्रि में ग्राम सेवई, थाना मोहनलाल गंज के क्षेत्र में श्री प्रसाद पासी के घर में राबरी हुई जिसमें अभियुक्तों ने ३ व्यक्तियों को घायल किया और एक स्त्री श्रीमती महादेवी की तत्काल वहाँ मत्यु हो गई। इस घटना में ४ व्यक्तियों ने भाग लिया और वह लगभग २०० रुपये के मूल्य के आभूषण लेकर भाग गये। मुकदमा धारा ३०२, ३९४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत थाने में रजिस्टर हो चुका है।

(३) इसी रात्रि को दिनांक ३०, ३१ जुलाई ग्राम इटौली, सिकोरी और छिन्दइया जो काकोरी थाने के अन्तर्गत है, लूटपाट एवं नकबजनी का अपराध किया। ग्राम इटौली के श्री पुत्तीलाल एवं उनकी भौजाई की चोटों के फलस्वरूप मृत्यु एवं श्री पुत्तीलाल की स्त्री घायल हो गई। ग्राम सिकरोरी के श्री बल्लू रैदास व उनकी स्त्री को चोटें पहुंचाई और उनके आभूषण लूट ले गये। ग्राम छिन्दइया में भी अपराधियों ने नकब लगाई परन्तु कोई मारपीट नहीं की गई। इस सम्बन्ध में कुल मिलाकर २५० रुपये की सम्पत्ति लूटी गई। धारा ३९४, ३५७ भारतीय दंड विधान का मामला थाने में रजिस्टर हो गया है।

(४) दिनांक ३१ जुलाई, १ अगस्त की रात्रि में ग्राम अहियामऊ, थाना गोसाईंगंज में श्री मुइंयाँ दीन के मकान में अपराधियों द्वारा स्त्रियों के आभूषण उतारने की चेष्टा की गई। इसी बीच में घर के लोग जाग गये, परन्तु अभियुक्तों द्वारा श्री मुइयाँदीन व उसकी स्त्री एवं लड़की को मारा पीटा गया। श्री मुइयाँदीन की तत्काल ही मृत्यु हो गई। इस अपराध में कोई माल लूटकर नहीं ले जा सके। इस अपराध का मामला भी ३०२, ३९४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अंकित हुआ।

इन सब घटनाओं में लूटी हुई सम्पत्ति का मूल्य ८६० रुपये है तथा इसमें ३ पुरुषों तथा २ स्त्रियों की मृत्यु हुई है। ११ पुरुष तथा ११ स्त्रियों को इस सम्बन्ध में चोटें आयीं।

प्रत्येक आक्रान्त ग्राम एवं क्षेत्र में सर्किल आफिसर, एडीशनल एस० पी० व एस० एस० पी० कई बार जा चुके हैं और जनता की सुरक्षा का प्रबन्ध करके उन्हें आश्वस्त कर चुके हैं। इन घटनाओं की जांच सर्किल आफिसर, एस० पी० व एस० एस० पी० के निर्देशन में की जा रही है।

घटनाओं की रोकथाम के लिये देहाती क्षेत्रों में दस आर्म्ड गार्डों एवं सिविल पुलिस के गश्ती दलों द्वारा गश्त तथा नाकाबन्दी की जा रही है। सभी प्रमुख सड़कों एवं रेलवे लाइनों पर हथियार बन्द गश्ती दल एवं सिविल पुलिस द्वारा गश्त जारी है। इन गश्तों की चेकिंग प्रत्येक रात में कम से कम ३ गजटेड अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

[श्री नवलकिशोर]

यह सभी घटनायें आकस्मिक रूप से घटित हुई फिर भी विवेचनाओं के परिणामस्वरूप ऐसे सूत्र उपलब्ध हुए हैं जिनके आधार पर यह विश्वास है कि शीघ्र ही निकट भविष्य में अपराधी पकड़े जायेंगे।

उपरोक्त विवरण उन घटनाओं के सम्बन्धित हैं जो लखनऊ के आसपास के गांवों में घटित हुई हैं। इसके अतिरिक्त थाना मलिहाबाद के अन्तर्गत २ अन्य घटनायें ३१ जुलाई, १ अगस्त, १९६२ को घटित हुईं। इन घटनाओं के स्थल नगर से काफी दूर हैं। उनके विवरण इस प्रकार हैं :—

(१) दिनांक ३१ जुलाई, १ अगस्त, की रात्रि में उमरावल ग्राम के पटकापुर मजरा में लगभग २०, २२ डकैतों द्वारा श्री रघुवीर प्रसाद के मकान पर डकैती डाली गई। डकैतों ने घर के लोगों को लाठियों व डंडों से मारा और लगभग २,२०० रुपये के मूल्य के आभूषण, वस्त्र इत्यादि लूट कर ले गये। गांव वालों को बन्दूक के फायर से डराकर अपराधी भाग निकले। वादी के भाई प्रभु को अधिक चोटें आयीं। इस सम्बन्ध में धारा ३९५, ३९७ भा० दं० वि० का मामला अंकित हुआ है।

(२) दिनांक १, २ अगस्त की रात्रि में ग्राम माधोपुर के मजरा मानखेड़ा में लगभग १८,२० डाकुओं ने जिनके पास देशी तमंचा भी था श्री राम खिलावन नाई के घर पर आक्रमण किया। वादी और उसके घरवालों के शोर मचाने पर ग्राम के अनेक लोग लाठी, डंडा, तीर-कमान आदि लेकर आये तथा डकैतों से उनका मुकाबला हुआ। इस मुठभेड़ में ग्रामीणों ने तीन डाकुओं को घायल किया जिनमें से २ डकैत घटनास्थल पर ही मर गये। तीसरे डकैत को उनके साथी अपने साथ भगा ले गये। गांव वालों द्वारा आहत जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनमें से एक डकैत के पास देशी तमंचा था जिसे गांव वालों ने छीन लिया।

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के आस पास जो पिछले एक सप्ताह के अन्दर बड़े पैमाने पर लूट पाट और डकैती की घटनायें हुई हैं, तो क्या इन गांवों के अन्दर पुलिस ने वहां की जनता के लिये डिफेंस सोसाइटी आदि बनाने की कोशिश की है ताकि लोग वहां अपनी सुरक्षा कर सकें ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, इस बात की कोशिश की गयी है कि गांवों में गांव समितियों का निर्माण हो और उनको प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस तरह की घटनायें, जैसा कि आपने कहा, रोज होती हैं और एक दर्जन से अधिक घटनायें लखनऊ के इर्द गिर्द हो चुकी हैं और उनका वक्तव्य देखने से मालूम होता है कि यह प्रबन्ध नामाकूल है। तो क्या इस बारे में कोई विशेष योजना बना कर गांव के लोगों के लिये वह कोई विशेष प्रबन्ध करने की कृपा करेंगे ?

श्री नवलकिशोर—जैसा मैंने बताया कि आर्म्ड गार्ड और दूसरे फोर्सेस वहां तैनात किये गये हैं और हमें इतनी कामयाबी भी हुई है कि हमने एक अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही सारे गैंग का पता चल जायगा। पुलिस ने चोरी किया गया २५ फीसदी माल भी बरामद कर लिया है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या गृह मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि थाना मलिहाबाद के ग्राम मालखेड़ा में जो डकैती पड़ी थी और उसमें जो दो डकैत मारे गये थे मौके पर, उनकी शिनाख्त हो पायी है कि वह किस जगह के रहने वाले हैं ?

श्री नवलकिशोर—उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जो यह वारदातें हो रही हैं उनमें विद्यार्थियों का भी हाथ है और वह इनमें भाग ले रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर—अब तक के इंवेस्टीगेशन से जो सूत्र मिला है वह यह है कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं, उनका इसमें हाथ है। विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि लखनऊ और बुलन्दशहर में एक विशेष प्रकार के डकैत इस वक्त पैदा हो गये हैं, जिन पर दिन में शुबहा नहीं किया जा सकता कि यह डकैत हैं और उनके जरिये इन डकैतियों का काम हो रहा है और जो शिनाख्त नहीं हो रही है उसमें पुलिस पर खौफ है ?

श्री नवलकिशोर—इसमें कोई भय या खौफ की बात नहीं है, लेकिन यह सही है कि कुछ क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग हैं जो दिन में जड़ी-बूटी बेचते हैं और रात में अपराध करते हैं, और जैसा मैंने कहा, एक व्यक्ति के गिरफ्तार होने के बाद पूरा भरोसा है कि हम पूरे गैंग का बहुत जल्दी पता चला लेंगे।

श्री राधेश्याम (जिला मथुरा)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि ग्राम समितियां बन जाती हैं, लेकिन वह अकर्मण्य रहती हैं, इसलिये यह पुलिस के अधिकारियों का काम है कि वह उनकी सुरक्षा करें ?

श्री नवलकिशोर—यह तो इस बात को साबित करता है कि हमारे जो जनसाधारण लोग हैं वह उन योजनाओं में कितना हिस्सा लेते हैं और कितना उनमें उत्साह है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मन्त्री जी को ऐसी सूचना मिली है कि एक महीने में इन डकैतियों का तांता लग गया है और इसलिये क्या सरकार इनके लिये कोई विशेष प्रबन्ध करने की कृपा करेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—यह दुख की बात रही है कि राजधानी के चारों तरफ इस प्रकार की घटनायें हुयीं। इस विषय में आई० जी० पुलिस को आदेश दिये हैं कि वे शीघ्र ही इस बात का पता लगायें कि इन घटनाओं के पीछे किन लोगों का हाथ है। जो कुछ उन्होंने जानकारी की उससे ऐसा विदित है कि ये लोग यहां के कोई परमानेन्ट लोग नहीं हैं किन्तु कुछ वान्डरिंग ट्राइब्स हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग जैसे राजस्थान इत्यादि से आते हैं, उन्हीं का इन कांडों के पीछे हाथ रहता है। वे दवाइयों के और जड़ी बूटियों के बेचने का बहाना करके इधर-उधर घूमा करते हैं दिन के समय। ऐसा अन्दाज है कि यह उन्हीं लोगों का कार्य है। इस विषय में तेजी के साथ छान-बीन की जा रही है और इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि वे लोग इस प्रदेश में घूमने-फिरने न आने पायें। इसका भी आई० जी० महोदय प्रबन्ध कर रहे हैं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि जितने लोगों के घर पर डकैती पड़ी और जितने लोग मारे गये वे सब प्रतिष्ठित लोग थे, लेकिन उनके पास फायर आर्म्स नहीं थे। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसे शरीफ आदमियों को जिनके पास फायर आर्म्स नहीं हैं, उनको उसके लिये लाइसेंस दिलाने का प्रबन्ध करेगी ? मैं एक सुझाव देता हूं कि एक-एक गांव में कम से कम एक प्रतिष्ठित आदमी को ढूंढ़कर उसको फायर आर्म्स दिलाने की व्यवस्था करें। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुख इस बात का है कि उनके पास गन्स वगैरह के लाइसेंस नहीं हैं। लेकिन जो डकैतियों में मौतें हुई हैं, उनसे यह पता चला है कि वे बन्दूक से नहीं बल्कि हल, हंसिया, बल्लम, कांते, आदि हथियारों से हुई हैं। बन्दूक का इस्तेमाल इन डकैतियों में नहीं हुआ है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री जी को इस बात की सूचना मिली है कि ऐसी डकैतियों में जो इस प्रदेश के इस छोर से उस छोर तक हुई हैं, उनमें कुछ पढ़े-लिखे लोग भी थे, जिन्होंने बेकारी से ऊबकर अथवा बहुत से विद्यार्थी जो अपनी बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के उद्देश्य से उन डकैतियों में शामिल हुए और हो रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक लखनऊ की डकैतियों का सम्बन्ध है और जिनका प्रश्न विचाराधीन है उसमें कोई पढ़े-लिखे व्यक्तियों के सिलसिले में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। जो सूचनायें आई हैं, उनसे यह पता चला है कि ये जो वान्डरिंग ट्राइब्स हैं जो कि चारबाग स्टेशन पर अक्सर ठहरे रहते हैं, उन्हीं में से लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं में पकड़े गये हैं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मेरे प्रश्न का आधा उत्तर हुआ। डकैतियों में फायर आर्म्स के इस्तेमाल के सम्बन्ध में, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार यह व्यवस्था करे कि जो अंग्रेजों के जमाने से गांव वालों को फायर आर्म्स देने की परिपाटी चली आ रही है तो सरकार इस युग में भी प्रत्येक गांव में एक आदमी, एक सज्जन को देख कर, समझ कर लाइसेंस देने की कृपा करे। मेरा आशय केवल एक गांव में एक से है। क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि मुझे इस बात का अत्यन्त दुख है कि गांवों में किन्हीं व्यक्तियों को आर्म्स के लाइसेंस नहीं प्राप्त हैं। सरकार इस दिशा में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस बात का आदेश देगी कि गांव के निवासियों को, कम से कम कुछ के पास, तो अवश्य ही, गन्स इत्यादि के लाइसेंस प्राप्त हों।

श्री नेकराम शर्मा—श्रीमन्, मुख्य मन्त्री जी ने अभी कहा कि दूसरे प्रदेशों से क्रिमिनल्स लोग आ गये हैं, तो क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसकी सूचना उनको कब मिली कि दूसरे प्रदेशों से कुछ क्रिमिनिल्स लोग आ गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे समय का तो अन्दाजा नहीं है और न समय अभी तक बताया गया है। लेकिन इन बंजारों को लखनऊ में देखते हैं और माननीय सदस्य ने भी चारबाग स्टेशन से गुजरते वक्त मोतीलाल मेमोरियल ग्राउन्ड के सामने देखा होगा और इस तरह से ट्राइब्स वहां ठहरे रहते हैं और दो चार रोज रहते हैं, फिर गांव आदि की ओर चले जाते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डकैतियां पड़ी हैं उनके आधार पर उन्हें यह भी पता चला है कि इन डकैतों में कुछ स्त्रियां भी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे इसकी पूरी सूचना तो नहीं है, लेकिन बंजारों के साथ तो स्त्रियां रहती हैं।

श्री चन्द्रजीत—जो यह बाहर से क्रिमिनल ट्राइब्ज के लोग आ जाते हैं, इनको रोकने के लिये क्या सरकार, पहले जो व्यवस्था थी कि वे लोग जहां जाते थे उन थानों में उनको अपनी रिपोर्ट लिखानी पड़ती थी और वे जहां जाते थे, उनके साथ एक चौकीदार या सिपाही साथ जाता था, अब फिर उसी व्यवस्था को या उसी तरह की और कोई व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन लोगों के आने पर किस तरह से रोक लगायी जा सकती है इस प्रश्न पर आई० जी० विचार कर रहे हैं। कैसे उन पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है, इन तमाम बातों पर विचार वे कर रहे हैं ताकि वे लोग स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर न घूम सकें और इस प्रकार की घटनायें न हों।

४ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न ३–४ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री उपाध्यक्ष—अब आइटम न० १५ और १६ के सम्बंध में माननीय कारागार मंत्री अपना संशोधित उत्तर पढ़ेंगे ।

कारागार मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक ४ जून, १९६२ को सर्वश्री हिम्मतसिंह आदि द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३ व ४ से संबंधित श्री चन्द्रजीत के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि दिनांक १८ अप्रैल, १९६२ को जेल अधीक्षकों की कान्फ्रेन्स में उप कारागार महा-निरीक्षक के पद को टेन्योर किये जाने के बाबत प्रस्ताव की कोई सूचना सरकार को नहीं है । किन्तु यह कहना सही नहीं है कि उक्त प्रस्ताव की सूचना सरकार को नहीं है । सही उत्तर निम्न प्रकार है :—

"जी हां, इस तरह का एक सुझाव उक्त कान्फ्रेन्स में आया था ।"

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ६८८ पर)

२८ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न ५१ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

कारागार मंत्री के सभा-सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक २८ मई, १९६२, को श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१ के सम्बन्ध, में श्री लक्खीसिंह जी द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहा गया कि मथुरा जिला जेल में पानी की व्यवस्था के सुधार के लिये जो योजना है उस पर करीब ३३,५०० रुपये व्यय होगा, जिसमें से ३,७०० रुपये दे दिया गया है और सम्भवतः ६३–६४ के वित्तीय वर्ष में इस कार्य को पूरा किया जायगा । इस उत्तर में कुछ अशुद्धि है । सही उत्तर निम्न प्रकार है :—

"जिला जेल मथुरा में पानी की व्यवस्था में सुधार करने के लिये जो योजना बनाई गई है उसमें ३३,५०० रुपये अनावर्तक (non-recurring) और ३,७०० रुपये आवर्तक (recurring) का व्यय अनुमानित है । यह योजना सरकार के विचाराधीन है । इसके स्वीकृत हो जाने के बाद वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के आय-व्ययक में इसके लिये आवश्यक प्राविधान नई मांगों की सूची द्वारा किया जायगा । इस योजना पर अभी कुछ व्यय नहीं हुआ है । इसके कार्यान्वित होने में कितना समय लगेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता ।"

(मूल प्रश्नोत्तर के लिये देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ६८९ पर)

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२ (क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—अब मलिन बस्ती वाले विधेयक पर विचार शुरू होगा । १२ नम्बर के संशोधन पर बहस समाप्त हो चुकी है । माननीय त्रिपाठी जी, आप जवाब देंगे ?

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार था—"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवन खाली कराने के पहले, यदि स्वामी या अध्यासी को निवास स्थान प्राप्य न हो और वह चाहे, तो उसके निवास के लिये स्थानीय निकाय या सम्बन्धित अधिकारी को यथासम्भव नियत किये हुये के अनुसार व्यवस्था करना आवश्यक होगा ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

†३ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से ।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

इस संबंध में भिन्न भिन्न खंडों पर मैंने अपना विचार व्यक्त किया और यहां भी वही बात दोहरा देता हूं कि खाली कराने के लिये और गिराने के लिये सक्षम अधिकारी को बड़ा अधिकार दिया गया है, जिसका असर अब गरीब जाति के लोग, मेहतर, हरिजनों इत्यादि पर पड़ेगा जो स्वयं अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते कि घरों से निकाले जाने पर दूसरी जगह रहने का प्रबन्ध कर सकें । दूसरी बात यह कि वह जो उद्योग-धंधे छोटे-मोटे करते हैं, उनसे भी वंचित हो जायेंगे और उनके जीवन-निर्वाह का साधन चला जायगा । इसलिये पहले रहने का प्रबन्ध कर दिया जाय, तब खाली कराया जाय तो न्यायसंगत होगा । मंत्री जी ने जैसा संकेत किया था, उनकी कठिनाई भी दूर हो सकती है । क्योंकि सरकार उतना ही बनाना प्रारम्भ करेगी, जिनके निवास के लिये स्थान दिया जा सकेगा, सारी स्कीम का फेंजिग होगा और अगर उनका स्थान बन जाय, वह चले जायं और फिर दूसरा बने तो सरकार को कोई कठिनाई नहीं हो सकती और न विस्थापित लोगों को भटकना पड़ेगा ।

एक बात और है कि मंत्री जी के पहले शर्मा जी दूसरे थे जो प्रवर समिति में थे । उन्होंने कहा था कि हम इसका ध्यान रखेंगे, परन्तु उसका भी समावेश नहीं किया गया । नियमों में जो सरकार को अधिकार दिया गया है कि अमुक विषयों पर नियम बनेंगे तो हमने समझा था कि ऐसे नियम बनेंगे कि खाली कराते समय सरकार उन्हें टेम्पोरेरी निवासस्थान दिलवाने का प्रबन्ध करेगी, लेकिन उसका भी कोई जिक्र नहीं है । तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि सरकार का इर दा हो भी तो भी वह कर नहीं सकती । तो सक्षम अधिकारी उन्हें निवास स्थान दे जिन्हें स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, यह बहुत ही न्याय संगत है और इस स्कीम से कांसिस्टेंट है । जो यूनियन टेरिटरीज पर लागू होने के लिये विधेयक बनाया गया, जिससे हमारी प्रान्तीय परिस्थितियों में फर्क है, तो उस ओर इस विधेयक में अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन जो ऐडवाइजरी कमेटी बनी थी और उसकी सिफारिशों के अनुसार जो स्कीम बनी थी वह इतनी अच्छी थी गरीबों के लिये जिस पर स्लम क्लियरेंस ऐक्ट बनाया जा रहा है । इसे यदि ध्यान में रखा गया होता तो मंत्री महोदय इसे न भूलते । ऐसी परिस्थिति में मैं यह कहूंगा कि यह उन्हीं की इच्छानुसार होगा, अगर इसमें कोई ऐसा प्राविजन रख दिया जाय कि खाली कराने के पहले उन्हें रहने के लिये कोई स्थान दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस संशोधन को रखता हूं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, बदकिस्मती यह है कि जो मैं निवेदन करता हूं उसका अभिप्राय या तो मैं ठीक समझा नहीं पाता हूं या फिर कुछ माननीय सदस्य समझ नहीं पाते हैं । मैं बार-बार निवेदन करता हूं कि आज भी कुछ कानून हैं जिनके मुताबिक यह काम हो रहे हैं, जमीन भी ली जाती है, मकान भी गिराये जाते हैं और नये मकान भी बनाये जाते हैं । आज जिस न्याय की दुहाई बार-बार दी जा रही है उसी न्याय को विचार में रखते हुये हम आज देखते हैं कि लाखों-करोड़ों आदमी इस प्रकार से गन्दी बस्तियों में रहते हैं और जिसके सम्बन्ध में बार बार हवाला दिया जाता है कि जवाहरलाल जी नहीं चाहते कि एक मिनट भी वह उसमें रहें । हम सभी चाहते हैं कि मलिन बस्तियां न रहें । जो कानून लाया गया है उन सारी दिक्कतों को सामने रखते हुये लाया गया है । जिनके कारण जल्दी से कार्य का सम्पादन नहीं हो पाता है । लेकिन यहां पर माननीय सदस्य ठीक वह बातें करते हैं जिनसे कि इस विधेयक का प्रतिफल बिलकुल निगेटिव हो जाय । अगर इस बिल में भी हम उतना ही कम्बरसम रास्ता बना दें जितना कि आज है या वास्तव में उससे भी कठिन बना दें तो फिर क्या नतीजा होगा ? यहां से हम आदेश देते हैं कि थोड़ा बहुत जो प्रबन्ध करा सकें वह जरूर करा दें । इस ऐक्ट में रख दिया है कि यथासम्भव कुछ न कुछ प्रबन्ध कर दें लेकिन मान लीजिये यह सम्भव न हो तो फिर क्या यह मलिन बस्तियां वैसे ही रह जायं ? मेरे मित्र ने कहा कि यदि दस आदमियों के रहने का प्रबन्ध करा सकें तो दस आदमियों के मकान गिरायें । अगर हम इस क्रम से चलें तो शायद १०० साल में मलिन बस्तियों को दूर कर सकेंगे । आज लाखों हजारों की तादाद में ऐसे स्थान हैं जिनको सुधारना है । अगर हम चींटी की चाल से चलें तो समझ लेना चाहिये कि २५ साल

तक हम कुछ भी नहीं करना चाहते । सरकार का हाथ इसमें यहीं तक है कि वह रुपया अनुदान दे देती है, ६२ फीसदी अनुदान के रूप में और बाकी कर्ज के रूप में । तो ऐसी चीजों को करने के लिये संस्थाओं को बाध्य करने का अर्थ यह होगा कि जहां आज उनको इस कार्य में ३७ फीसदी कन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसकी जगह पर ५०–६० फीसदी कन्ट्रीब्यूट करें और उसका नतीजा यह होगा कि आज जिन मकानों का किराया ९–१० रुपया रखा गया है वह १२–१५ रुपये तक पहुंच जाय । आज भी कहा जाता है कि यह किराया बहुत है जबकि ३७ फीसदी के ऊपर किराया वसूल किया जाता है । तो फिर जब लागत बढ़ेगी तो किराया भी बढ़ेगा और फिर उन लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा जिन को वास्तव में हम पुनर्वासित करना चाहते हैं । आज भी जो मकान बने हैं उनके सम्बन्ध में कई जगहों से शिकायतें आई हैं कि वह तो रहते नहीं और अगर रहते भी हैं तो एक सब-टिनेन्ट बना रखा है, साथ में वह भी नौकर की तरह पड़े रहते हैं । क्योंकि आचरण करने की क्षमता लोगों में नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा यह प्रवर समिति से आया है, ऊपर के सदन से, वैसा ही सदन इसे पास करने की कृपा करे ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (१) के अन्तिम विराम के स्थान पर चिन्ह कोलन रख दिया जाय तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि भवन खाली कराने के पहले, यदि स्वामी या अध्यासी को निवास स्थान प्राप्य न हो और वह चाहे, तो उसके निवास के लिये स्थानीय निकाय या सम्बन्धित अधिकारी को यथासम्भव नियत किये हुये के अनुसार व्यवस्था करना आवश्यक होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर वोटिंग के लिये २ बजे के बाद तक के लिये स्थगित किया गया ।)

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं—खंड १३ के उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित कर दिया जाय :—

"(४) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिराया जाने वाला हो तो सक्षम प्राधिकारी भवन गिराने से पहले भवन के अध्यासी को ऐसा वैकल्पिक वास स्थान अर्पित करने के बाद ही भवन गिराने का कार्य आरम्भ कर सकेगा जिसमें सम्बन्धित अध्यासी को उतने ही किराये पर जो वह पहले देता था, लगभग उतने ही आवास की सुविधायें उपलब्ध हों जितनी कि पहले थीं ।"

श्रीमन्, मंत्री जी ने काफी उपदेश की बातें तो कहीं हैं । लेकिन मेरा अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कन्विक्शन है कि अगर वह इस बात को नहीं मानते हैं तो हम कहेंगे कि भैया मत करो, हमको अपनी झोपड़ी ही में रहने दो, अगर मकान गिराना है तो हमको कहीं सिर ढकने के लिये जगह तो दो । मंत्री जी की जिम्मेदारी या अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ उजाड़ने की है, बसाने की नहीं है । मैंने कानपुर के रवतपुरवा में देखा है कि डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारी मकान गिरा गये और सामान व बरतन निकाल कर फेंक गये । ३–३ दिन तक उनकी औरतें और बच्चे बाहर पड़े रहे । इस तरह का दृश्य हम बार-बार नहीं देखना चाहते । हमें यकीन है कि यह बिल रद्दी की टोकरी में डाल दिया जायगा । मकान ये देंगे नहीं और उनको निकाल कर सड़क पर फेंक देंगे और १२ रुपया मकान का किराया चार्ज करेंगे । भला ४० रुपया पाने वाला स्वीपर १२ रुपया किराया कैसे दे सकता है । या तो आप उनकी तनख्वाह बढ़ाइये या उनको आप मकान का किराया दीजिये । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि असल में क्या हो रहा है ? कानपुर के अन्दर आपने क्वार्टर्स बनाये और उनका किराया १० रुपया रखा । क्या उनमें स्वीपर गये ? आखिर आपको वे डिफेंस डिपार्टमेन्ट को बेचने पड़े । इसी प्रकार से एक लेबर कालोनी बनायी, जिसका किराया १६ रुपया रखा जिसमें से बाद को २ रुपया कम करना पड़ा वे भी अब पी० ए० सी० की बैटेलियन को दे दिये गये हैं । भला जो मजदूर ४०–५० रुपया पाता है किस प्रकार से १०–१२ रुपया किराया दे सकता है । वह तो तभी उन मकानों में रह

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

सकता है जब आप उसके लिये ५–६ रुपया के मकान बनायें । हम कहते हैं कि माननीय मंत्री जी सुनते नहीं है और अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं । हमें आज ऐसे दिमाग की जरूरत नहीं है जो बड़े-बड़े लोगों का भला करे । बल्कि ऐसे दिमाग की जरूरत है जो गरीब लोगों के लिये काम करे, चाहे थोड़ा दे लेकिन गरीबों को दें । हम कहते हैं कि किराया कम कीजिये, लेकिन आप कहते हैं कि यह हो नहीं सकता है । मेयरों की कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि स्वीपर लोग केवल ४ रुपया किराया दे सकते हैं और उस कान्फ्रेन्स में मंत्री जी ने ही प्रीसाइड किया था । उसी कान्फ्रेन्स का यह दस्तावेज है जिसको मैंने पढ़ा । मान लिया मेरे में अक्ल नहीं है लेकिन क्या ५ कबाल टाउन्स के मेयरों में भी अक्ल नहीं है ? मैंने खुद हिसाब लगाया कि ५ रुपया किराया रख दिया जाय तो भी सवा-डेढ़ रुपया बचता है लेकिन नहीं वे तो १२ रुपया ही वसूल करेंगे ।

कानपुर में बहुत कालोनीज बनी हैं जहां से लोगों को उजाड़ा गया है और आठ आना गज उनकी जमीन का मुआवजा दिया गया है । और उन जमीनों को २५–३० रुपया गज तक पर बेचा गया है और आज वहां बड़े-बड़े बंगले बने हैं । फिर भी यही होगा और उन लोगों को वहां से उजाड़ कर बड़े-बड़े बंगलों के लिये उस जमीन को बेच दिया जायगा । बाबूपुरवा, दर्शनपुरवा जहां गरीब मजदूरों के क्वार्टर्स हैं उनको तो आप गिरायेंगे और वहां की जमीन बस कम्पनी को देंगे जिसे कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड ५० रुपये गज बेचेगा । हम चाहते हैं कि वे गरीब मजदूर भी, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी बसर करते हैं आखिर वे भी इन्सान हैं, उनको भी उसी तरह से सुख और शान्ति से रहने दीजिये जैसा कि आप अपने लिये चाहते हैं । मैं तो यह कहता हूं कि माननीय मंत्री जी के पास दिमाग है तो वह गरीबों के लिये इस्तेमाल नहीं होता । अंग्रेजों के जमाने में कानपुर के पूंजीपति मकान बनाने के लिये तैयार थे और उन्होंने म्युनिसिपैलिटी से सैकड़ों बीघे जमीन ४ आने गज पर ली लेकिन वह शर्त आज तक पूरी नहीं हुई और सारी जमीनें अब भी खाली पड़ी हैं । सरकार को चाहिये था कि अपने कानून में एक धारा इस तरह का जोड़ देती कि जितने कारखाने हैं उनके मजदूरों के रहने के लिये कारखानेदारों को क्वार्टर्स बनाने पड़ेंगे, तो मेरा खयाल है कि बहुत से क्वार्टर्स बन जाते । कानपुर में कूपर ऐलेन कालोनी, गोबिन्द नगर कालोनी आदि बहुत सी कालोनीज बनी हैं लेकिन वे बड़े-बड़े लोगों की ही हैं । मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से सरकार गरीबों के साथ कड़ाई के साथ पेश आती है उसी तरह से वह पूंजीपतियों के साथ भी कड़ाई का व्यवहार करे, तो यह मामला हल हो सकता है ।

आप कहते हैं कि मकान गिराने की हमारी जिम्मेदारी है लेकिन उसके बदले में मकान बनवाने की या दूसरी कोई रहने की जगह देने की जिम्मेदारी नहीं है । जहां मकान बने भी हैं, उसका किराया १० और १२ रुपये महीना रखा गया है । इसका नतीजा यह हुआ कि डिफेन्स डिपार्टमेन्ट के हाथ उनको बेचना पड़ा । इस तरह से या तो जमीन खाली पड़ी रहेगी या ये क्वार्टरों का किराया इतना ज्यादा रख देंगे कि किसी के न लेने पर उसे दूसरे डिपार्टमेन्ट के हाथ बेचना पड़ेगा । इसलिये बहुत अदब से और इज्जत से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भगवान के लिये यह बात मान लें कि गरीबों का जब मकान गिरावें तो उनके रहने के लिये एक एक झोपड़ी तो दें और जब मकान बनवायें तो उसका किराया कम कर दें जिसको वे दे सकें । कारपोरेशन वालों से पूछ कर मैंने हिसाब लगाया तो किसी तरह से भी किराया साढ़े तीन या पौने चार रुपये से ज्यादा नहीं पड़ता है । ३,७०० रुपये में एक मकान बनता है, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से १० और १२ रुपये महीना किराया मुकर्रर किया जाता है, सिवा इसके कि यह प्रोफिटियरिंग हो । समाजवाद में प्रोफिटियरिंग किसी तरह से भी जायज नहीं है । इसलिये मेरी नम्रता के साथ प्रार्थना है कि इस कानून में एक ऐसी धारा जोड़ दें जिसके कि मकानों का किराया कम हो और लोग उनमें रह सकें । जिससे वह भी महसूस करें कि हमारी सरकार ने कुछ किया । अगर ऐसा नहीं किया तो मकान पैसा खर्च करके बनाये जायेंगे और एक हजार गाली

मिलेंगी, कम नहीं, अगर यकीन न हो तो जिसका मकान गिराया जाय उसके यहां सी० आई० डी० भेज कर देख लें। यह स्वाभाविक है और लाजमी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात को मान लें।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष—मैं देख रहा हूं कि इस बिल पर बार-बार वही विचार व्यक्त किये जा रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि जो विचार व्यक्त हो चुके हैं वह रिपीट न किये जायं।

श्री नाथूराम शिक्षक—वह बात तो संशोधनों के सम्बन्ध में फिर कही ही जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार कहने में सदन का समय व्यर्थ जाता है, जितनी जरूरत हो उतना ही कहें।

श्री नाथूराम शिक्षक—मंत्री जी की तरफ से भी बार-बार वही बात कही जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—यह कैसे आप ने समझ लिया कि मैं आप से ही कह रहा हूं, मैं तो सभी से कह रहा हूं।

श्री नाथराम शिक्षक—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, इसका कार्य भी शहरों से ही चालू किया जा रहा है, इसका हमें दुख है। दर असल हमें यह स्कीम गांवों की ओर से चलाना चाहिये थी। अगर आप गांव में देखें तो वहां शहरों से भी हालत ज्यादा खराब है। गरीब आदमियों और मजदूरों के लिय कोई स्थान नहीं है। इसकी मिसाल यह है कि इस बिल का असर मैंने प्रयाग में देखा कि जिन गरीबों को थोड़े-थोड़े से पैसा देकर उनके घरों से निकाला गया और उनको शहर से बाहर ६—७ मील दूर नदी नालों के कटाव पर छोटे-छोटे क्वार्टर्स बनाकर बसाया गया और उनकी जगह पूंजीपतियों को या बड़े आदमियों को या कुनबापरस्ती के नाते खास-खास रिश्तेदारों को, उस स्थान पर बसाया गया। मैं आपका ध्यान इस ओर पुनः आकर्षित करूंगा कि जहां भी यह काम शुरू हो, कम से कम उस क्षेत्र में यह देखा जाय कि जो मकान बनाये रखने योग्य हैं वे न गिराये जायं और जिनको हटाया जाय उनको हटाने से पहले आवास की व्यवस्था कर दी जाय। साथ ही जिनकी जमीन ली जाती है, उनको लिखित आश्वासन दिया जाय कि यह जमीनें बनाने के बाद फिर उन्हीं लोगों को दी जायंगी। इस बिल से ऐसा मालूम होता है कि उन गन्दी बस्ती के गरीब लोगों से उनको कुछ नफरत सी है और यदि ऐसा नहीं है तो पहले उन्हीं को उसमें रहने का अवसर दिया जाय। अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि इन गरीबों को भी रहने का अवसर दिया जाय।

***श्री राधेश्याम** (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन भी और आज भी मैंने माननीय मंत्री जी की बात को गम्भीतापूर्वक सुना और संशोधन प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य की बात को भी मैंने गौर से सुना समाजवादी शब्द का जहां तक सम्बन्ध है अर्थशास्त्र और राजनीति के आधार पर जहां तक मैं समझा हूं रोजी, रोटी, कपड़ा और मकान हो, बेकारी, बेईमानी, ज्यादती और जुल्म से जनता बच जाय। श्रीमन्, कांग्रेसी सरकार १५ साल से यहां है। सर्वप्रथम तो यह है कि सरकार व्यापार का जो दृष्टिकोण अपनाये है उसको छोड़े। एक व्यक्ति का जब मकान गिराया जाता है, मुझे खुशी है मंत्री जी आज वह बात कह गये जो हम उनसे कहलवाना चाहते थे, उन्होंने कहा देखा यह जा रहा है जो नये मकान बन रहे हैं उनमें वे गरीब नहीं रह रहे हैं जो वहां से उजाड़े जाते हैं क्योंकि वे किराया नहीं दे पाते नतीजा यह होता है दूसरे लोग वहां रह रहे हैं मलिन बस्तियों को समाप्त करके बढ़िया मकान बना कर ऐसे लोग रह रहे हैं, जिनको मकान की तकलीफ़ नहीं है। इसका आप सर्वेक्षण करें कि जिन गरीबों को हटा कर पैसे वाले लोगों को वहां बसाया जा रहा है, इससे एक बहुत बड़ी समस्या इस विधेयक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम]

के द्वारा उत्पन्न हो जायगी। विधेयक की मंशा बहुत बढ़िया है, कोई आदमी नहीं चाहता मलिन बस्तियां बनी रहें, पर मैं बताता हूं जहां बेकारी और भुखमरी बढ़ रही है वहां साथ-साथ सर्वहारा वर्ग की यह समस्या भी आपके सामने खड़ी हो जायगी। एक तो उनका मकान ले रहे हैं, दूसरे उनको वहां बसा नहीं पायेंगे क्योंकि किराया उनकी सामर्थ्य के बाहर है, इसलिये उस सर्वहारा वर्ग की समस्या आपके सामने भयंकर रूप में आयेगी। इसलिये आप हमारे संशोधन को मान लें कि उनको मकान की व्यवस्था उतने ही किराये पर कर दें, सरकार इस बात को स्वीकार कर ले और अगर इसको स्वीकार न करे तो यह ही कीजिये कि मकान बनने के बाद, उन लोगों को उतने ही किराये पर, वह मकान मिलें। जब सरकार ऐसा करेगी तभी सर्वहारा वर्ग की तकलीफें दूर कर पायेगी। इन शब्दों के साथ, मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और जो दो विचार मैंने रखे हैं उनमें से एक को तो आपको करना ही चाहिये। यदि आप सर्वहारा वर्ग की तकलीफ़ दूर करने जा रहे हैं।

एक सदस्य---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)---श्रीमन्, जो संशोधन प्रस्तुत है यह इतना सुन्दर ह कि विवादास्पद है ही नहीं। परन्तु इस पर इतना विवाद हो रहा है कि मानो कितनी बड़ी चीज सामने प्रस्तुत है। इसके पक्ष में हमारी एक आदरणीया सदस्या ने परसों अपने विचार व्यक्त किये, मैं उस सदस्या का आदर करता हूं, यद्यपि उनके भाषण पर उस पक्ष के लोगों की त्योरी चढ़ गयी और रग रग फड़कने लगा, लेकिन वास्तव में उनको उस सदस्या का आदर करना चाहिये था। उनकी त्योरी चढ़ना देख कर महाभारत की याद आती है। द्रोपदी के चीरहरण पर भीष्म पितामह ने इसी प्रकार आपत्ति उठाई और उन्होंने दुःशासन से कहा कि सभा में एक स्त्री पट्टि का खींचना न्यायसंगत नहीं है, अतः ऐसा न हो। शकुनी तुरन्त बोला 'के यूय प्रतिषेद्धारो धर्मराजस्य शासनम्' कि तुम धर्मराज (दुर्योधन) के शासन में हस्तक्षेप करने वाले कौन हो? भीष्म पितामह यह सुन कर सहम गये और दुःशासन को पुनः शकुनी की इस बात से बल आया और फिर द्रौपदी का चीरहरण करने लगे। इसके बाद महाबली गुरुवर द्रोणाचार्य उठे और उन्होंने उठ कर कहा कि यह न्यायसंगत नहीं है। फिर शकुनी कहता है 'आज्ञा भंगो नरेन्द्राणाम्' महाराज की आज्ञा भंग करते हो? फिर चीरहरण प्रारम्भ हो गया।

श्री उपाध्यक्ष---इस संशोधन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री लोकपालसिंह---संबंध है। इस तरह से सुन्दर से सुन्दर संशोधन को वह मानने को तयार नहीं हुए। परिणाम यह हुआ कि उनका राज्य भंग हुआ इसी प्रकार रावण ने भी विभीषण का संशोधन नहीं माना और उसका भी राज्य भंग हुआ। महान् पुरुष संशोधन को माना करते हैं। राम गद्दी पर बैठे उन्होंने संशोधन का आवाहन स्वय किया। उन्होंने कहा कि---जो कुछ अनुचित करतब भाई, तो बरजहु मोहि भय विसराई। मैं कुछ भी अनुचित कार्य करूं---तो मुझे बरजो। संशोधन मेरे सामने प्रस्तुत करो। कथनी और करनी में फर्क होता है लेकिन उन्होंने कथनी को करनी में परिणत करके दिखाया। जब एक धोबी ने संशोधन प्रस्तुत किया तो उस संशोधन को मान कर उन्होंने सीता को निर्वासित किया।

श्री उपाध्यक्ष---यह जो संशोधन इस वक्त है उस पर आप आइये। इस असेम्बली के एक-एक क्षण में पैसा लगता है।

श्री लोकपालसिंह---उन्हें संशोधन मानने में बड़ी उलझनें पड़ती हैं, यह मैं बतला रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---मेरा निवेदन है कि संशोधन अथवा भाषण के सम्बन्ध में कथानक तर्क के रूप में यहां आते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—कथानक खूब कहिये, लेकिन विषय से सम्बन्धित होने चाहियें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—कथानक में ऊंट और बिल्ली का कोई सम्बन्ध जोड़ नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष—तर्क से थोड़ा सम्बन्धित तो हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—संशोधन न मानने में बहुत गड़बड़ियां होती है, इसलिये माननीय सदस्य आग्र्यू कर रहे हैं कथानक के रूप में। दो मिनट आप उनको कहने तो दें। परेशानी का कोई विषय तो है नहीं, यह पद्धति यहां रही है कि व्यंग भी कथानक के रूप में हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—काफी समय वे ले चुके हैं और काफी मौका मैंने उनको दिया है। विषय पर माननीय सदस्य आ जायं।

श्री लोकपालसिंह—जब संशोधन एक धोबी ने पेश किया तो राम ने सीता को निर्वासित कर दिया। लक्ष्मण ने कहा कि सीता गर्भिणी हैं तो राम ने कहा कि मैं संशोधन को ठुकरा नहीं सकता चाहे जो हो।

श्री उपाध्यक्ष—आप संशोधन पर बोलिये न।

श्री लोकपालसिंह—मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं। पर सीता जी को वन में छोड़ने से लक्ष्मण ने इन्कार किया। उन्होंने कहा कि सीता निर्दोष हैं। वह बोले कि मैं जानता हूं कि सीता निर्दोष हैं लेकिन, उन्होंने कहा—अवैम च नांमनधेनु किन्तु लोकापवादो बलवान यतोये। छायाहि भूमै शशिनो मलत्वै नारोपितः शुद्धमतः प्रजाभिः ।। कि जो ग्रहण पड़ता है हालांकि वह दोष नहीं है, संसार जानता है केवल पृथ्वी की छाया पड़ती है परन्तु लोग कहने लगते हैं इसलिये ग्रहण में दोष मान लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप संशोधन के बारे में कहिये।

श्री लोकपालसिंह—अब मैं फिर उसी के अन्तर्गत आता हूं। मेरी बात अधूरी रह गयी, वह बहुत ही मौलिक थी। संशोधन क्यों मानना चाहिये यह बतलाना चाहता था।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहांपुर)—श्रीमन्, मैं नियमावली २९१ की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कहा जा रहा है यह असंगत है।

श्री लोकपालसिंह—तो मेरा अन्त में यही निवेदन है, बहुत पिष्टपेषण करना व्यर्थ है। आपका आदेश हुआ था कि नयी बात कही जाय, इसलिये मैंने नयी बात प्रस्तुत की। पुरानी बात तो बहुत से लोग कह चुके हैं। लेकिन आप नहीं सुनना चाहते। इसलिये मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सन्तसिंह जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। विधेयक में यह प्राविधान किया गया है कि सक्षम अधिकारी अगर चाहे तो जिनके मकान गिराये जायेंगे उनके लिये मकान की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन उसके लिये यह कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात उससे यह भी जाहिर होती है कि वह चाहे तो १२, १५, २० रुपये किराये तक के मकान की व्यवस्था कर सकता है ताकि वे लोग उसमें रह सकें। लेकिन जिन लोगों के मकान गिराये जायेंगे वे उनमें रह नहीं सकते, वे उनका किराया देने में हमेशा असमर्थ रहते हैं, मैं आपके सामने उदाहरण रखूं। मंत्री जी बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि कानपुर में बहुत से मकान बनाये गये हैं। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो जाकर देखें, मैं तो देख आया हूं, वहां मजदूर जाकर रह नहीं सकते और न रहने के लिये वे तैयार हैं। आज भी उनमें से बहुत से मकान खाली हैं और मजदूरों के नाम पर दूसरे लोग एलाट करा के उनमें रह रहे हैं। पानी और बिजली का लगाकर १५ रुपये महीने से ऊपर आता है। इसलिये सरकार को जरा

[श्री ऊदल]

गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है और मानवता की दृष्टि से भी सोचने की आवश्यकता है कि आप जिनके घरों को गिरायेंगे, जिनकी बस्तियों का निपातन करेंगे, उनके रहने के लिये आपको पहले व्यवस्था करनी चाहिये। जब आप बस्ती गिराने का अधिकार ले रहे हैं तो एक बात अपोजीशन की तरफ से कही जा रही है और जिसके लिये उधर के भी बहुत से माननीय सदस्यों ने आपसे आग्रह किया, उसे मानने के लिये माननीय शर्मा जी और उनकी सरकार तैयार नहीं ह। हमारे भाई सन्तसिंह जी यूसुफ ने बताया कि दिल्ली में आसफ अली रोड पर गन्दी बस्तियों का निपातन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है लेकिन वहां के लोगों को एक अच्छी सी बस्ती बना कर दे दी गई है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात को जानना चाहता हूं कि वे न्यायपूर्ण दृष्टि से और मानवता की दृष्टि से विचार करें और जहां पर वे इन बस्तियों के निपातन का अधिकार हम से लेना चाहते हैं तो वे एक बात का प्राविधान कर दें कि जिन बस्तियों का निपातन किया जायगा, उनके रहने वालों के लिये दूसरी बस्ती का प्रबन्ध किया जायगा। यदि ऐसा हो जायगा तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसको मानने की कृपा करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय यूसुफ जी ने संशोधन रखा है वह अपनी जगह पर उपयुक्त है। मैं आपके द्वारा इस संशोधन को पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि "खंड १३ के उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(४) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिराया जाने वाला हो तो सक्षम प्राधिकारी भवन गिराने से पहले भवन के अध्यासी को ऐसा वैकल्पिक वासस्थान अर्पित करने के बाद ही भवन गिराने का कार्य आरम्भ कर सकेगा जिसमें संबंधित अध्यासी को उतने ही किराये पर जो वह पहले देता था, लगभग उतने ही आवास की सुविधायें उपलब्ध हों जितनी कि पहले थीं।" श्रीमन्, जो मूल खंड १३ (४) है जिसमें वे ये शब्द जोड़ना चाहते हैं, वह इस प्रकार है कि, "यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिरा दिया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी, यथाशक्य, भवन के अध्यासी को ऐसी रीति से और उस सीमा तक, जो नियत की जाय, अस्थायी वैकल्पिक वासस्थान अर्पित करेगा।" अगर पूरे विधेयक को देखा जाय तो उसमें जगह-जगह पर यथाशक्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द का प्रयोग करने का उनका मतलब यह है कि सारी सुख सुविधाओं को छीन कर वे सक्षम प्राधिकारी को देना चाहते हैं जिसके जरिये से वे सारी कार्यवाही कराना चाहते हैं।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि किसी भी समाजवादी मुल्क के लिये और समाजवादी सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह ध्यान दे कि जब वह किसी के मकान को गिरा देगी तो उसके लिये कोई आवास रहेगा या नहीं। मान लें छोटे लोग हैं जो शहर में बसते हैं, बचाकर उन्होंने मकान बनवा लिया या किराये के मकान में रहते हैं और सक्षम प्राधिकारी हुक्म देते हैं कि अनुक स्थान रिजर्व एरिया मानते हैं और निपातन का हुक्म देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि वहां निपातन होगा और वहां के रहने वालों के लिये यथाशक्य मकान देने की कोशिश की जायगी और यदि नहीं मिल सकेंगे तो संक्षम प्राधिकारी क्या करेंगे? यह कानून की मंशा से साबित है। जहां तक यह संशोधन है यह निश्चिन्तता की ओर ले जाता है। अगर आपने मकानों को गिराने के लिये कोई योजना बनाई है तो कोई एतराज नहीं है, शहर अच्छे हों और मलिन बस्तियां हटें लेकिन सिद्धान्त के रूप में आपको यह मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिये कि आप उनको कोई न कोई उपयुक्त स्थान दें। इसलिए मैं समझता हूं कि जो संशोधन है उसको मानने में मंत्री जी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह संशोधन बिल्कुल साफ है। मैं इस संशोधन का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मानेंगे।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मलिन बस्ती विधयक यहां पर प्रस्तुत है, मैं उसके विषय में दो-चार शब्द कहना चाहता हूं। विधेयक पर परसों से बहस हो रही है। मलिन बस्तियां हमारे देश के लिए वाकई एक कलंक की बात हैं।

मैं इससे नयी बात कह देना चाहता हूं। भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार माननीय सदस्यों ने आपके सामने रखे। मुझे इसमें कुछ और ही बात नजर आती है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ मलिन बस्तियां थीं। सब से पहले वहां उनके हटाने का काम उठाया गया, इसलिये कि विदेशी लोग यहां आते हैं, मलिन बस्तियों को देखते हैं तो सारा नकशा हिन्दुस्तान का विदेशियों की नजर में चला जाता है और वह सोचते हैं कि हिन्दुस्तान के आजाद होने के बाद भी इतनी गन्दी बस्तियां हैं, इसलिए वहां उन बस्तियों को हटाने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया और अच्छी अच्छी बस्तियां बनायी गयीं। लेकिन वहां पर भी उन लोगों का उतना खयाल नहीं रखा गया जितना रखना चाहिए था। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारी हालत को देखने के लिए साइमन कमीशन आया था जो कि कानपुर और दूसरे शहरों में गया। तो इस देश की पोलिटिकल संस्थाओं ने इसका इसलिए विरोध किया कि वह साइमन कमीशन शहरों में ही गया। उसे गांवों में भी जाना चाहिए था और देखना चाहिए था कि वहां के लोग कितने गरीब हैं, कितने मलिन हैं। इसी तरह से हम अपने शहरों को सजा कर, अच्छी अच्छी बस्तियां बना कर विदेशियों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। इसीलिए यह सब किया जा रहा है। सन्त सिंह जी ने जो यह तरमीम रखी है कि उन लोगों के रहने का पहले प्रबन्ध करना चाहिए, यह मुनासिब है। सब लोग चाहते हैं कि गन्दी बस्तियां हटायी जानी चाहिए, लेकिन उनके हटाये जाने के पहले नगर के दूसरे हिस्से में उनके लिए घटिया किस्म के ही सही, चाहे खपरैल के ही मकान हों, उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जानी चाहिए। उनके रहने की व्यवस्था न करके उनके मकान गिरा दिये जाते सन्त सिंह यूसुफ ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उस संशोधन को मान लिया जाय।

***श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन आपके सामने प्रस्तुत है, मैं भी अपने विचार उसके बारे में उपस्थित करना चाहूंगा। विरोधी सदस्यों की बातों से ऐसा आभास हो रहा है कि वह यह अनुभव कर रहे हैं कि इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद जो गरीबों के रहने के लिए समस्या आयेगी, वह वास्तव में एक बड़ी कठिन समस्या हो जायगी। अगर मकान मलिन बस्ती के नाम से उखाड़े भीजायेंगे तो उन मजदूरों और गरीबों के उखाड़े जायेंगे जो कि वास्तव में अपने लिये कोई दूसरा मकान बनाने में और जमीन लेने में असमर्थ हैं, यह एक बात है जो सबके ध्यान में आ रही है और उसी को आधार बनाकर के उनका कहना है कि उनको कोई दूसरा मकान या रहने की सुविधा न दी गई और यह मकान गिरा दिये गये तो वे बेघरबार हो जायेंगे। मैं भी इस बात का निवेदन करना चाहता हूं और आगरे के अन्दर, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं कि मैंने उनको इस बात को दिखलाया कि मलिन बस्ती के नाम से जो-जो बस्तियां सुन्दर थीं उनको हटाने की बात की गई और उससे भी ज्यादा जो गन्दी बस्तियां थीं, उनको नहीं लिया गया। कारण यह था कि जो वह बस्तियां थीं वह गरीबों की थीं जो ऊपर तक अपनी आवाज पहुंचाने में असमर्थ थे।

मुझे ऐसा भय है कि कहीं उसके द्वारा यह न हो कि गरीबों की बस्तियां तो ले ली जायं और जो अमीरों की बस्तियां हों वह छोड़ दी जायं। उपाध्यक्ष महोदय, कदाचित् इस समय यह भी बतला देना अनुचित न होगा कि मैं भी इसकी प्रवर समिति में था। अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है और मैं भूलता नहीं हूं तो एक बार प्रवर समिति की बैठक केवल इसी कार्य के लिये बुलाई गई थी कि विशेषतया इसके ऊपर विचार विनिमय हो और मुझे अच्छी तरह से याद है कि माननीय मंत्री जी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री छत्रपति अम्बेश]

ने उस समय हमको इस प्रकार का आश्वासन दिया था । सारे मेम्बरों का केवल यही कहना था कि आप उनको कोई आलटरनेटिव एक्मोडेशन नहीं देंगे तो यह सारे का सारा विधेयक निरर्थक साबित होगा । तो अगर मैं भूलता नहीं हूं तो इस प्रकार का आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया था और कहा था कि वह इस प्रकार का कोई नियम इसमें या और कहीं लायेंगे जिससे कि उनको जिनका मकान हम लें, इस प्रकार की असुविधा न हो कि वह बेघरबार के हो जायं । तो मैं संशोधन के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता । मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह बात कहना चाहूंगा कि वह देखें कि प्रवर समिति की जो इस प्रकार की बात थी क्या वह इसी प्रकार का ड्राफ्ट है या इसके अलावा कहीं और जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था, वह शब्द प्रयोग किये गये हैं जिससे कि जिनको बेघरबार किया जायगा, उनको कोई न कोई मकान की सुविधा दी जा सके । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं एक बात यूसुफ साहब से सफाई के तौर से कहना चाहता हूं । उन्होंने मेरे ऊपर यह आक्षेप किया कि मैंने उनसे कहा कि उनके दिमाग तो है नहीं । तो यह बिल्कुल गलत बात है । मैंने न तो जैसा कहा और न ऐसा कह ही सकता था । जो मैंने कहा था वह तो उनकी तारीफ में उनकी स्तुति में कहा था कि भगवान ने जितना बड़ा दिमाग उन्हें दिया है उसके अनुपात में दिल बहुत बड़ा दे दिया है । यानी दस गुना आप कहिये या १०० गुना भी कह सकते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जब दिल भागता है तेजी के साथ तो दिमाग तो आखिर मनुष्य का ही है जैसा हम लोगों का है तो वह कदम-ब-कदम उसके साथ चल नहीं सकता । अब देखिये, वह अपने जोश में क्या कह गये ? उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती है मकान देने की । अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी न समझती होती मकान देने की । तो यह विधेयक लाने की जरूरत क्या थी और जो करोड़ों रुपये इस स्कीम के मुताल्लिक सरकार हर पंचवर्षीय योजना में रख रही है, उसको रखने की जरूरत क्या थी ? आज भी पांच साल से जो मकान बन रहे हैं वह इसी स्कीम के मातहत बन रहे हैं । मैंने निवेदन यह किया था कि जो कायदे कानून हैं जिनको इस एक्ट के मार्फत हम रद्द नहीं कर रहे हैं उनके मार्फत काम तो चल ही रहा है । मकान भी बन रहे हैं । माननीय नाथूराम जी ने कहा कि उन्होंने देखा कि इस स्कीम में बहुत सारे आदमियों के मकान उजाड़ दिये गये । मेरा निवेदन यह है कि जो स्कीम इस ऐक्ट में है वह तो अभी पास भी नहीं हुई । जो हो रहा है वह तो दूसरे कानूनों के मातहत हो रहा है । (व्यवधान), वह खतरा जो इससे कम ज्यादा नहीं होता है । वास्तव में इस बात के अन्दर कुछ सार है कि बिलकुल हृदयहीन होकर के लोग इस स्कीम को न चलायें इसलिये इसका प्राविधान किया गया है और यह १३ (४) जो रखा गया है वह इसीलिये रखा गया है । एक भाई ने कहा कि सक्षम अधिकारी चाहेगा तो करेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा । उसका मंशा यह नहीं है । उसमें यह है कि उसको करना होगा ।

श्री ऊदल---उसमें यह लिखा हुआ है कि "सक्षम अधिकारी यथा शक्ति आवास स्थान अर्पित करेगा" । तो इसका मतलब यह है कि अगर वह करना चाहेगा तो करेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह भी यूसुफ साहब के पास बैठते हैं । इसलिये वह ऐसा कह रहे हैं । उसमें ऐसा है कि करना पड़ेगा, करना होगा । उसकी शक्ति और उसकी क्षमता से अधिक नहीं हो सकती है और न वह उससे ज्यादा कर सकता है । जितना वह कर सकता है उतना उसको करना होगा । करना चाहे तो करे और न करना चाहे न करे यह उसका मतलब नहीं है । उसको करना होगा यह उसका मतलब है ।

अब शिकायत की जाती है कि १० रुपया किराया पड़ता है और गवर्नमेंट मुनाफाखोरी करना चाहती है । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक पैसे की भी गवर्नमेंट को इस स्कीम की मारफ़त

बचत होती है तो वह सरकार को नहीं मिलता है । अगर यूसुफ साहब हिसाब बतलायें कि १० रुपया न होकर ८ रुपया, ६ रुपया और ५ रुपया होना चाहिये तो जिस हिसाब से साबित हो जाय उतना रुपया कर दिया जाय । सरकार तो इतना ही नहीं कर रही है । सरकार तो इससे भी आगे जाती है । मैं तिवारी जी की जानकारी के लिये बतलाना चाहता हूं कि कई म्युनिसिपैलिटियों से हमने यह प्रार्थना की कि वे मेहतरों के लिये मकान बनायें और ३७॥परसेन्ट जो उनको अपने पास से देना पड़ता है उसमें से कुछ बतौर ग्रान्ट के वह दे दें और बाकी वाला ३७॥ परसेंट ग्रांट के रूप में दे दें तो मेहतरों के लिये मुफ्त मकान बन जायं । इसके मुताबिक कुछ ने मकान बनाये भी । तो इस तरह से इस स्कीम के ऊपर जहां तक सरकार का संबंध है वहां तक वह करना चाहती है । हम म्युनिसिपैलिटी से यह भी कहते हैं कि जैसा मैंने कल भी कहा था और आज भी कहा है कि अगर कोई तरीका माननीय सदस्य बतला सकें जिससे और सस्ते मकान हो सकें तो सरकार उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं । सिर्फ इतना कहने से पैसा नहीं आता है । उसको हम और आप बैठकर सोचें । बारबार शिकायत की जाती है कि मकान महंगे दिये जाते हैं और अमीरों को दिये जाते हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर अमीरों को दिये जाते हैं तो इससे मकान और सस्ते पड़ते हैं क्योंकि इसमें जो पैसा बचता है वह इस स्कीम को सस्ता करने के काम आता है । अगर लागत ५० हजार की बैठती है और १० हजार उसमें से बेचकर फायदा हुआ तो लागत ५० हजार न होकर ४० हजार रह जाती है । यानी इससे मकानों को सस्ता करने में लाभ होगा क्योंकि मकान की लागत में जमीन की लागत भी है । अगर सस्ती जमीन पर मकान बन जायं तो उससे कोई नुकसान नहीं ।

एक बात यह जरूर है कि बहुत दूरी पर अगर मकान बनते हैं तो उनके लिये तकलीफ की चीज हो सकती है और वहां दूरी पर कोई रहना पसन्द नहीं करेगा । जब यह विधेयक नहीं आया था तो कानपुर के मुख्य नगर अधिकारी को मैंने कहा था कि ऐसा आयोजन करना चाहिये मकान बनाने के लिये कि जहां तक काम करते हैं, नगर में जहां पर मेहतर काम करते हैं, एक मील, डेढ़ मील और दो मील के दायरे के अन्दर यह योजना होनी चाहिये कि जहां पर मकान मिल सकें । तो जहां तक संभव हो हर एक बात को विचार में रखना है । लेकिन जो चीज संभव नहीं है, शक्ति से बाहर की चीज है, उसका वायदा यहां मैं कर दूं और वह चीज हो न सके यह अनुचित होगा । इसलिये मैं फिर नम्र निवेदन करता हूं कि यूसुफ साहब मेरे आश्वासन पर मान जायं और अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं माननीय मंत्री जी को समझा सकूं । वह मेरी बात को टाल जाते हैं । मैंने कहा कि आपने सरकार से पैसा लेकर भंगियों के लिये मकान बनवाये, लेकिन वह वहां रह नहीं पाते इसलिये कि दस रुपया किराया है । वह डिफेंस डिपार्टमेंट को दे दिये गये । मजदूरों के मकानों के लिये ५० परसेंट अनुदान और ५० परसेंट लोन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, मजदूरों के लिये मकान बने, लेकिन वह पी० ए० सी० को दे दिये गये क्योंकि मजदूर किराया नहीं दे सकते । आप किसी चीज को करने के लिये तैयार नहीं और उसके लिये कोई चारा नहीं है । हमारे पास जो शक्ति है कि हम प्रार्थना करें, चिल्लायें, विरोध करें--यहां और बाहर, वह हम कर चुके, और कोई चारा हमारे पास नहीं है । कानून की शक्ति से अब तक जो हो रहा है अब और बड़े पैमाने पर होगा । बस्तियां गिरायी जायंगी, लोग जहां तहां घूमेंगे । मंत्री जी तो अपनी जिद पर हैं और वह छोटी बात भी नहीं मानते इसलिये मैं इसको प्रेस करूंगा ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं यूसुफ साहब को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक मेहतरों का ताल्लुक है मैं नगरपालिकाओं और महापालिकाओं को अपने असर से प्रेस करूंगा और कोशिश करूंगा अनुदान देकर और दूसरी तरह से कि वे मेहतरों के लिये मकान बनायें जितना अधिक से अधिक उनके बस में हो और अगर माननीय सदन यह काम और ग्रांट देकर कराना चाहता हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जो विधेयक है उसमें हम इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—आप अगर स्वायत्त शासन मंत्री न रहे तो कोई दूसरा आ जायगा और उस समय यह बात नहीं रहेगी । इसलिये आप विधेयक में कोई ऐसी बात कर दीजिये कि यदि कोई दूसरा भी हो तो हम उसे पकड़ सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो गवर्नमेंट का आश्वासन है । यह तो माना ही जायगा ।

प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(४) यदि इस धारा के अधीन किसी आदेश के अनुसरण में कोई भवन गिराया जाने वाला हो तो सक्षम प्राधिकारी भवन गिराने के पहले भवन के अध्यासी को ऐसा वैकल्पित वास स्थान अर्पित करने के बाद ही भवन गिराने का कार्य आरम्भ कर सकेगा जिसमें संबंधित अध्यासी को उतने ही किराये पर जो वह पहले देता था, लगभग उतने ही आवास की सुविधायें उपलब्ध हों जितनी कि पहले थीं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—एक संशोधन २ बजे के पहले हुआ था, उस पर भी राय ले ली जाय।

प्रश्न यह है कि "खंड १३ के उपखंड (१) के अन्तिम विराम के स्थान पर चिह्न कोलन" रख दिया जाय तथा उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि भवन खाली कराने के पहले यदि स्वामी या अध्यासी को निवास स्थान प्राप्य न हो और वह चाहे, तो उसके निवास के लिये स्थानीय निकाय या संबंधित अधिकारी को यथासंभव नियत किये हुये के अनुसार व्यवस्था करना आवश्यक होगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :

पक्ष में—३८
विपक्ष में—७०)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४

निपातन क्षेत्र की भूमि का पुनः विकास करने की अनुज्ञा देने से इनकार करने का अधिकार

१४—यहां आगे की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, उस दिनांक से जब से किसी क्षेत्र में मलिन बस्ती निपातन आदेश प्रवर्ती हो, कोई भी व्यक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शों के अनुसरण से अन्यथा या उसके लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना उस क्षेत्र में न किसी भूमि पर कोई निर्माण करेगा और न किसी भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खंड १४—क

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं ।

खंड १४ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड १४–क के रूप में जोड़ दिया जाय––

"१४–क––यदि निपातन क्षेत्र घोषित हुये क्षेत्र में स्थित मकानों के स्वामी उनके स्थान पर पुनः नियमानुसार मकान बनाने के लिये ऋण लेना चाहें तो नियत नियमों के अधीन स्थानीय निकाय के लिये यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार के नियमानुसार ऋण दिलाने की व्यवस्था कर दे अथवा यथा संभव स्वयं ऋण दें।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि ऋण ऐसे ही व्यक्ति को दिलाया जाय जिनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति उक्त मकान बनाने की न हो।"

श्रीमन्, इस पर विचार करते समय मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति जो स्वयं मकान बनाना चाहता है तो उसको नियमों के अनुसार कुछ ऋण दिया जाय। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कहीं किसी स्कीम की दुहाई दी जाती है, तो कहीं किसी ऐक्ट का उद्धरण दिया जाता है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब उन्हीं की स्कीम का सहारा लिया जाय, जो विधेयक उनके बनते हैं उन्हीं का सहारा अगर लिया जाय, तो क्या वह गलत बात है ? उस पर तो उन्हें विचार करना चाहिये अगर कोई मकान बनाया जाने वाला है तो उसको सरकार स्वयं तो नहीं बनायेगी। कोई ठेकेदार ही उसको बनायेगा। जब ठेकेदार बनायेगा तो यह निश्चित है कि उसमें ४ रुपये की जगह ६ रुपये या ८ रुपये खर्च आयेगा। निश्चित ही उसमें ठेकेदार का मुनाफा शामिल होगा। जब मकान बनाने में रुपया ज्यादा लगेगा तो उसका प्रभाव यह होगा कि उसका किराया ज्यादा होगा और फिर जिसके लिये वह मकान बनाया जायेगा वह उसमें नहीं रह पायेगा। हमारे यूसुफ साहब ने कानपुर के बारे में बताया और कहा कि अगर लागत ज्यादा लग गयी तो किराया बढ़ेगा। संबंधित अधिकारी किसी न किसी तरह से, किन्हीं सिद्धान्तों को सामने रख कर किराया ज्यादा रख देंगे और इतना रख देंगे कि जिनके लिये वह मकान बनाया गया है वह उसमें न रह सकेंगे और फिर वह दूसरी जगह अपना मकान या झोपड़ी आदि डाल कर रहेंगे और फिर एक दूसरी मलिन बस्ती तैयार हो जायेगी। यूसुफ साहब ने कानपुर का तजुर्बा बयान किया कि वहां पर मकान बने किसके लिये, और वहां रहने कौन लोग लगे। गरीब लोग वहां नहीं रह पाये।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय सदस्य बहुत तेज बोल रहे हैं, कृपया धीरे बोलें ताकि सही रिपोर्टिंग हो सके।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी––तो मैं यह कह रहा था कि जिनको बसाने की स्कीम है वही लोग मकान बनाने के लिये ऋण मांगे तो अगर सरकार संतुष्ट हो, आपके सक्षम अधिकारी संतुष्ट हों, और उनकी आर्थिक क्षमता ऐसी न हो कि वे मकान स्वयं बना सकें, तो उनको ऋण दे दिया जाय और उसका प्राविजन ही इस संशोधन द्वारा करने की मांग की गयी है। जो स्लम इम्प्रूवमेंट स्कीम है उसी में यह लिखा है––

> "The Local body may also grant loans to owners of existing Houses in slum areas for undertaking works of improvements in the houses provided they do not own any other house in that town".

इसी को मैटिरियलाइज करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। आप जो कर रहे हैं उसके पीछे सिद्धान्त तो यही है कि मलिन बस्ती सुधार हो और फिर अन्यत्र वह पैदा न हो सके। हम वहां शिक्षा का प्रबंध, सड़कों का प्रबंध, तथा अन्य चीजों का प्रबंध कर सकें। वह उन्हीं के नक्शों के मुताबिक मकान बनायें, लेकिन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। जो भी उचित समझें हमारे मंत्री महोदय और सरकार उसी के आनुसार ऋण दें। यह तो समाज कल्याण विभाग से संबंध रखता है। इसीलिये मैंने संशोधन रखा है। महत्व की चीज इस विधेयक में सब नजरअन्दाज कर दी गयीं। प्रवर समिति के सामने जब यह चीज रखी गयी थी, आधे से ज्यादा जब हम उस पर विचार कर चुके तब यह चीज नहीं थी। मैं दोहराना नहीं चाहता। उन लोगों को अवश्य ऋण दिया जाय जिनमें आर्थिक क्षमता नहीं है। सुधार करने में जो खर्चा होगा वह सरकार अधिवासियों

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

से लेगी, लेकिन कोई प्रावीजन नहीं है कि दावा करें या क्या करें, वसूल ही नहीं कर सकते कहने का तात्पर्य यह है कि यह इसी लिये रखा गया कि जो संबंधित हैं उस पर अधिक बोझ न लदे । उसी को स्वयं मंत्री जी ने सर्वहारा कहा । उसको भी नैतिक संतोष होता रहे कि हमारे पीछे भी हाथ है । अगर उसके पास मकान नहीं है, आर्थिक क्षमता नहीं है तो उसके लिये उसको कर्जा दिया जाय और अपने नक्शे के मुताबिक मकान बनाने का अधिकार हो । यह संशोधन बहुत ही उपयुक्त है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर कृपा कर ध्यान देंगे ।

श्री राधेश्याम—उपाध्यक्ष महोदय, अच्छे संशोधन जनतंत्र में गिर जायं या गिराये जायं यह कहां तक जनतंत्र की परिभाषा है, परन्तु हम जिस काम के लिये आये हैं वह अवश्य करेंगे और सही बात कहने में हम नहीं चूकेंगे । मलिन बस्तियों के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्दर जो और भी नागरिक हैं उनके लिये भी सरकार मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण बांटने का प्रबंध कर रही है तो फिर इस संशोधन को मान लेने से क्या आपत्ति होगी । मलिन बस्ती विधेयक लाकर सरकार जो बस्ती बनाना चाहती है, यदि वही व्यक्ति जिसका मकान हटाया जाय उसी को ऋण देकर, मकान बनाने का सुझाव देकर और कर्जा देकर सरकार बनवा दे तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? इस संशोधन के तीन अर्थ हो सकते हैं । सर्वप्रथम सर्वहारा व्यक्ति जिसको कहा गया, वह भी समझेगा कि उसके लिये भी कोई स्थान है, उसकी कोई इज्जत और औकात है, उसके लिये भी ऋण देने की व्यवस्था की गयी है । इससे उसके अन्दर स्वाभिमान पैदा होगा । एक भय के कारण मैंने कहा था कि सर्वहारा लोग रह नहीं पायेंगे, क्योंकि उनको किराया ज्यादा पड़ जायगा, इस तरह से आज उनको निकाला जा रहा है । ऐसी अवस्था में जब वह ऋण लेकर मकान बनायेंगे तो उसी में रहेंगे । तो दूसरी बात जो होगी, उनको जो नयी तकलीफ मकान के किराये के कारण पैदा होगी वह ऋण की व्यवस्था होने में मिट जायगी, वहीं पर उनको रहना पड़ेगा । तीसरी बात यह है कि अगर सरकार रुपया देती चली जाय तो वह बहुत सी मुसीबतों से बच जायेगी, उसको ठेकेदारों से मकान बनवाना पड़ेगा लेकिन जो संबंधित व्यक्ति होगा वह स्थानीय निकाय से नक्शा पास करायेगा और अच्छे तरीके से अपनी सुख सुविधानुसार मकान बनवा सकेगा और सरकार भूमि बंधक करके रहन या पट्टा करा लेगी और वह किराये के हिसाब से सरकार को रुपया अदा करता रहेगा ।

(इस समय ३ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट, पीठासीन हुये ।)

तो इसमें सरकार को कौन सा हरजा होगा ? मैं समझता हूं कि इस संशोधन को मानने में सरकार को कोई इनकार नहीं होना चाहिये । इनकार के लिये मंत्री जी के पास जवाब यही होगा कि मलिन बस्ती के सुधार के लिये हम इस विधेयक को मान लें जैसे का तैसा ही मान लें चाहे उससे किसी के अधिकारों पर कुठाराघात ही क्यों न होता हो । मंत्री जी तो यही कहेंगे कि सभी संशोधन वापिस हो जायं, ज्यों का त्यों विधेयक मान लिया जाय । आखिर हो क्या रहा है ? वही तो हो रहा है जैसा कि मंत्री जी चाहते हैं परन्तु हम तो जनता की बातों को यहां रखेंगे ही । मैं अन्त में दरख्वास्त करूंगा कि यदि मंत्री जी ऋण की व्यवस्था वाले संशोधन को मान लें तो उसमें उसको कोई कठिनाई नहीं होगी । मुझे आशा है कि इस पर मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—श्रीमन्, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। गन्दी बस्ती सुधार योजना के नाम से जो विधेयक आया है वह ऐसा ही है जैसा तुलसीदास जी ने कहा है :—

"मन मलीन तन सुन्दर कैसे
विषधर भरा कनक घट जैसे ।"

वैसे ही गन्दी बस्ती सुधार योजना है । गन्दी बस्ती सुधार योजना पहले से चालू है उन लोगों को इसका पता है जो उन महापालिकाओं के अन्दर रहते हैं या उसमें काम करते हैं,

उनको पता कैसे हो सकता है जो और जगहों से आये हैं? मैं जानता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय बहुत पटु हैं, जवाब देने में और दूसरों को भला-बुरा कहने में। यह मैंने पहले भी देखा है और आज भी देख रहा हूं। इसके पहले जो संशोधन आया था कि उजाड़ने के पहले उनको पहले बसा दिया जाय, इसस मन्त्री जी ने इनकार किया और यह कहा कि मुझपर भरोसा करो। जब लिखी-पढ़ी बातों का ये कोई विचार नहीं रखते तब बे लिखी-पढ़ी बातों का भरोसा करना भगवान ही जाने। बनारस में गन्दी बस्ती सुधार योजना के नाम पर ५० व्यक्तियों की जमीन ली गई और मकान बनाये गये। जिन लोगों के मकान गिराये गये उन्होंने दूसरी गन्दी बस्ती बसाई और उन मकानों का ज्यादा किराया होन के कारण वह आजतक उसमें नहीं आये और मकान खाली पड़े हुए हैं। इस पर महापालिका ने लिखा कि नुकसान हो रहा है किराय का तो गवनमेंट ने लिख दिया कि जब तक वह नहीं आते तबतक दूसरों को न दिये जायं। आखिर में गवर्नमेंट को बाध्य होकर लिखना पड़ा कि अगर वह आने के लिये तैयार नहीं हैं तो दूसरों को दे दें लेकिन यह ख्याल रखें कि जो लोग आते हैं उनको मकान दिये जायं। कहने का मतलब यह है कि यह गन्दी बस्ती सुधार योजना नहीं है बल्कि इसको मैं गरीब उजाड़ योजना कहन के लिये तैयार हूं। मन्त्री महोदय ने यह नहीं सोचा कि शहरों के अन्दर बहुत-सी बस्तियां ऐसी हैं जो गरीबों की बहुत दिनों से चली आ रही हैं। नगरपालिका ने मेहतरों के लिये अलग घर बना दिये हैं, यह अलग चीज है लेकिन जो मेहतर शहरों में बसे हुए हैं उनके अपने मकान हैं अब आप उनको थोड़ा-सा मुआवजा देकर उनके उन मकानों को भी गिरा देंगे, आप मकानदार बनेंगे और उनको किरायेदार बना दिया जायगा। आपकी करनी और कथनी में कितन अन्तर है।

शहरों के सुधार के लिये बड़े-बड़े ऐक्ट बने लेकिन बनारस में सरकारी थाना बन रहा है। उसके लिये सारे कानून और कायदों को खत्म कर दिया गया, रोज उसके खिलाफ अखबारों में शिकायतें छपती हैं लेकिन गवर्नमेंट के कान पर जूं नहीं रेंगती।

कहा जाता है कि जवाहरलाल जी एक ऐसी बस्ती से निकल गये और उन्होंने कहा कि इसको क्यों नहीं फूंक दिया जाता है। उनको समझाया गया होगा कि ये लोग थोड़े किराये में रहते हैं और मकान मालिक उनका सुधार नहीं करा पाते। अगर उनको बताया गया होता कि ये मकान उन्हीं लोगों के हैं और उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वे उनको सुधार सकें तो मैं समझता हूं कि पंडित जवाहरलाल जी ऐसे बेरहम आदमी नहीं हैं जो यह कह देते कि इनका मकान छीन लो और महल बना कर दूसरों को दे दो। लेकिन कहने की बात और है और करने की बात और है। पंडित जी ने यह भी तो कहा था कि चपरासियों को और मास्टरों को एक ही तनख्वाह न मिलनी चाहिय लेकिन क्या यह किया गया? लेकिन गन्दी बस्तियों के सुधार के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की योजना बनायी गयी है।

पहले बताया गया कि म्युनिसिपैलिटी का काम ड्रेनेज, वाटर लाइन और बत्ती का प्रबन्ध करना है लेकिन अब कहा गया कि इन कामों स उनको बरी करते जा रहे हैं और अब यह गन्दी बस्ती सुधार के नाम पर योजना लागू की जा रही है। एक बहन ने हिम्मत करके सच्ची बात कह दी तो सारी पार्टी में शोर मच गया। कहां तक बातों को दबाते जायेंगे ५ बरस तक इसी प्रकार दबाते रहे तो आपकी हस्ती ही मिट जायगी। एक माननीय सदस्य भीष्म पितामह का हवाला दे रहे थे तो अध्यक्ष महोदय ने बारबार उनस बैठने को कहा। परन्तु मैं कहूंगा भीष्म पितामह से कहा गया कि, जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा था, तब आप क्यों नहीं बोले? तो उन्होंने कहा कि कुअन्न का प्रभाव था। मेरे ऊपर कुअन्न का अभी उतना प्रभाव नहीं है जिनके ऊपर है वे उसके माफिक वोट दें, मैं तो नहीं दूंगा। जब स्वायत्त शासन के बजट पर मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा तो मन्त्री जी ने इधर-उधर की बहुत-सी बातें कह डालीं। उनको यह भी सोचना चाहिये कि मैं क्या कह रहा हूं। उसको वे नहीं सोचते और एसे ही कह जाया करते हैं।

[श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव']

तो जहां तक मलिन बस्तियों के सुधार की योजना का प्रश्न है उन गरीबों के जिनके कि मकान हैं उनको आप कितना रुपया देंगे। जैसा कि उन्होंने लिखा है, ऐक्ट के मुताबिक मुआवजा देने को, १००–२०० रुपये होगा। उस वक्त मन्त्री जी ने पूछा था कि तुम ही बतलाओ कि इसम क्या करना चाहिये। मैंने उस वक्त भी मन्त्री महोदय को बतलाया था कि अगर आप उन गन्दी बस्तियों का सुधार करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि जो गन्दी बस्तियां हैं, उनमें से आप यह देखें कि कितने परसेंटज ऐसे स्थानों पर जमीन के मालिक वही हैं जो कि वहीं रहते हैं। यदि आपको पता चल जाय कि ७०–८० परसेंट या आध से ज्यादा वहीं पर इन गन्दी बस्तियों में ही रहते हैं तो आपको चाहिये कि उन गन्दी बस्तियों को आप ले लें और लेने के बाद उन्हें आप ठीक ठाक करा लें, उसका प्लान बना दें और उसमें उन लोगों को मदद दें जिनकी कि जमीन है और फिर वह जमीन उन लोगों को दे दें। उनको मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट जो सहायता देती है उस सहायता से उस सारे सुधार को किया जाय और फिर जमीन उन्हें दे दें। अगर वे उधार लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं तो जैसे महापालिकाओं में, म्युनिसिपैलिटियों में कर्जा दिया जाता है मकान बनाने के लिये, इसी तरह से उन लोगों को आप कर्जा दें। उनकी जमीन है और अगर उनको कर्जा देते हैं तो वह रुपया आपका डूबता नहीं है। उस रुपये से वे अपनी हैसियत के मुताबिक मकान बना सकते हैं। नक्शा आप बना दें लेकिन जुड़ाई वे अपनी औकात के मुताबिक मिट्टी से, सीमेंट से, ईंट से या पत्थर से कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तब तो आपकी गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना को मैं सही समझ सकता हूं। जैसा कि त्रिपाठी जी ने संशोधन पेश किया है वह ठीक है। जिनकी जमीन है उनको उस जमीन में अपने मन मुताबिक मकान बनाने की इजाजत होनी चाहिये और जितना भी हो सके उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिये। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मेरे ऊपर आक्षेप यह लगाया जाता है कि मैं बात चालाकी से काट देता हूं। अब कोई बात मैं ऐसी कहूं जिससे माननीय सदस्य की बात कट जाय तो उसमें मेरा क्या दोष है। उदाहरण के लिये आप इसी चीज को लीजिये। त्रिपाठी जी ने इसको बहुत सोच समझ कर रखा, लेकिन इस संशोधन को यहां रखने से पहले वे जरा भी दो, चार मलिन बस्तियों को देख लिये होते, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह का प्रस्ताव वे यहां कभी नहीं लाते। जिस तरह से मलिन बस्तियां बसी हुई हैं, और जितने लोग वहां हैं उन सब को एक ही जगह बसाना नामुमकिन है, असम्भव है। सभी के लिये मकानों का प्राविधान वहां नहीं हो सकता। बहुत सी जमीन जो अन्यत्र खाली पड़ी हैं वहां उनको ले जाना पड़ेगा। जो स्कीम है वह इसीलिये है कि जो लोग इस तरह से रहते हैं उनके लिये यह अच्छी व्यवस्था की जाय।

दूसरी बात आप यह देखें कि अगर ये लोग अमीर हैं, और जो व्यवस्था इन मकानों की की जा रही है इसमें उनको सुविधा नहीं है तो उनको दूसरी स्कीम के अनुसार साढ़े आठ हजार, पन्द्रह हजार रुपये कर्ज दिलवाइये ताकि वे आसानी से अपने लिये मकान बनवा सकें। लेकिन यहां तो बात ही उल्टी है। जो लोग इस स्कीम के मातहत मकान बनाना चाहते हैं उनके लिये इस तरह का प्रस्ताव, जिनका हृदय युसुफ साहब से भी आगे भागता है, वही ला सकते हैं। इस स्कीम के मातहत जो कर्जा दिया जायगा, मान लो २ हजार दिया जायगा और इस स्कीम के मातहत अगर मकान बनेगा तो उस में से ११,२५० रुपए तो अनुदान के रूप में होंगे, इतनी रकम मुफ्त देते हैं, अगर आप ऋण ही लेना चाहते हैं तो स्कीम दूसरी भी हैं जिन में ८ हजार और १५ हजार या उस से भी अधिक का प्राविधान है। इस में तो हम ऋण न देकर मकान बनाने की और सहूलियत दे रहे हैं और केवल साढ़े ३७ प्रतिशत की रकम के सूद पर किराया लेते हैं। इस को यह कहते हैं कि बड़ा कहर बरपा हो जायगा। अगर कोई ठोस सुझाव आये कि ऐसा

करने से किराया और कम हो सकता है तो हम वह भी करने को तैयार हो जायं लेकिन दिमाग का काम दिल से तो नहीं हो सकता, भावना से ही तो काम नहीं चल सकता। वह अपनी जगह पर अच्छी हो सकती है लेकिन वस्तु स्थिति जो है वह है। कहीं २०० आदमी रहते हैं तो वहां प्राविधान तो केवल २० का ही हो सकता है १८० आदमियों का फिर भी प्रश्न रह जायगा। सारा प्रश्न ही यह है कि इन्सान को इन्सान की तरह रहने का मौका नहीं है, इतनी गुंजायश नहीं है।

रही मुआवजे की बात, ऐसे-ऐसे मकान हैं कि मुआवजे की बात सोचकर ही हंसी आती है, गो उसकी गुजर-बसर उसमें होती है। कुछ ही लोगों के अपने मकान हैं, सब के नहीं ज्यादातर किराये पर हैं। अहातों के मालिक बड़े लोग हैं। ऐसी बात की जाय जिससे रुकावटें न पड़ें और आसानी से काम हो जाय। बाकी यह सब काम करोड़ों रुपया अनुदान और कर्ज के रूप में देकर किया जा रहा है। फिर भी काम इतना बड़ा है कि दस, बीस साल में भी थोड़ा बहुत कुछ हो सका तो समझेंगे कि बहुत कुछ हो गया। लेकिन जिस अनुपात से शहर और आबादी दोनों बढ़ रहे हैं उस अनुपात से साधन नहीं बढ़ रहे हैं यह लाचारी है परन्तु फिर भी कोशिश इस बात की है कि अगर कुछ मेहतरों के लिये कर सकें तो अच्छा है। सरकार भी सोचेगी और नगरपालिकायें भी थोड़ा योग दें तो कुछ हो सकता है। लेकिन जो इलकन्सीव्ड और इम्प्रेक्टिकेबिल चीज है उस पर अमल नहीं किया जा सकता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, इस विषय में जो मुझे कहना था वह मैं पहले ही विस्तारपूर्वक कह चुका हूं। जवाब में केवल अब इतना ही कह सकता हूं कि वह पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि इतने लोगों की व्यवस्था करना है। यदि वह ध्यानपूर्वक मेरी बात पर गौर करते तो वह भी उसी नतीजे पर पहुंचते जिस पर मैं पहुंचा हूं। बिल के समर्थन में और उसके विरोध में इधर से बातें आ रही हैं नहीं तो क्या कारण है कि एक भी बात उनके लिये मान्य न हो। सारी बातें इधर निर्मूल हैं और एक भी बात दिल और दिमाग को साथ रख कर नहीं की गई। उन्होंने कहा कि दिमाग का काम दिल नहीं करता है। पर दिल और दिमाग की संगत तो होती है। मुझे लगता है मन्त्री जी के तर्कों में कोई संगत दिल और दिमाग की नहीं है क्योंकि जब दिल में एक भावना पैदा होती है तो दिमाग से काम लेते हैं।

तो मैं कह रहा था दूसरे शब्दों में मैंने जो संशोधन रखा है वह ऐसा है यदि उनके पास रुपया नहीं, अभी मन्त्री जी ने कहा, या कोई उपाय पये की बाबत नहीं किया जा सकता तो कम से कम यह साधन बने उनको कर्जा दिलाने में उतना ही कर्जा दिलाने का जितना वह मांगते हैं या उतना दें जितना वह दे सकें। क्योंकि रुपया जो रहेगा वह जमीन पर रहेगा। तो ऋण देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। सबसिडी की बात दूसरी है, अनुदान तो वह देंगे ही। आपने कहा यह सब विचार रखा जाता है, पहले नगर महापालिका विधेयक जो बना तो इन सबको ध्यान में रखकर बनाया गया। जो यह स्कीम बनी जिसका बार-बार सहारा लेते हैं कि यह हमारी सरकार से निकली हुई है उन्होंने क्या नहीं सोचा उसको? सोचा था और समझ बूझ कर यह सरकार के सामने मार्ग दर्शन के लिये रखा। कर्जा का प्राविजन क्यों किया, सबसिडी, मैटीरियल्स देने का प्राविधान क्यों किया? आखिर इस स्कीम का एक अंश भी तो माने होते। जो मूल बातें हैं उनमें से एक बात तो माने होते। मैंने तो देखा एक अंश भी नहीं माना।

जैसा हमारी एक बहन ने कहा था कि हमने पढ़ा ही नहीं था विधेयक को। हमने पढ़ा था जैसा उसका ऐप्लीकेशन होता है ऐक्ट में। जो सेक्शन दिया हुआ है वह पूरा नहीं होता। इसलिये इस सेक्शन में हमारे और उनके पढ़ने और समझने में भेद है। मैं नहीं कहता मैं उनसे ज्यादा योग्य हूं, बल्कि मैंने अपनी बुद्धि से उचित ही रखा है इसलिये आशा है मन्त्री जी इसे मानेंगे।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

आप बहुमत के बल पर वस्तु-स्थिति पर ध्यान नहीं देते। यह तो हम नहीं मानते आप वहां कभी गये नहीं। परन्तु ध्यान कभी नहीं देते। आपके मन में एक धारणा आ गई और उसके अनुसार काम किया, उसके बारे में किसी और की बात नहीं मानते। मैंने उस वक्त भी कहा था कि जो मोरल प्रीचिंग हैं इनका कोई बाइंडिंग ऐफेक्ट नहीं होगा जब ऐक्ट बनने लगेगा। इसलिये कोई प्राविजन कर दें। मैं यह जानता था, अपनी बुद्धि के मुताबिक जो संशोधन मैं सामने रखूंगा उसका तर्क भी रखूंगा और आपके हृदय तक पहुंच कर अपनी तरफ खींचने का प्रयास करूंगा। अगर आपको यह संशोधन अपील नहीं करता तो मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, माननीय सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं मानता। अब बतायें जहां २०० आदमी रहते हैं वहां उतने ही लोगों का रहने का प्रबन्ध कैसे कर दूं? यह चीज वाकयात से ताल्लुक रखती है। अगर मेरी भावना से काम हो जाय तो मैं कह दूं कि हां हो जाय। लेकिन क्या हो सकेगा? नहीं।

दूसरे उन्होंने यह कहा कि हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। वास्तव में जो बातें वह ऋण देने के लिये कह रहे हैं उनके कहने से पहले ही हमने मान रखी हैं। और करोड़ों रुपये जो हम उनकी भावनाओं का आदर करते हुए दे रहे हैं तो वह मानना नहीं है क्या? यह जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, आवास का इन्तजाम करने के लिये, यह क्या है? इतना ही नहीं सस्ती जमीन मिलने में दिक्कत होती है तो आज करोड़ों रुपये इस चीज के लिये रखे गये हैं। जमीन एक्वायर करके लोगों को सस्ती जमीन बिना प्राफिट के दी गयी। महानगर के अन्दर सैकड़ों प्लाटस् बिना प्राफिट के बेचे गये और हजारों आदमियों को कर्ज दिये गये जिनसे लोगों ने अपने मकान बनवाये। तो यह जो कहते हैं कि हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कहने से पहले ही उसे मानते चले आ रहे हैं। कोई भी स्कीम बनाते समय यह नहीं किया जा सकता कि जितने आदमी गन्दी बस्तियों में रहते हैं उन सबके लिये ऋण का इन्तजाम कर दिया जाय। उसे हम कैसे मान लें। जितना हमारा अनुभव है वह यह बतलाता है कि यह हो नहीं सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरी बात को गलत न समझा जाय। जहां तक थोड़ा सा व्यावहारिक रूप की बात है यह मेरा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि मुझको माननीय सदस्यों की बहुत सी बातों का विरोध करना पड़ रहा है। कोई विरोध करने की भावना से नहीं बल्कि परिस्थिति की वजह से मैं इसे मान नहीं सकता। इसलिये नहीं कि जी नहीं मानता, यह लालच जरूर है कि थोड़ा बहुत सुधार मान लिया जाय तो उस हाउस में ले जाना होगा। लेकिन कोई बड़ी बात अगर हो तो जिसे माना जाय, जिससे कायाकल्प हो जाय, उसे मानने में कोई एतराज नहीं है। अगर ऋण देना भी चाहें तो मकान बन नहीं सकते और फिर ऋण देने का प्राविधान पहले से ही हमारे पास है। इसलिये यहां हमारी असमर्थता है कि परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १४ के पश्चात् निम्नलिखित १४-क के रूप में जोड़ दिया जाय---

"१४-क---यदि निपातन क्षेत्र घोषित हुये क्षेत्र में स्थित मकानों के स्वामी उनके स्थान पर पुनः नियमानुसार मकान बनाने के लिये ऋण लेना चाहें तो नियत नियमों के अधीन स्थानीय निकाय के लिये यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से नियमानुसार ऋण दिलाने की व्यवस्था कर दे अथवा यथासंभव स्वयं ऋण दे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऋण ऐसे ही व्यक्ति को दिलाया जाय जिनकी स्वयं की आर्थिक स्थिति उक्त मकान बनाने की न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड १५

निपातन क्षेत्र में भूमि का पुनः विकास

१५--(१) सक्षम प्राधिकारी निपातन क्षेत्र में स्थित किसी भूमि या भवन के जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित करना अभिप्रेत न हो, स्वामी के प्रार्थना-पत्र पर, उसे, ऐसी शर्तों तथा विनियमों के अधीन रहते हुये जो नियत किये जांय, उस भूमि पर नये निर्माण या उस भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करने की अनुज्ञा देगा।

(२) यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन किसी प्रार्थना-पत्र का निस्तारण उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर न करे तो भूमि पर निर्माण अथवा भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत करना चाहने वाला उसका स्वामी, अपने ऐसा करने के अभिप्राय की सूचना देने वाले दूसरे नोटिस के सक्षम प्राधिकारी पर तामील किये जाने के पन्द्रह दिन के पश्चात्, तथा ऐसी शर्तों तथा विनियमों के जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा अनुमोदित किये जाने की दशा में आरोपित किये जा सकते तथा भवनों के निर्माण स सम्बद्ध किसी विद्यमान विधि के अधीन रहते हुये, उस भूमि पर नये निर्माण अथवा उस भवन में परिवर्तन या उसकी मरम्मत कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

निपातन-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग का पुनः विकास करने का सक्षम प्राधिकारी का अधिकार

१६--(१) जब मलिन बस्ती निपातन आदेश के अनुसार किसी भूमि पर से भवन हटा दिये गये हों, तो सक्षम प्राधिकारी उस क्षेत्र में, ऐसे समस्त भवनों के, जिनके सम्बन्ध में धारा १२ के अधीन गिराने का निर्णय किया गया हो, गिरा दिये जाने के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, उस क्षत्र की या उसके किसी भाग की ऐसी भूमि का पुनः विकास करने का निश्चय कर सकता है, जो वह भूमि न हो जिसका पुनः विकास आदेश के दिनांक पर भूमि या भवन का वह स्वामी जिसे ऐसा करने का हक हो, धारा १५ के उपबन्धों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार कर चुका हो अथवा कर रहा हो।

(२) यदि सक्षम प्राधिकारी ने उपधारा (१) के अधीन भूमि का पुनः विकास करने का निश्चय किया हो, तो यथासम्भव, निश्चय के दिनांक से दो वष क भीतर ऐसा करना उसका कर्त्तव्य होगा।

(३) यदि सक्षम प्राधिकारी उक्त दो वर्ष की अवधि के भीतर भूमि का पुनः विकास करने में असमर्थ हो या असफल रहे तो वह राज्य सरकार को अपनी असमर्थता या असफलता के कारणों की सूचना देगा। तदुपरान्त राज्य सरकार भूमि का पुनः विकास, ऐसी अवधि के भीतर पूरा किये जाने की अपेक्षा कर सकती है, जिसे वह तदर्थ निश्चय करे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--श्रीमन, एक बात कह के मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता हूं। वह इसलिये कि खंड १६ में जो भावना मैंने इस समय व्यक्त की है वह है जरूर परन्तु मैंने यह संशोधन इसलिये दिया था कि यह बड़ा गोल है। मेरा आज भी विश्वास है कि जब यह खंड पास होगा तो इसको कार्यान्वित करने में दिक्कत होगी। जो इसमें लिखा हुआ है कि दो वर्ष के अन्दर वह प्रारम्भ करेगा तो इसका मतलब यह है कि वह प्रारम्भ करेगा समाप्त नहीं करेगा चाहे दस वर्ष तक कार्य चलता रहे। इसलिये यदि माननीय मन्त्री जी उचित समझें तो नियमों में इसकी उचित व्यवस्था कर दें....

श्री अधिष्ठाता---जब आप पेश ही नहीं कर रहे हैं तो भाषण कैसा ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---मैं तो दूसरी बात कह रहा था।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सन्तसिंह युसूफ।

(श्री सन्तसिंह यूसुफ द्वारा अपना संशोधन पढ़ न पाने पर)

श्री अधिष्ठाता---आप बैठ जांय, मैं आपकी ओर से पढ़े देता हूं।

माननीय सन्तसिंह युसूफ जी का यह संशोधन है जो मैं सदन के सामने पढ़े देता हूं।

खंड १६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सक्षम अधिकारी अथवा राज्य सरकार पुनः विकास की जो भी योजना बनायें उसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना अनिवार्य होगा---

(क) धारा १३(१) के अन्तर्गत जिन भवनों या अध्यासियों पर नोटिस तामील किये गये हैं उन्हें उतने ही क्षेत्रफल के भूमि के टुकड़े बिना मूल्य दिये जांय जितना कि क्षेत्रफल उसके पहले के भवन के अन्तर्गत था।

(ख) प्रतिबन्ध (क) का अनुसरण करने के बाद बची हुई भूमि को आवास योग्य बना कर यदि उसके टुकड़े करके बेचने की व्यवस्था यदि इस योजना में सम्मिलित हो तो भूमि के इन टुकड़ों की बिक्री केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रखी जाय जो---

(१) इसी या अन्य किसी मलिन बस्ती के निपातन के बाद गृह विहीन हो गये हों, या

(२) जिनकी आय १०० रुपया प्रतिमाह या इससे भी कम हो और जो इस हेतु मकान बनवाना चाहते हों, तथा इस प्रकार की भूमि की बिक्री के समय उसका मूल्य किसी भी हालत में भूमि के प्रतिकर के रूप में दी गई धनराशि से अधिक न हो।"

आपको इस विषय पर कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री सन्तसिंह युसूफ---माननीय मन्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इतनी बात तो मान लें। मेरा सीधा कहना यह है कि जो मकान आप गिरायें उनमें जो लोग रहते हों उन्हीं को यह जगह दें, टुकड़े कर के व्यापार न करें और उतने ही दाम पर दें जितने दाम आपने वसूल किये हों। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि मेरा अनुभव यह है कि बस्ती गिरायी गई और वह बस्ती मिल या फक्टरी के पास में है लेकिन आपने उन मजदूरों को फैक्टरी से ६ मील दूर भेज दिया। हमारे यहां की जो कांग्रेसी सदस्या हैं, बहन सुशीला जी, उन्होंने परसों यह कहा था कि कानपुर में एक बस्ती गिराये जाने की चर्चा चल रही है और उनको ६ मील दूर भेज देने की बात हो रही है। हमारा कहना यह है कि कम से कम यह मत करिये। आपने टुकड़े बना कर जितने पैसे वसूल किये हैं उतने ही पैसे पर जो आदमी उस बस्ती में रहते थे और जो १०० रुपये से कम तनख्वाह पाने वाले मजदूर या और लोग हैं उन्हीं की सहायता करो। अब इसमें क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आता है। आप कहते हैं कि हमारी स्कीम ८ हजार और १५ हजार की है। आप इतना ज्यादा रुपया दे सकते हैं लेकिन गरीब को ३-४ हजार रुपया नहीं दे सकते। जो मजदूर मिल में काम करते हैं उनके लिये ग्रेचुटी की स्कीम लागू हो जायगी और उनको दो हजार रुपया मिलेगा। इसके अलावा उनको प्राविडेंट फंड भी मिलेगा तो मेरा यह कहना है कि इसके बदले में उनको रुपया कर्ज दे दिया जाय जो मकान बनाना चाहें। मैं मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वे थोड़ा-सा भी सोचेंगे तो उनकी दिक्कत हल हो जायगी। लेकिन वे तो चाहते हैं कि गिराओ और एक दम गिराओ और उनमें रहने वालों को एकमात्र भगवान के आसरे पर छोड़ दो, उनकी किस्मत पर छोड़ दो। इस बात को छोड़कर वे उनकी सुविधा के मुताबिक काम करें। मैं कोई थ्योरी की बात नहीं कहता हूं। मकान बहुत से गिराये गये और जो किरायेदार रहते थे उनका पता नहीं

और उनकी जगह पर बंगले बन गये। इसलिये मैं चाहता हूं कि जहां मकान गिराये जांय तो वे बंगलों के लिये न दिये जांय और उन्हीं लोगों को वह जमीन दी जाय। इतनी बात मन्त्री जी मान लें। अगर नहीं मानते हैं तो मैं समझूंगा कि यह खाली गरीबों की दशा सुधारने का ढोंग है जैसे समाजवादी समाज के समाज की रचना का ढोंग किया जा रहा है। मैं इससे यही मतलब निकालूंगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, युसूफ जी की बात का विरोध इसी से साबित हो जायेगा कि वे कम से कम किसी एक जगह पर एक स्कीम को जैसा कि वे कह रहे हैं लागू करके दिखा दें तो मैं सब जगह पर लागू कर सकता हूं। जिस तरह से मलिन बस्तियां बनी हुई हैं अगर वैसी ही रहेंगी तो फिर लेना-देना क्या हुआ? जैसी हैं वैसी ही बनी रहें। इसलिये उनको हटाना पड़ता है कि बेतरतीब मकान बने होते हैं, उनको ठीक किया जाय, सड़क छोड़ी जाय और सैनीटेशन का उचित प्रबन्ध हो। इस सब करने के बाद अगर एक-एक दो-दो गज जमीन लोगों के हिस्से में आये तो मकान नहीं बना सकते हैं क्योंकि रद्दी से रद्दी मकान बनाने के लिये कम से कम १० गज जमीन चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि बस्तियां उन्हीं लोगों के लिये बनती हैं। यदि ऐसा न हो तो फिर इन स्कीमों की क्या आवश्यकता है? इसमें अगर कोई व्यावहारिक गलती होती है तो आप सुझाव दे सकते हैं और हम उसको मानने के लिये तैयार हैं। लेकिन जो असम्भव है और कोई नहीं कर सकता है उसको हम कैसे मान लें। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो उनकी भावना है वैसी मैंने भी एज़ ए मिनिस्टर कोशिश की लेकिन देखा कि यह असम्भव हो जाता है। कहीं-कहीं प्रबन्ध हो सकता है। जिनका मकान लेते हैं उनको साढ़े बासठ प्रतिशत सब सिडी मिल सकती है। इससे वही फायदा नहीं उठाना चाहेंगे जो बस्ती से बेहतर मकान में रहना चाहते हैं और गलती से उस एरिया में आ गये हैं, जो सचमुच गरीब तबके के न होकर लोअर मिडिल क्लास के आदमी हैं, जो अपने स्वतन्त्र मकान बनाना चाहते हैं, उनके वास्ते भी दूसरी स्कीमें हैं, जमीन लेने के लिये, बिना मुनाफे के और कर्ज देने के लिये, उनके अन्तर्गत उनको सुविधा दी जा सकती है। उसमें युसूफ साहब किसी खास भाई का नाम बतायेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ मदद कर सकूंगा करना चाहूंगा। लेकिन उसकी स्कीम अलग है। अगर सबको मिला कर भानुमती का पिटारा बनायेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। यह तो अनकवरेबिल है। मेरे साथ युसूफ साहब चलें। मुझे बता दें कि हर आदमी को सैटिस्फाई कर देंगे, कोई स्कीम वह बतायेंगे तो बिना किसी ऐक्ट में परिवर्तन किये हुये करवाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को मेहरबानी करके वापस ले लें।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—मान्यवर, मैं बहुत कह चुका हूं। मैं यही कहूंगा कि मेरी बदकिस्मती है। शर्मा जी अपनी अच्छी भावना दिखा देते हैं। लेकिन जब वह मिनिस्टर नहीं रहेंगे, पता नहीं कौन पार्टी आती है, तो जो दूसरा आयेगा, उसकी भावना क्या होगी, मैं नहीं जानता। इसलिये पक्की बात यही है कि कानून में आप रख दीजिये और इसी मिनिस्ट्री के जमाने में दो, चार अच्छी बातें डाल जाइये ताकि अगर आप जायं भी तो लोग अच्छे नाम से आप को याद करें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मुझे यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सक्षम अधिकारी अथवा राज्य सरकार पुनः विकास की जो भी योजना बनायें उसमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना अनिवार्य होगा:—

(क) धारा १३(१) के अन्तर्गत जिन भवनों या अध्यासियों पर नोटिस तामील किये गये हैं उन्हें उतने ही क्षेत्रफल के भूमि के टुकड़े बिना मूल्य दिये जायं जितना कि क्षेत्रफल उसके पहले के भवन के अन्तर्गत था।

[श्री अधिष्ठाता]

(ख) प्रतिबन्ध (क) का अनुसरण करने के बाद बची हुई भूमि को आवास योग्य बना कर यदि उसके टुकड़े करके बेचने की व्यवस्था यदि इस योजना में सम्मिलित हो तो भूमि के इन टुकड़ों की बिक्री केवल उन व्यक्तियों तक सीमित रखी जाय, जो

(१) इसी या अन्य किसी मलिन बस्ती के निपातन के बाद गृह विहीन हो गये हों, या

(२) जिनकी आय १०० रुपये प्रतिमाह या इससे भी कम हो और जो इस हेतु मकान बनवाना चाहते हों, तथा इस प्रकार की भूमि की बिक्री के समय उसका मूल्य किसी भी हालत में भूमि के प्रतिकर के रूप में दी गई धनराशि से अधिक न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १७

भूमि अर्जित करने का राज्य सरकार का अधिकार

१७—(१) यदि सक्षम प्राधिकारी को ऐसी सूचना के आधार पर, जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य प्रकार से उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि किसी मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भूमि या भवन अथवा दोनों का अर्जन करना, उस क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के सम्बन्ध में सुधार कार्य करने या भवन गिराने के आदेश को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये या किसी निपातन क्षेत्र के पुनः विकास या मलिन बस्तियों के निवासियों के पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये आवश्यक है तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस आशय का अपना अभिप्राय घोषित कर सकता है।

सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, भूमि या भवन के स्वामी पर और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि उसका ऐसी भूमि या भवन में स्वत्व है, नोटिस तामील करेगा या तामील करायेगा, जिसमें उससे इस बात का कारण बताने के लिये कहा जायगा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उक्त भूमि या भवन को क्यों न अर्जित कर लिया जाय।

(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय।

(३) तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी, उस भूमि या उन भवनों के सम्बन्ध में जिसे या जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित करने का प्रस्ताव हो, अपनी सिफारिशें राज्य सरकार के पास निर्णयार्थ भेजेगा।

(४) यदि सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने पर, राज्य सरकार यह निश्चय करे कि ऐसी भूमि या भवन का अर्जन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, लोकहित में आवश्यक है, तो वह इस आशय की घोषणा सरकारी गजट में प्रकाशन द्वारा करेगी। घोषणा का प्रकाशन समस्त सम्बद्ध व्यक्तियों के लिये पर्याप्त नोटिस होगा।

(५) उपधारा (४) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर, उसमें उल्लिखित भूमि या भवन प्रकाशन के दिनांक से सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में पूर्णरूप से निहित हो जायेंगे।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (४) की पंक्ति ४ के शब्द 'गजट' और 'में' के बीच में शब्द "तथा समाचार-पत्रों" रख दिये जायं तथा इसी पंक्ति के शब्द "घोषणा का प्रकाशन" के आगे वाक्यांश "और लिखित नोटिस की तामील" बढ़ा दिये जायं।

इससे आगे का वाक्य मैं नहीं रखना चाहता। मान्यवर, इस खंड में प्राविधान है कि सक्षम प्राधिकारी सरकार को सिफारिश करेगा कि किसी जमीन या मकान के अर्जन करने की जरूरत है और सरकार इसकी घोषणा गजट में प्रकाशित करके करेगी। उसमें यह भी प्राविधान है कि गजट की प्रकाशित घोषणा ही पर्याप्त नोटिस समझी जायगी। मेरा इसमें यह तर्क है कि यह ठीक नहीं होगा। असल में सरकारी गजट कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर साधारण व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जो पैसे वाले भी हैं हम लोगों के यहां आकर सरकारी गजट मांगा करते हैं और पढ़ा करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह घोषणा सरकारी गजट तक ही महदूद न रहे बल्कि समाचार-पत्रों में भी निकलवायी जाय, जिससे कम से कम हर आदमी उसे पढ़ सके, जान सके कि कौन-सी भूमि है और कौन-सा मकान किस मकसद के लिये लिया जा रहा है। फिर ऐसी भी बात है कि मान लीजिये गजट में घोषणा छपी लेकिन जो आदमी इस कानून से बचना चाहेंगे तो वह यह कह सकेंगे कि हमने तो यह पढ़ा ही नहीं। इसलिये मैंने यह भी संशोधन दिया है कि जिन व्यक्तियों के मकान या जिनकी भूमि ली जाय उनको लिखित नोटिस दिया जाय। लिखित नोटिस की तामील से कम से कम वह कानून के पंजे से बच नहीं सकेंगे और यह नहीं कह सकेंगे कि हमको इसकी सूचना नहीं मिली।

फिर मेरा यह निवेदन है कि यह धारणा कि ऐसी जगहों पर जो गन्दी बस्तियां हैं उनमें लखपतियों या करोड़पतियों के ही बनवाये हुये मकान हैं, यह भी धारणा गलत है। मैं माननीय मन्त्री जी की खिदमत में मेरठ की ही मिसाल पेश करता हूं, पुरवा शेखलाल, पुरवा रजबन, लालकुर्ती, लिसाड़ी दरवाजा, वह जानते होंगे कि यह कई एक मुहल्ले ऐसे हैं कि जिनमें सफाई का कार्य करने वाले वाल्मीकियों के मकान हैं और उनमें दूसरे लोग रहते हैं। पुरवा शेखलाल के सैकड़ों मकान हरिजनों द्वारा बनवाये गये हैं जिनमें दूसरे लोग रहते हैं। तो यह धारणा कि ऐसी बस्तियों में केवल लखपतियों द्वारा मकान बनवाये जाते हैं, वह गलत है। मेरे कहने का मतलब यह है कि गरीबों के मकान ऐसी जगहों में बहुत से हैं और गरीब ही तो ऐसी जगह में जाकर मकान बनवायेगा, क्योंकि अच्छी जगह पर कोई उसे बसने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में अगर गजट में प्रकाशन की ही व्यवस्था रही और इसी को नोटिस समझा गया तो गरीबों के साथ ज्यादती होगी और गरीबों के मकान बिना उनको किसी प्रकार की सूचना मिले, गिरा दिये जायेंगे। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि किसी के साथ अन्याय न हो सके और कोई बाद में यह भी न कह सके कि हमें सूचना नहीं मिली। अगर सरकार की तरफ से लिखित सूचना देने की व्यवस्था हो जायगी तो जिनकी कि भूमि या मकान के अर्जन का प्रश्न होगा, तो वह उससे बच नहीं सकेंगे और गरीब लोग जो गजट को नहीं पढ़ सकते उनको खबर भी हो जायगी और वह अपना इन्तजाम कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि मेरे इस निवेदन को माननीय मन्त्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, अगर माननीय सदस्य ने इस खंड में थोड़ा-सा और पढ़ा होता तो ठीक होता। आगे तो उसमें यह प्राविधान है कि सक्षम प्राधिकारी यथाशक्ति, भूमि या भवन के स्वामी पर और प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि उसका ऐसी भूमि या भवन में स्वत्व है, नोटिस तामील करेगा या तामील करायेगा जिसमें उससे इस बात का कारण बताने के लिये कहा जायगा कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उक्त भूमि या भवन को क्यों न अर्जित कर लिया जाय।

यानी नोटिस हरएक को दिया जायगा। व्यक्तिगत रूप से दिया जायगा। जहां तक अखबारों की बात है वह जानबूझ कर छोड़ी गई है। बड़े शहरों में तो बहुत अखबार हैं और

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

कहीं नहीं हैं। अब या तो सब को दे या किसी को भी नहीं दे। इससे भी हमारा मतलब हल नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जो छोटे शहर हैं वहां अखबार कम पढ़े जाते हैं। अभी हमारे सामने एक नोटिस में यह बात आई कि वहां पर अखबार में नोटिस दिया गया लेकिन वहां पर बहुत माकूल और पढ़े-लिखे आदमी का यह कहना था कि हमको अभी तक पता नहीं चला है। सम्भव है अखबारों में छपे और सारी प्रतियों को कोई ले ले और वितरण न हों। उन्होंने तो प्रकाशन करा दिया। उनको प्रकाशन कराना था। वे कानून के लिये शो कर सकते हैं कि फलां तारीख को छपा। तो इस झगड़े से बचने के लिये गजट में भी दिया जाता है ताकि सब को मालूम हो जाय कि सरकार का ऐसी मन्शा है। इसमें सबको नोटिस जायगी और सब को मालूम हो जायगा जो उससे सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये मुझे आशा है कि हमारे आदरणीय भाई इसको वापस ले लेंगे।

श्री रामजीलाल सहायक—माननीय मंत्री जी का कहना है कि इसमें हरएक को नोटिस दिया जायगा। इस कारण मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (६) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(६) इस खंड के उपखंड (२) में दिये गये आदेश अथवा निर्णय से क्षुब्ध होने पर उसके विरुद्ध सम्बन्धित जिला न्यायाधीश के पास ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है और उनका निर्णय अन्तिम होगा।"

श्रीमन्, इस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश या आज्ञा जो कुछ है उसके खिलाफ अपील कहां की जाय इसके बारे में हमने यह कहा है कि वह सिविल कोर्ट में की जाय। मेरा ऐसा खयाल है कि यह भी मौलिक अधिकार से सम्बन्धित चीज है। तो मैं उसको कह चुका हूं और उन सारी बातों को दोहराना सदन का समय लेना होगा। परन्तु इस प्रसंग में इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि यह धारा १७ भी एक मौलिक अधिकार से सम्बन्ध रखती है। इसलिये जिन हाकिमों का मैंने उस दिन उदाहरण दिया था उनका ज्यादा सम्बन्ध डिस्पोजल से रहता है। जस्टिस से उतना सम्बन्ध वे नहीं रखते हैं। उनके पास इसकी अपील न जाय। उस दिन मैंने इस चीज को स्पष्ट बताया था। न्यायाधीश के पास यह अपील होनी चाहिये। वह इसलिये कि मेरे मन में आशंका है। मैं जानता हूं मंत्री जी हमारे संशोधनों के लिये यही कह दिया करते हैं कि असम्भव है, अव्यावहारिक है, इससे बीच में अड़चन होगी, इससे कार्य पूरा नहीं होगा। मैं उनको कोई दोष नहीं लगाना चाहता कि वह ऐसा नहीं चाहते हैं परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि उनके विचार विधि में और हमारे विचार विधि में कुछ फर्क है। यह संशोधन बड़ा इन्नोसेन्ट है। मान लीजिये कि एक एरिया एक्वायर करने के लिये घोषित हुआ। उसमें कोई घर मेरा है वह भी पड़ता है। वह भी एक्वायर कर लिया जायगा और वह भी गिरा दिया जायगा या वह भी उस स्कीम के अन्दर आजाय परन्तु हम जानते हैं कि वह घर इस योग्य नहीं है कि उसको एक्वायर किया जाय या गिराया जाय या एक्वायर करने पर कुछ नहीं देते वैसे उसकी मालियत बहुत ज्यादा है और वह कुछ समझते हैं तो ऐसी स्थिति में और चारा ही क्या है। शुरू में मैंने कहा था कि सक्षम अधिकारी के स्थान पर स्थानीय निकाय कर दिया जाय। हमारा तात्पर्य यही है कि केवल एक व्यक्ति के हाथ में सारे अधिकार न दिये जायं। वह भी बात नहीं मानी गई।

तो अब इस धारा में यह संशोधन रखा है कि अपील का निर्णय करने का अधिकार जज को दे दिया जाय।

मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि एक रोक रहे, वह समझें कि अगर हमने गलत काम किया तो ऊपर से चोट लगेगी, हमारा निर्णय उलट दिया जायगा। यह एक डर रहता है। लेकिन जब उनको विश्वास हो जायगा कि हमारा निर्णय रोटीन वर्क की तरह से स्वीकार कर लिया जायगा तो वह कभी अपना दिमाग नहीं लगावेंगे और जो कुछ नीचे से आयेगा उस पर उसी तरह से हस्ताक्षर कर देंगे। जितने भी टैक्स लगाये गये हैं उनमें आप देखें कि अधिकारियों को अपने काम में काफी परिश्रम करना पड़ता है इसलिये कि उनमें अपील की व्यवस्था है, उनका निर्णय उलट सकता है। इन बातों को ध्यान में रख कर आप उपधारा दो को देखें। इसमें है कि "(२) उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय।" इसके माने हैं कि जो आदेश देगा उसी को आपत्ति पर निर्णय देने का भी अधिकार होगा और यह आप सोचें कि कहां तक न्यायसंगत है। हां, यह ठीक है कि उसके बाद यह राज्य सरकार के पास चला जायगा और वह उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकती है लेकिन डर लगता है कि वहां पता नहीं कौन-सी राजनीति खेल जाय और वहां भी वह डिटो हो जाय। ऐसा होने से उस व्यक्ति की बड़ी हानि हो जायगी जिसने न्याय की मांग की है। अगर यह चीज जिला न्यायाधीश को दे दी जाय और वह उसमें निर्णय दे तो उसमें आपको कौन-सी आपत्ति हो सकती है। आप उसके लिये समय बांध दीजिये। हम केसेज में डिस्ट्रिक्ट जज से समय मांगते हैं और वह समय नहीं देता। रिट के लिये आपने समय निश्चित कर दिया है और इसी तरह से यदि नियमों म समय निश्चित कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई देरी नहीं हो सकेगी। यह ठीक है कि वे काफी काम से लदे हैं लेकिन सक्षम अधिकारी की सुनवाई किसी एक निष्पक्ष व्यक्ति के पास होनी चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि वह सरकार के विरुद्ध न्याय दे। वह भी जानता है कि सरकार के प्लान्स में हमको सहायता देनी चाहिये। जुडीशियरी के हकों को समझते हुए पब्लिक परपज के लिये सहायक होते हुये वह अपना निर्णय देगा।

मेरा खयाल है कि सभी जुडिशियल अफसर इस बात से परिचित हैं और उनको स्थिति का ज्ञान है। ऐसी स्थिति में यह कहां तक न्यायोचित होगा, यह मैं नहीं कह सकता। यदि कोई क्षुब्ध है तो उसे अधिकार होना चाहिये कि वह न्यायाधीश के यहां जाकर न्याय मांग सके। मंत्री जी कह देंगे कि यह असम्भव है। अगर ला ऐंड आर्डर का काम इतना ज्यादा न हो तो डिस्ट्रिक्ट जजेज के यहां काम कुछ नहीं है और अगर है तो उसके लिये आप एक सिविल जज और अलग कर दीजिये, लेकिन जो आपत्तिकर्त्ता है उसके मन में विश्वास होना चाहिये कि हमारे साथ न्याय होगा। इसमें आपका क्या हर्ज है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसको मानें। हमारे मंत्री महोदय ने कई बार कहा कि यह तो हम करवायेंगे स्थानीय निकाय से परन्तु मैंने यह देखा कि यह शब्द उन्होंने बड़े सावधान होकर कहे। माननीय यूसुफ जी ने ठीक ही कहा और आपकी संयुक्त प्रवर समिति के पायस वर्डस हैं, कहां तक काम करेंगे। आज आप का शासन है, हो सकता है कि आपका शासन रहे या दूसरा मंत्रिमंडल आ जाय परन्तु जो कानून हैं वे तो वही रहेंगे। जैसा कि मैं समझता हूं कि काम्प्रिहैन्सिव ऐक्ट लाया जायगा फिर हम उसको बदल देंगे, संशोधन ला देंगे। इससे हमारी बुराई नहीं होगी। इससे पब्लिक का कितना समय नष्ट होगा। यह जरा सोचिये यह जो प्रस्ताव रखा है, यह बहुत सोच समझ कर रखा गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के हेतु वह बहुत ही उपयुक्त है और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उसको मानेंगे।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता महोदय, यह मैंने संशोधन के ऊपर कही गई बातों को बड़े ध्यान से सुना। इसकी मोटी-मोटी-बातों को जहां तक मैं समझ पाया हूं तो मेरे विचार में यह जो त्रिपाठी जी का संशोधन है इसको यदि मंत्री जी मान लें तो कोई हानि नहीं होगी, यह तो अत्यंत न्यायसंगत बात होगी। सक्षम अधिकारी ही मकानों को तुड़वायें और वही अन्तिम निर्णय दें यह हमारी समझ में नहीं आता और मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको मान लें।

[श्री लखीसिंह]

आपने जो एलाटमेन्ट अफसर बना रखे हैं उनको सर्वाधिकार है और गरीब जनता उनके कारण परेशान होती है। आपने उनको मकान तुड़वाने के लिये इतने अधिकार दे दिये हैं कि गरीब कैसे बचेंगे, छोटे खप्पर वाले कैसे बचेंगे ? इसका भी आपको विचार करना चाहिए। श्रीमन्, मैं निहायत अदब के साथ आप से भी यही अर्ज करूंगा कि आप भी सुझाव दें कि हमारा संशोधन मान लिया जाय। यह जनतंत्र की परंपरा के प्रतिकूल होगा यदि इस संशोधन को आप नहीं मानेंगे। यह आपकी कोरी तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है और निरी हठवादिता है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं त्रिपाठी जी द्वारा जो संशोधन रक्खा गया है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। यह संशोधन ऐसा नहीं है कि कह कर टाल दिया गया कि वह बड़ा अव्यावहारिक है, उसमें बड़ी कठिनाई होगी। परन्तु इस प्रस्तुत संशोधन के संबंध में मैं कुछ अनुभव के आधार पर कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक विभाग हमारा चकबंदी का है। वहां पर जो कन्सालिडेशन आफिसर होता है वही पड़ताल करवाता है और जो पड़ताल करवाने के बाद गलती हुई है उसकी आपत्ति की सुनवाई भी वही करता है। दूसरी बात मैं, पंचायत राज्य के प्रधानों के चुनाव में होती है, वह बताना चाहता हूं जब किसी अधिकारी को यह पता होता है कि उसका जजमेंट ही फाइनल होगा तो वह न्याय नहीं कर सकता। उसके मन में गलत भावना पैदा होती है। मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। उदाहरण के लिये मैं आपको बताऊं कि एक पंचायत के संबंध में हाकिम परगना को फैसला करना था। सब लोग जानते थे कि जो पंचायत के चुनाव हुये हैं वह गलत हुये हैं। उसका पिटीशन हाकिम परगना के यहां किया गया। हाकिम परगना को मालूम था कि उनका फैसला अन्तिम होता है। जब वह केस उनके सामने गया तो उन्होंने कहा कि उसकी सुनवायी के लिये उनके पास समय नहीं है और उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां पर भी यह लिख दिया जाता है कि अमुक अधिकारी का फैसला अंतिम होगा तो वह निरंकुश होकर निर्णय करता है। उसके पास आपत्ति आती है तो वह उसको सुनता तक नहीं है। इस केस में भी आप जिस अधिकारी को मकान गिराने के अधिकार दे रहे हैं उसी को उसके संबंध में आपत्ति सुनने के भी अधिकार दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है। अगर सरकार के पास सुनवायी होगी तो हर व्यक्ति के लिये यहां तक आना सम्भव नहीं होगा इसलिये जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने रखा है कि जिला न्यायाधीश के सामने अपील करने का अधिकार हो, यह उचित संशोधन है और माननीय मंत्री जी को इसे मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। आशा है यह सदन इस संशोधन को मान लेगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़े गौर से माननीय त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर दिये गये भाषणों को सुन रहा था। मुझे ऐसा लगा कि यह संशोधन निहायत ही उचित संशोधन है और मैं अवश्य ही इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करूं। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह अपील करूंगा कि वे इस संशोधन को तो अवश्य ही मान लें। श्रीमन्, मैं इस संशोधन में एक पवित्र भावना देखता हूं और वह यही है कि अगर कोई एजीक्यूटिव आफिसर जिसे सक्षम अधिकारी कहा गया है, कोई गलती करता है तो उसकी अपील का भी कहीं न कहीं प्राविजन होना चाहिये। इस बिल में उसके लिये कोई गुन्जायश होनी चाहिये। अगर आप एक ही व्यक्ति को सारे अधिकार देते हैं कि वही जमीन को एक्वायर करे, कब्जा करे, वही मुआवजा तय करे तथा सारे अधिकार उसी को हों और वही मैजिस्ट्रेट हो। कौन-सा व्यक्ति जिसके खिलाफ यहां रोज सदन में आवाज उठा करता है कि जुडीशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करो या एग्जिक्यूटिव को जुडीशियरी से अलग करो। लेकिन एग्जिक्यूटिव के हाथ में, उस अधिकारी के हाथ में अगर इस तरह का न्याय का अधिकार सौंप दिया जायगा तो रोज सैकड़ों का गला कटेगा। जब इधर के लोगों के खिलाफ ही पेटीशंस दायर हों तो उन्हें मैजिस्ट्रेट के निर्णयों के खिलाफ अपील करने का हक है उसके लिये निश्चित कायदे कानून बने हुये हैं। इसमें तो सक्षम अधिकारी का जिक्र नहीं है कि वह किस रैंक और ग्रेड का होगा। हम देखते हैं कि

कांग्रेस पार्टी की ओर से इधर के अधिकांश सदस्यों के ऊपर पेटीशंस दायर हुए हैं । वह आखिर कैसे दायर होते, किसके यहां दायर होते, हारे हुए लोग आखिर किसके पास जाते? यह तो इंसाफ का सवाल है । एक आदमी को दूसरी जगह अपील करने की गुंजायश होनी चाहिये ।

चकबन्दी के मुहकमे में देख लें, दूसरे मुहकमों में देख लें, हर जगह अपीलों का प्रावीजन दिया है, लेकिन यह ऐसा मामला है जिसमें लोगों के मकान गिराये जायं, लोगों की जमीन हड़प ली जाय, जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण भी हो सकता है । मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य हूं । अगर मेरा कोई शहर में मकान हो जिसको सक्षम अधिकारी मलिन बस्ती घोषित कर दे और वहां के लोगों से मेरी न पटती हो, राजनीतिक मतभेद हो तो मेरा मकान नहीं रहने पायेगा, कांग्रेस वालों का मकान बन जायगा । इससे भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलेगा । लेखपाल जो हिसाब किया करता है खसरा और खतौनी का इन्तखाब देने के लिये सौ सौ रुपये की डिमांड होती है लेकिन हजार दो हजार रुपये की मिल्कियत का हरजाना तय करने के लिये मुआवजा तय करने के लिये अगर अपील का प्रावीजन नहीं होगा तो मेरा निश्चित मत है कि अगर अधिकारी को खुश नहीं किया गया तो सौ रुपये का मकान का मुआवजा एक रुपया तय होगा और अगर खुश करने की मशीनरी तेज रही तो एक रुपये के मकान का मुआवजा सौ रुपया होगा । गांधीवाद में विश्वास करने वाले मंत्री जी अगर इस संशोधन को भी अपोज करें जिसमें केवल एक मांग की गयी है कि सक्षम अधिकारी की अपीलों की गुंजायश हो । न्याय मांगने की केवल प्रार्थना हो तो मैं नहीं समझता कि इस मांग को ठुकराने के पीछे इसके अलावा कोई दूसरा जस्टिफिकेशन है, सिवाय इसके कि मंत्री जी समझते हैं कि संख्यासुर के बल पर कि हां की संख्या अधिक है और नहीं की संख्या कम है मंत्री जी जो चाहें करा लें लेकिन मैं समझता हूं कि यह निहायत ही वाजिब संशोधन है । अगर आज यह संशोधन आप मान लेते हैं तो उस अधिकारी को एक डर रहेगा क्योंकि गलत फैसले जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उनके खिलाफ वहां से स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं । इस प्राविजन के न रहने से उनको पूरी छूट रहेगी जिसकी कल्पना आज उधर के बैठने वाले नहीं कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि उधर के बैठने वालों को इस बात की कल्पना करनी चाहिये और गम्भीरता से इस बात को सोचना चाहिये क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कही जा रही है कि उस अधिकारी के अधिकार छीन लिये जायं बल्कि यह कहा जा रहा है कि उसके एग्जीक्यूटिव राइट्स के खिलाफ यदि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में न जाने दिया जाय तो कम से कम जिला स्तर पर जुडीशियरी में जाने की तो गुंजाइश रहे ।

तर्क में यह कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने में मामला उलझ जायगा और सारा प्लान फेल हो जायगा । इसको मान लिया लेकिन कम से कम डिस्ट्रिक्ट जज के यहां जाने की गुन्जाइश तो रखिये । आप यह भी प्राविजन कर दीजिये कि मर्डर या इस तरह के दूसरे मुकदमों को छोड़कर माल या दीवानी के मुकदमों में इस तरह के मुकदमों को प्राथमिकता दी जाय ताकि उनके फैसलों में देर न होने पाये । लेकिन सरकार कहती है कि सक्षम अधिकारी को भगवान मानों जिसको सरकार नियुक्त कर दे । सक्षम अधिकारी की कोई परिभाषा भी बिल में नहीं दी गई है कि वह कौन होगा, हो सकता है कि बी० डी० ओ० के रैन्क का हो । आजकल जिस तरह से उधर मिनिस्टरों में बाढ़ आई है उसी तरह से प्रदेश में गजटेड अफसरों की बाढ़ आई है । पता नहीं किसको सरकार सक्षम अधिकारी मान लेगी क्योंकि बिल में उसकी कोई परिभाषा ही नहीं की गई है । मैं इस सदन से अपील करूंगा कि वह मन्त्री जी को मजबूर कर दे कि वह इस संशोधन को मान लें । मूल प्रस्ताव में इस संशोधन को जो कि माधोप्रसाद त्रिपाठी जी की ओर से पेश किया गया है माननीय मन्त्री जी जोड़ें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, माधोप्रसाद त्रिपाठी जी ने इस बात की बहुत शिकायत की कि मैंने उनकी कोई भी चीज नहीं मानी । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम इस मामले में मैं उनकी ७५ फीसदी बात मानने को तैयार हूं । लेकिन उनसे मेरी

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

शिकायत यह है कि उन्होंने इसको इस गलत ढंग से रखा कि विरोधी पक्ष के चार पांच भाइयों को गुमराह कर दिया। अगर और भाई बोलते तो कदाचित् वह भी गुमराह हो जाते। उन्होंने कहा कि सक्षम अधिकारी को आखिरी ताकत दे दी है, कोई अपील उसके विरुद्ध नहीं रखी गई है। यह बिलकुल गलत बात है। माननीय त्रिपाठी जी खंड २९ को देख लें जिसमें साफ लिखा हुआ है कि सक्षम अधिकारी का फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। यदि कोई उसके जजमेंट से क्षुब्ध है तो वह अपील कर सकता है। ऐसी बात नहीं है जैसाकि माधोप्रसाद जी ने कहा। उसमें हमने खास तौर से कहा है कि "आयुक्त को अथवा ऐसा अन्य अधिकारी या न्यायालय को जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे, अपील कर सकता है।" यदि हमें यह इत्मीनान हो जाय कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहां से जल्दी फैसला हो जायगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार को उसे मानने में कोई दिक्कत न होगी। सरकार को तो केवल यह डर है कि कहीं देरी न हो जाय। आज बदकिस्मती यह है कि छोटी-छोटी बातों पर स्टे आर्डर मिल जाता है नो कान्फीडेन्स मोशन आया कि स्टे आर्डर ले आया गया और देखा यह जाता है सिविल कोर्ट में काफी देरी होती है। उनका भी कहना ठीक हो सकता है कि उनके पास काम ज्यादा है और जजेज कम हैं लेकिन प्रोसेस इतना लम्बा है कि देरी हो ही जाती है। लेकिन जैसा कि माधोप्रसाद जी कहते हैं वैसी बात नहीं है हमने उसके विरुद्ध अपील प्रोवाइड की है। उसका जजमेंट रिवाइज हो सकता है।

श्री राधेश्याम--अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय मन्त्री जी और संशोधन पेश करने वाले महोदय की बात को गौर से सुना और कई बार अपनी बात भी मैंने सदन के सम्मुख रखी। मैं माननीय मन्त्री जी को बतलाना ही चाहता था लेकिन मन्त्री जी ने मेरी बात को हल्का कर दिया। दफा २९ में यह प्राविजन रखा गया है कि डिवीजन के आयुक्त को अथवा अन्य अधिकारी अथवा न्यायालय को नियुक्त करेगी। श्रीमन्, यह मैं कैसे मान लूं कि यह सरकार वही करती है जो कुछ कहती है। उन्होंने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया कि वे जल्दी करना चाहते हैं। तो वे तो उसी को मुकर्रर करेंगे जहां से जल्दी होगी और जो जल्दी से जल्दी इन मलिन बस्तियों पर प्रहार कर सकेगा। इसीलिये उन्होंने यह प्राविजन रखा है। इतने शुभ लक्ष्य के पीछे न्याय का गला घोटना मैं ठीक नहीं समझता। मैं एक उदाहरण पेश करूं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इसी सदन में ग्राम राज्य के प्रस्ताव पर कटौती का प्रस्ताव रखा था तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना चाहते हैं। हमने प्रस्ताव किया था कि ग्राम सभाओं को अधिकार दे दिया जाय। श्रीमन्, एक तरफ तो न्यायपालिका को अलग रखने की बात कही जाती है और दूसरी तरफ राज्य सरकार आयुक्त, कमिश्नर या न्यायाधीश जिसको भी वह नियुक्त करे, मैं कहता हूं कि आज सरकार अन्तिम रूप से सब के बदले में न्यायाधीश को ही क्यों नहीं रख देती है। क्योंकि सभी जानते हैं कि न्यायाधीश निष्पक्ष निर्णय करेगा। तमाम दुनिया के जनतन्त्र में ऐसा कहीं नहीं है कि अदालती पंचायतों के चुनाव में हारे हुये रखे जायं। श्रीमन्, ५२ और ५७ के चुनाव में भी इस तरह की कोई बात नहीं थी लेकिन अबकी बार के चुनाव में चूंकि कांग्रेस १८० स्थानों को खो चुकी। इसलिये उसने हम विरोधी एम० एल० एज० की छाती पर हारे हुये लोगों को भी अदालती पंचायतों की परामर्शदात्री समिति में रख दिया। फिर इस सरकार पर कैसे विश्वास किया जाय कि वह इस संशोधन के द्वारा न्याय कर सकेगी। आपको इस संशोधन को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। माननीय मन्त्री जी जितना जोर देकर अपनी बात को कहते हैं उससे ज्यादा जोर देकर मैं कहता हूं कि जनतन्त्र का गला न घोंटा जाय, इस लिये आवश्यक है कि आप न्यायाधीश के रखने वाले संशोधन को मान लें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--श्रीमन, माननीय मन्त्री जी ने जैसा अभी कहा हर समय वह यही कहते हैं कि माननीय सदस्य ने मालूम होता है कि विधेयक को ठीक से पढ़ा नहीं है। लेकिन मैंने इसे खूब पढ़ा है और अपनी बुद्धि से पढ़ा है। उनके सामने मैं एक प्रोपोजीशन रखता हूं

जिससे कि वे ऐग्री करेंगे। पहली बात तो यह है कि मैंने जो न्यायाधीश के यहां अपील करने का प्राविजन रखा है उसके अभिप्राय दो हैं। एक तो सक्षम अधिकारी पर बागडोर लगे और दूसरे सरकार की पार्टी पोलिटिक्स की नीतियों पर बागडोर लगे। क्योंकि सरकार सक्षम अधिकारी को नियुक्त करेगी और सक्षम अधिकारी जो रिपोर्ट करेगा वह फाइनल एप्रूवल के लिये सरकार के पास जायगा। यानी सक्षम अधिकारी निर्णय देगा और उस निर्णय को वह सरकार के पास भेजेगा। तो यह एक तार लग गया। इसमें कहीं कोई दूसरी गुंजायश नहीं है। यदि हम सरकार द्वारा की हुई नियुक्ति पर शंका करते हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है ? इसी सरकार के अधिकारी जिला न्यायाधीश भी हैं, जिनके बारे में सरकार कहती है कि उनके यहां अगर इस तरह की अपीलें जायेंगी तो देर पर देर हो जायगी। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि यह अड़ंगा लगाने वाली बातें हैं। मैं आपकी सद्भावना पर कोई दोष नहीं लगाता। जब हम आपकी सद्भावना पर कोई दोष नहीं लगाते तो फिर आप हमारी सद्भावना पर क्यों दोष लगाते हैं कि मलिन बस्तियों सम्बन्धी ऐक्ट को कार्यरूप में परिणत करने में हम बाधा डालना चाहते हैं। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं करता तो फिर आप हमारी नीयत पर क्यों शक करते हैं। खंड २९ में दिया हुआ है :—

"२९—(१) इस अधिनियम में व्यक्तरूप से की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस आदेश या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी या न्यायालय को, जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे, अपील कर सकता है।"

सरकार इतनी सचेत व सतर्क थी कि जहां उसने न्यायाधीश लिखा है वहां सिविल न्यायाधीश नहीं लिखा है। उसके मन में कोई बात अवश्य थी। नीचे उससे सिविल जज रख दिया है जिससे जब कोई केस आवे तो उसमें एक तरह से सार्टिंग करना पड़े कि कौन केस ऐसा है जिसे न्यायाधीश के पास भेजना चाहिये। आपको तो चाहिये यही था कि जहां आपने क्लासिफिकेशन किया है वहां जिला न्यायाधीश लिख देते। उसमें आप अज्ञानता प्रकट करते हैं उसको मैंने टच नहीं किया। अगर आप को अधिकार देना है तो जिसे फेस सेविंग डिवाइस कहते हैं उसमें देना है। अगर जिला जज रहे तो कोई बाधा भूमि अर्जन में न होगी, नहीं तो इसका क्या जवाब है, वह रफूगीरी हो सकती है बाकी वकील तो अपना काम करते ही हैं।

दूसरे आप देखें कि सक्षम प्राधिकारी अर्जन की घोषणा करेगा। "उपधारा (१) के अधीन नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत की गई किसी आपत्ति का निस्तारण सक्षम अधिकारी आपत्तिकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी रीति से करेगा जो नियत की जाय।" यानी वह प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के अनुसार आपत्तियों पर निर्णय देगा। हमारे मंत्री महोदय एक इंच भी हटना नहीं चाहते। उसके आगे वह कहते हैं कि "तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकारी उस भूमि या उस भवनों के संबंध में जिसे या जिन्हें इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अर्जित करने का प्रस्ताव हो, अपनी सिफारिशें राज्य सरकार के पास निर्णयार्थ भेजेगा।" इस तरह से फिर वह बागडोर राज्य सरकार के पास पहुंच जाती है। उसमें वही बात हमारे दल की है या नहीं है चलेगी। आज भी एक साधारण सी चीज में निर्णय नहीं होता, पंचायतों में रोज यह चीज देखने को मिलती है। मैं अपने जिले की बात बताता हूं, वह हार गये लेकिन फिर भी कहते हैं कि हमारी न्याय पंचायतें बनाई हुई हैं हम ही वहां रहेंगे। कौन सा कारण है कि यह शंका हम न करें कि हमारे साथ ऐसा न किया जायगा। इन्हीं तमाम शंकाओं को दूर करने के लिये हम कहते हैं। हमारा अनुभव है कि जब भी लैंड एक्वीजीशन प्रोसीडिंग के लिये रिकमेंडेशन आती है कि फलां जमींन चाहिये तो आप क्या करते हैं, आप उस पर केवल हस्ताक्षर ही कर देते हैं। कितने केस ऐसे हैं कि जिनमें आप आपत्ति करते हैं या उसको वापस लेते हैं। कहीं अगर आप के दल के लोग आकर कह देते हों कि यह न ली जाय उसकी बातें दूसरी हैं लेकिन विरोधी दल के लोगों की बात आप कितनी मानते हैं। इसलिये अगर आप जिला न्यायाधीश को यह चीज दे दें तो इसमें क्या हर्ज है ? उसमें आपने रखा है कि तत्पश्चात् सक्षम

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

अधिकारी उस भूमि या उन भवनों के सम्बन्ध में जिन्हें अर्जन करने का प्रस्ताव हो अपनी सिफारिशें राज्य सरकार के पास निर्णयार्थ भेजेगा । हमारी आशंका ऐसी दशा में उचित है । अगर नहीं है तो मंत्री जी बतायेंगे कि क्या गारंटी है कि ऐसा न होगा । हमारा अब तक का अनुभव तो बिलकुल विपरीत है । हमको शक है इसलिये हम कहते हैं सारी बागडोर अपने हाथ में रख ली । अपील का प्रावीजन छोड़ें । आगे यह कहते हैं :

"१७ (५) उपधारा (४) क अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन पर, उसमें उल्लिखित भूमि या भवन प्रकाशन के दिनांक से सभी भारों से मुक्त हो कर राज्य सरकार में पूर्ण रूप से निहित हो जायेंगे ।"

अब वहां तो वेस्ट कर दिया फिर हम अपील क्या करें । अब दूसरा झगड़ा खड़ा हो गया अपील लाई कहां करते हैं । सम्भव है हमारी राय गलत हो, मेरा इंटरप्रीटेशन यह है । आपने इधर लिख दिया सब्जेक्ट टु दि प्रोवीजन्स टु दि कांट्रेरी और यह भी नहीं लिखा कि रोक देंगे और सारी कार्यवाही स्टे हो जायगी । जैसे हम अदालत में जाते हैं तो कहा जाता है स्टे आर्डर ले आओ । होगा यह कि पब्लिकेशन हुआ और गरीब को मालूम नहीं वह घर में बैठा हुआ है, एक सदस्य ने कहा उसके पास डायरेक्टली न भेजा जाय, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उसको मालूम भी हो तो वह कहां इस घुड़दौड़ में ठहर पायेगा । वह पब्लिकेशन करेगा तमाम मकानों को ध्वस्त करके एकदम मकान बनने चाहिये । लेकिन वह भी नहीं । दो साल के भीतर उस भूमि का विकास होगा और अगर उतने में भी न हो सका तो सक्षम अधिकारी उसके कारण सरकार को लिखेगा । अब उधर तो मकान गिर गये आप अपील ले कर चाटा करें । आप कहते हैं कि हमने प्रावीजन किया है फिर शंका क्यों ? अगर ऐसा है तो क्यों नहीं लिख देते कि भूमि ऐक्वायर की जायगी उसके बारे में जिला न्यायाधीश के यहां अपील की जा सकती है । लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा । जब आपने मकान गिराने के बाद फिर से उस क्षेत्र के विकास के लिये २, २ साल का समय ले रखा है तो आप हमारी बात भी मान लें जिला न्यायाधीश लिख दें । इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं । जब वह जमीन फ्री फ्रम आल इनकम्बरेंसेज सरकार में पब्लिकेशन के दिन से वेस्ट कर जायगी और इतनी लम्बी अवधि का प्राविधान अपने लिये आपने कर लिया तो उधर तो मकान ध्वस्त हो गये और इधर उस क्षेत्र का विकास भी न हो, ऐसी स्थिति से क्षुब्ध हो कर अगर कोई अपील करना चाहता है तो आप क्यों नहीं उसको जिला न्यायाधीश के यहां अपील करने का अधिकार देते । अतः मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं कि सरकार इसको माने ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह हालत तो तब है जब ८० फीसदी उनकी बातें मान लीं । यह कहा गया कि जो यह लिख दिया 'It will vest in govt. free from all en-cumbrances.' इसके मतलब यह हैं कि अपील नहीं हो सकेगी । तो अपील के लिये लिखा है कि ३० दिन के अन्दर अपील कर सकता है । सिर्फ वह यह चाहते हैं कि नये उपखंड के रूप में इसको प्रोवाइड कर दिया जाय कि जिला न्यायाधीश के यहां अपील कर सकेगा । यदि यह करना होता तो यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति में गया, दूसरे हाउस में गया वहां कर दिया गया होता । आनेस्ट फीलिंग यह है कि इतना समय लग जायगा इससे कम समय में स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी । जब तक यह विश्वास है कि इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना प्रेक्टिकली असम्भव हो जायगा तब तक मैं अपने साथ और सदन के साथ यह अन्याय करूंगा अगर माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करता हूं । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय माधोप्रसाद जी, आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित नये उपखंड (६) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(६) इस खंड के उपखंड (२) में दिये गये आदेश अथवा निर्णय से क्षुब्ध होने पर उसके विरुद्ध सम्बन्धित जिला न्यायाधीश के पास ३० दिन के अन्दर अपील की जा सकती है और उनका निर्णय अन्तिम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

राज्य सरकार द्वारा अर्जित भूमि, सक्षम प्राधिकारी को उपलभ्य कराना

१८—(१) यदि कोई भूमि या भवन इस अधिनियम के अधीन अर्जित किया गया हो तो राज्य सरकार उसे सक्षम प्राधिकारी को, उस पर कोई सुधार-कार्य करने या भवन गिराने का आदेश कार्यान्वित करने अथवा पुनः विकास या मलिन बस्तियों के निवासियों को पुनर्वासन के प्रयोजन के लिये या इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्रयोजन के लिये, उपलभ्य करायेगी और तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी इस प्रकार उपलभ्य करायी गयी भूमि या भवन का उक्त प्रयोजन के लिये उपयोग करेगा।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को उपलभ्य करायी गयी भूमि पर किन्हीं मकानों का निर्माण किया गया हो तो उन्हें, जहां तक ऐसा करना संभव हो, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, उस क्षेत्र में गिराये गये भवनों के अध्यासियों को सबसे पहले प्रविष्ट किये जाने के लिये अर्पित किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९

प्रतिकर का भुगतान

१९—(१) प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी भूमि या भवन अथवा उसमें कोई स्वत्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अर्जित किया गया हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का हकदार होगा और प्रतिकर का भुगतान उसे राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से किया जायेगा।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर का भुगतान राज्य सरकार को उस व्यक्ति के प्रति दायित्व से जो ऐसा भुगतान पाने का विधितः अधिकारी हो, पूर्णरूप से मुक्त करेगा, किन्तु इससे प्रतिकर के संबंध में किसी ऐसे अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसे कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसे इस प्रकार भुगतान किया गया हो, प्रवर्तित करने का हकदार हो।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ में निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(३) जिन मकान मालिकों की सालाना आमदनी ४,००० रुपये तक है उन्हें graded scale पर rehabilitation grant भी दी जायगी।"

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

मैं कहते-कहते परेशान हो गया लेकिन मंत्री जी ने तय कर लिया है कि कोई बात मानेंगे नहीं । यह बात भी कहे दे रहा हूं । जिन लोगों के मकान गिराये जा रहे हैं और जिन लोगों की सालाना आमदनी ४,००० रुपये तक हो उनको आप रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देंगे । आप उनको उजाड़ देने के बाद मकान भी नहीं देंगे, सस्ते किराये पर मकान भी नहीं देंगे तो इतनी बात तो करिये कि उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दीजिये । पूंजीपतियों को मत दो, लेकिन जो चार हजार रुपये सालाना तक की आमदनी वाले हैं उनको तो आप रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मदद के लिये दें । इतनी बात मानने में क्या आपत्ति है ? सस्ते मकान भी आप नहीं देते हैं । भंगियों के लिये मकान बनवाये तो डिफेन्स वालों को दिये गये । मजदूरों के लिये क्वार्टर्स बने तो वहां पी० ए० सी० वाले बसाये गये तो कम से कम थोड़ी तनख्वाह वालों की तो आप मदद करिये । इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मुझे माननीय युसूफ साहब की भावना से अजहद हमदर्दी है । उनकी बहुत सी मांगों को अगर मैं मान सकूं तो मान लूं, लेकिन जब एक ही सांस में वह दो मुख्तलिफ बातें कहते हैं तो नामुमकिन हो जाता है । एक तरफ उनको शिकायत है कि जो मकान बन रहे हैं वह बड़े महंगे बनते हैं उनमें गरीब आदमी नहीं रह सकते, लेकिन चूंकि गरीबों के लिये मकान बन रहे हैं, इसलिये उन पर ज्यादा भार न पड़े । यह भी साथ ही में वह चाहते हैं कि चार हजार सालाना आमदनी वालों को यानी जिनकी आमदनी तकरीबन साढ़े ३०० रुपये महीना पड़ती है उनको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाय और उनके लिये इस समय उनके दिल में हमदर्दी उमड़ रही है जब कि जो मकान बनाने की लागत है वह बढ़ती चली जा रही है । इस तक को तो मिले । यानी इसको मुआविजा तो मिले ही, साथ में रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट भी दी जाय । और यह आये कहां से ? उस गरीब, सर्वहारा से जिसके लिये हमारे सोशलिस्ट भाई कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और आश्रय । तो उसी को आश्रय देने के लिये ही तो हम मकान बना रहे हैं । एक तरफ तो युसूफ साहब चाहते हैं कि लागत न बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि बढ़े और साढ़े तीन सौ रुपये महीना पाने वालों को रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी जाय । लिहाजा ५० परसेंट हमें उनकी राय के बरखिलाफ काम करना होगा । तो मैं इस समय उनकी वह राय मान रहा हूं जो गरीबों के पक्ष में है । यानी, ३५० रुपये माहवार पाने वालों की बात तो रिजेक्ट करता हूं और ४० और ५० रुपये पाने वालों के पक्ष में आपकी बात को मान रहा हूं । मुझे अफसोस है कि ४० रुपये पाने वालों के वास्ते मेरे दिल में ज्यादा हमदर्दी है बनिस्बत १०० और ३५० रुपये पाने वालों के ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—अधिष्ठाता महोदय, आज मलिन बस्ती सुधार विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये उन पर इधर और उधर, दोनों पक्षों की बात मैंने सुनी । जहां तक ४ हजार रुपये सालाना पाने वालों की बात है, कोई भी आदमी जो ४ हजार रुपये सालाना पाता है वह इन मलिन बस्तियों में नहीं रहता । जहाँ तक ३० दिन की अपील की बात है . . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इसी संशोधन तक सीमित रहें । अपील वाली बात तो खत्म हो चुकी ।

श्री हरीसिंह—मुझे मालूम है, लेकिन मैं पहल बोलना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला इसलिये मुझे अपनी बात तो कहनी ही है ।

श्री अधिष्ठाता—जी नहीं । अब आप इसी संशोधन पर बोलिये ।

श्री हरीसिंह—श्रीमन्, होना यह चाहिये कि जिन गरीबों के मकान गिराये जायं और जिनके पास किसी प्रकार के साधन न हों उनके लिये पहले मकान बना कर तैयार किये जायं ।

लेकिन विरोधी पक्ष के लोग तो इन गरीबों की आड़ म अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं, यही मैं बराबर देख रहा हूं । कोई भूमि सीमा निर्धारण की या एलक्शन की बात का उदाहरण दे रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य इसी संशोधन के बारे म कह ।

श्री हरीसिंह—मैं वही कह रहा हूं । तो जहां तक ४ हजार रुपय पान वाल की बात है, यह संशोधन बिलकुल अमान्य है और इसलिये नहीं मानना चाहिये कि गरीब लोगों की तो आजतक नगरपालिकाओं ने तनख्वाह ही नहीं बढ़ायी, मलिन बस्तियों में ४ हजार सालाना की आमदनी वाले आयेंगे कहां से । असल में वह लोग इन गरीबों का नाम ले कर फायदा उठाना चाहते हैं जो अपने को शहरों में सरमायेदार कहते हैं । और जिनके बड़े बड़े किरायेदार हैं और जो उनसे लाभ उठाते हैं । इसलिये श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन का ताल्लुक है, मैं इसका विरोध करता हूं और ऐसा कोई संशोधन न माना जाय जिसमें गरीबों का अहित होता हो ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—जहां तक इसका ताल्लुक है सब सरमायेदार हैं, क्योंकि भत्ता वगैरह मिलाकर आम लोगों के ३००–३५० हो जाते हैं और मिनिस्टरों का तो बहुत हो जाता है । मैं ३५० रुपये वाली बात को वापस लेता हूं और कहता हूं कि मंत्री जी १०० रुपये तक की आय वालों की बात मान लें । अगर १०० की नहीं मानते हैं तो ६० तक वालों की बात मान लें । मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं । कुछ तो वे मान लें ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, ४० रुपये वालों की बात मैंने मान ली है ।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मंत्री जी इनको बसाने की कोई बात तो मान लें । मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इन बातों पर ध्यान रखेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १९ में निम्नलिखित नये उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(३) जिन मकान मालिकों की सालाना आमदनी ४,००० रुपये तक है उन्हें graded scale पर Rehabilitation grant भी दी जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २०

२०—(१) इस अधिनियम के अधीन अर्जित किसी भूमि या भवन के संबंध में प्रतिकर के रूप में देय धनराशि, धारा १७ की उपधारा (४) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के दिनांक से ठीक पहले के लगातार पांच वर्षों की अवधि में ऐसी भूमि या भवन से वास्तव में प्राप्त शुद्ध औसत मासिक आय के सौ गुने के बराबर होगी । प्रतिकर का अवधारण

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित शुद्ध औसत मासिक आय की गणना अनुसूची में दी गई रीति और सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी ।

(३) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात् जो नियत की जाय, उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय अस्थायी रूप से अवधारित करेगा और भूमि या भवन के स्वामी पर और उसमें स्वत्व रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर एक नोटिस और भूमि या भवन की शुद्ध औसत

मासिक आय, जो उसके द्वारा अस्थायी रूप से अवधारित हो, का ज्ञापन तामील करेगा या तामील करायेगा, जिससे कि यदि उसके संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह नोटिस में उल्लिखित दिनांक तक की जा सके ।

(४) उपधारा (३) के अधीन नोटिस के अनुसरण में की गई प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण सक्षम प्राधिकारी, आपत्ति-कर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् करेगा ।

(५) यदि उपधारा (३) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय के अस्थायी अवधारण के विरुद्ध कोई आपत्ति नोटिस में निश्चित अवधि के भीतर न की जाय, या यदि आपत्तियां की गयी हों, तो उपधारा (४) के अधीन जब उनका निस्तारण हो जाय तो सक्षम प्राधिकारी भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय जो उसने अंतिम रूप से अवधारित की हो, सरकारी गजट में प्रकाशित करके घोषित करेगा ।

(६) उपधारा (५) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये शुद्ध औसत मासिक आय के अंतिम अवधारण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस (अवधारण) के प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त (कमिश्नर) को या ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा न्यायालय को अपील कर सकता है जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे ।

(७) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्त्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात्, भूमि या भवन की शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करेगा, और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा तथा उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २१

प्रतिकर का विभाजन

२१—(१) यदि धारा २० के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि में अनेक व्यक्ति स्वत्व रखने का दावा करें, तो सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों का जो उसकी राय में प्रतिकर पाने के हकदार हों तथा उनमें से प्रत्येक को देय धनराशि का अवधारण करेगा ।

(२) यदि प्रतिकर या उसके किसी भाग के विभाजन के बारे में अथवा इस बारे में कि किन व्यक्तियों को प्रतिकर या उसका कोई भाग देय है, कोई विवाद उठे तो सक्षम प्राधिकारी उक्त विवाद को मध्यस्थ को अभिदिष्ट कर सकता है ।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

(३) मध्यस्थ, उपधारा (२) के अधीन अभिदिष्ट विवाद का निर्णय करने में, यथाशक्य लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ के भाग ३ के उपबंधों का अनुसरण करेगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२ व २३

२२—(१) सक्षम प्राधिकारी, प्रतिकर की धनराशि के अंतिम अवधारण के पश्चात् राज्य सरकार की ओर से प्रतिकर की धनराशि का भुगतान, उन व्यक्तियों को जो उसे पाने के हकदार हों, करने का प्रस्ताव करेगा और उसका भुगतान करेगा ।

प्रतिकर का भुगतान करना या उसे न्यायालय में जमा करना

(२) यदि वे व्यक्ति जो, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ द्वारा अवधारित प्रतिकर के हकदार हों, उसे स्वीकार न करें या उसके विभाजन के बारे में कोई विवाद उठे तो सक्षम प्राधिकारी उसे जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जमा कर देगा और वह न्यायालय इस प्रकार जमा की गयी धनराशि के संबंध में उस रीति से कार्यवाही करेगा जो लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ३२ तथा धारा ३३ में दी हुई है ।

ऐक्ट संख्या १, १८९४

२३—(१) मलिन बस्ती क्षेत्र में किसी भवन या भूमि के किसी किरायेदार को निकालने की किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन यहां आगे की गई व्यवस्था से अन्यथा तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि धारा ३ के अधीन घोषणा प्रचलित रहे, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात हो ।

मलिन बस्ती क्षेत्रों में किरायेदार, सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं निकाले जायेंगे

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित डिक्री या आदेश, उपधारा (३) के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् निष्पादित किया जा सकता है ।

(३) उपधारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र ऐसे प्रपत्र में दिया जायेगा और उनमें ऐसे विवरण दिये होंगे, जो नियत किये जायं ।

(४) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, प्रार्थी और किरायेदार को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और मामले की परिस्थितियों के संबंध में ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उपयुक्त समझे, यदि उसकी राय हो कि डिक्री या आदेश का निष्पादन इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन को निष्फल कर देगा या उसके लिये हानिकारक होगा तो प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है, किन्तु अन्य सभी दशाओं में वह उसे स्वीकार कर सकता है ।

(५) यदि सक्षम प्राधिकारी ने अनुज्ञा देने से इन्कार करे तो वह इस प्रकार इन्कार करने के कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रतिलिपि प्रार्थी को उपलभ्य करायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २२ और २३ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २४, २५ तथा २६

२४—धारा २३ की उपधारा (४) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त को अथवा ऐसे अधिकारी या न्यायालय को जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा तथा किसी विधि न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी ।

अपील करने का अधिकार

प्रवेश तथा निरीक्षण का अधिकार

२५--(१) किसी क्षेत्र के संबंध म धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती क्षेत्र की या धारा १० के अधीन निपातन-क्षेत्र की घोषणा जारी किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति--

(क) ऐसे क्षेत्र के किसी भवन या भूमि पर, सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, जांच, निरीक्षण, मापन, मूल्यांकन अथवा सर्वेक्षण करने या कोई ऐसा कार्य करने के अभिप्राय से प्रवेश कर सकता है जो आवश्यक हो और जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अथवा तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन प्राधिकृत हो;

(ख) ऐसे क्षेत्र में अथवा उस क्षेत्र के किसी भवन या भूमि के भीतर स्थित किसी नाली, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप (Sesspool), पाइप, मलनाले या मोरी का निरीक्षण कर सकता है और, यथास्थिति उक्त नाली, शौचालय, मूत्रालय, मलकूप, पाइप, मलनाले या मोरी से उत्पन्न किसी कंटक (nuisance) को रोकने या हटाने के प्रयोजन के लिये स्वमति से जमीन खुदवा सकता है;

(ग) ऐसे क्षेत्र में तल मालूम करने अथवा किसी मीटर को हटाने, उसकी जांच करने, उसका परीक्षण करने, उसे बदलने या पढ़ने के लिये निर्माणाधीन कार्यों का परीक्षण कर सकता है;

(घ) किसी द्वार, फाटक या अन्य अवरोध को खोलने या खुलवाने के लिये किसी आस्थान में प्रवेश कर सकता है:--

(१) यदि वह इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत प्रवेश करने के प्रयोजन के लिये उसका खोला जाना आवश्यक समझे; और

(२) यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हो अथवा उपस्थित रहने पर ऐसे द्वार, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करें;

(ङ) ऐसे क्षेत्र में किसी भूमि पर, सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या तदन्तर्गत बने नियमों के द्वारा या उनके अधीन प्राधिकृत किसी निर्माण-कार्य के पास गज के भीतर उसमें कोई मिट्टी, कंकड़, पत्थर या अन्य सामग्री जमा करने के प्रयोजन के लिये अथवा उस कार्य तक पहुंचने के लिये, या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिये, प्रवेश कर सकता है ।

(२) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (१) के अधीन प्रवेश करने के लिये प्राधिकृत हो, किसी भूमि में प्रवेश करने के पूर्व उसमें प्रवेश करने का प्रयोजन बतलायेगा और, स्वामी या अध्यासी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, उतनी भूमि को घेर देगा जितनी उस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो ।

(३) इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन, प्राधिकृत कोई भी प्रवेश सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच ही किया जायेगा ।

(४) इस अधिनियम में की गई, अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए किसी भवन या भूमि में उसके अध्यासी, या यदि कोई अध्यासी न हो तो उसके स्वामी, की सम्मति के बिना साधारणतया प्रवेश नहीं किया जायेगा और, यथास्थिति, उक्त

अध्यासी अथवा स्वामी को इस प्रकार प्रवेश करने के अभिप्राय का, कम से कम चौबीस घंटे पूर्व, लिखित नोटिस दिये बिना उसमें प्रवेश नहीं किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि यदि निरीक्षण किया जाने वाला स्थान पशुओं का छादक (शेड) या शौचालय, मूत्रालय अथवा निर्माणाधीन कोई कार्य हो तो ऐसा नोटिस देना आवश्यक न होगा ।

(५) उपधारा (१) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, इस धारा द्वारा प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करते समय, यथासंभव, कोई क्षति न पहुंचने देगा ।

(६) यदि इस धारा द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते समय कोई व्यक्ति किसी भवन या भूमि को क्षति पहुंचाये तो क्षति की पूर्ति प्रारम्भ में यथास्थिति, भवन या भूमि को उसी दशा में पुनः लाकर की जायेगी जिसमें वह, इस धारा के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी ।

(७) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उस भवन या भूमि की दशा, जिससे इस धारा के अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करते समय किसी व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाई गई हो, उस दशा में नहीं लायी जा सकती जिसमें वह इस धारा के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाये जाने के पूर्व थी, तो वह उसके लिये प्रतिकर की समुचित धनराशि अवधारित करेगा और ऐसे भवन या भूमि के स्वामी अथवा अध्यासी या दोनों को उसका भुगतान करेगा:

प्रतिबंध यह है कि कोई स्वामी या अध्यासी, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर की धनराशि से सहमत न हो डिवीजन के आयुक्त को अपील कर सकता है जो सम्बद्ध पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा । आयुक्त का निर्णय अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि-न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी ।

निकालने के अधिकार का प्रयोग केवल सक्षम प्राधिकारी करेगा

२६—यदि सक्षम प्राधिकारी का, भवन के स्वामी के अभ्यावेदन पर या किसी ऐसी अन्य सूचना के आधार पर, जो उसके पास हो, यह समाधान हो जाय कि भवन के अध्यासियों ने, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का अनुपालन करके उसे खाली नहीं किया है तो वह लिखित द्वारा आदेश अध्यासियों को ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर निकालने का निदेश दे सकता है जो उक्त आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो और तदर्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक हो :

प्रतिबंध यह है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी भवन के अध्यासियों को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण प्रकट करने का समुचित अवसर देगा ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २४, २५ तथा २६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नये खंड २६–क, २६–ख, २६–ग तथा २६–घ

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं—

खंड २६ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २६–क, २६–ख, २६–ग तथा २६–घ के रूप में जोड़ दिये जायं—

"२६–क—धारा २६ के अधीन किसी अध्यासी को निकालने का आदेश देने के पूर्व स्थानीय निकाय को यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित अध्यासी के निवास के लिये यदि उसे स्वयं प्राप्य न हो यथासंभव व्यवस्था कर दे ।

२६–ख—धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती क्षेत्र की, या धारा १० के अधीन निपातन क्षत्र की घोषणा जारी की गयी कायवाही क फलस्वरूप जो व्यक्ति विस्थापित होंगे उनक पूर्व निवास-स्थान पर बनाये गये भवनों में रहने का अधिकार नियत शर्तों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से पहले प्राप्त होगा । भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात हो । यदि नोटिस द्वारा उक्त भवन में रहने के लिये सूचना पाने के ३० दिन के अन्दर वह अध्यासी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता तब वह मकान किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है किन्तु किसी अन्य व्यक्ति को दत समय भी उन व्यक्तियों का भी अधिकार प्रथम होगा जो किसी मलिन बस्ती से हटाये गये हों या हटाये जाने वाले हों ।

२६–ग—धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती घोषित होने के बाद अथवा धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र के घोषित होने के बाद जो व्यक्ति विस्थापित हुये हों, और वे जो हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय वाले व्यक्ति रहे हों तो उपरोक्त स्थान या क्षेत्र में बनाये जाने वाले भवनों की स्थिति या लागत कदापि एसी नहीं होगी जिसके कारण उनका निर्धारित किराया उपरोक्त व्यक्तियों की सामर्थ्य के बाहर हो । किसी भी दशा में उनका किराया ८ रु० प्रति मास से अधिक न होगा ।

२६–घ—यदि धारा ३ के अधीन घोषित हुई मलिन वस्तियों में स्थित भवनों के स्वामी हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय के व्यक्ति हों, या इसी प्रकार के लोग धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र घोषित हुये क्षेत्र में स्थित भवनों के स्वामी हों तो स्थानीय निकाय उन व्यक्तियों को नियत शर्तों व विनियमों के अधीन subsidy और ऋण देगा या राज्य सरकार से दिलायेगा यदि वह स्वयं भवन बनाना चाहें । किन्तु यदि स्थानीय निकाय उन स्थानों पर स्वयं भवन बनावे तो वह इस बात पर ध्यान अवश्य रखे कि भवन इस प्रकार के या ऐसे स्थान पर निर्मित हों कि उपरोक्त लोग रहने का अवसर पाने पर अपने व्यवसाय से उखड़ न जायं ।"

श्री अधिष्ठाता—बस, अब कल को पेश करेंगे । अब हम उठते हैं । कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
६ अगस्त, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७५ पर]

प्रश्न सं० ६ के उत्तर में उल्लिखित विवरण

युवक कल्याण का कार्य शिक्षा, समाज कल्याण तथा नियोजन विभागों में हो रहा है। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में विद्यालयों में शारीरिक संवर्धन, शिक्षा की प्रोन्नति तथा युवक कल्याण कार्यक्रम की एक योजना बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित है :—

१—राज्य युवक रैली।

२—अखिल भारतीय विद्यालयों और राज्य के टूर्नामेन्टों में भाग लेना तथा भाग लेने वाले नये खिलाड़ियों को प्रशिक्षण।

३—अन्तर्सम्भागीय टूर्नामेंट आयोजित करना।

४—बालकों तथा बालिकाओं के लिये संभागीय युवक रेलियां।

५—खेल-कूद की सज्जा आदि के लिये व्यवस्था।

इस योजना के लिये १९६२–६३ के आय-व्ययक में २,५१,००० रु० का प्राविधान किया गया है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में किये जाने वाले कार्य का विवरण इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रीय शिविरों का आयोजन करना। इसके लिये इस वर्ष के बजट में २५,००० रु० का प्राविधान किया गया है। इन शिविरों में ग्रामीण युवकों के शारीरिक विकास और रहन-सहन के लिये प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्य को सम्पन्न करने हेतु प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया जाता है। इस वर्ष इस प्रकार के क्षेत्रीय शिविरों में से प्रत्येक ६ जिलों के लगभग १२० प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायगा। ५४ जिलों में ऐसे कुल ९ क्षेत्रीय शिविर आयोजित किये जायेंगे। कुल शिविरों को मिलाकर १०८० प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पायेंगे।

इस प्राविधान के अतिरिक्त २५,००० रु० की एक और धनराशि का भी प्राविधान समाज कल्याण विभाग के बजट में किया गया है। यह प्राविधान गत कई वर्षों से किया जा रहा है। गत दो वर्षों में इस रुपये से लखनऊ में प्रदेशीय स्तर पर एक युवती समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में प्रदेश के हर जिले से एक टीम सम्मिलित होती है। इस समारोह की मुख्य रूप-रेखा, खेलकूद, व्यायाम, मनोरंजन तथा दस्तकारी प्रदर्शनी आदि सम्मिलित हैं। गत दो वर्षों की भांति इस वर्ष की एक युवती समारोह मनाये जाने का विचार है।

नियोजन विभाग के अन्तर्गत प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा युवक कल्याण के कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ७२ हजार ग्राम सभाओं में से ३० हजार ग्राम सभाओं में युवक मंगल दल का संगठन करने का विचार है। युवक मंगल दल की योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच प्रमुख युवकों द्वारा आयोजित करने की शिक्षा दी जाती है :—

१—किचन गार्डन (रसोई उद्यान) के माध्यम से वैज्ञानिक कृषि पद्धति की योजना।

२—पशुपालन एवं गृह-उद्योग के अन्तर्गत लघु योजना—बछड़ा पालना, मधु-मक्खी पालना, रेशम के कीड़े पालना, दरी एवं कालीन बुनना तथा सीप के बटन बनाना आदि।

३—ग्रामीण खेल-कूद, कबड्डी, खो-खो, सूर्य नमस्कार आदि।

४—सांस्कृतिक कार्यक्रम—ग्रामीण समस्याओं पर आधारित एकांकी नाटक, अभिनय, लोकगीत, लोकनृत्य आदि।

५—समाज सेवा के अन्तर्गत श्रमदान, ग्राम की सफाई, आकस्मिक घटनाओं में सहायता प्राथमिकता आदि।

इस योजना को दृढ़तर बनाने के लिये ब्लाक-स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर युवक कार्यकर्त्ताओं तथा युवक सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

इस समय प्रदेश में १७,३२० युवक क्लब तथा १,९४,४८२ सदस्य हैं।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८३ पर]

जिला झांसी के सरकारी जंगलों से किसानों को प्रश्न २४ में उल्लिखित आवश्यकताओं के हेतु जो सुविधायें प्राप्त हैं उनकी सूची ।

क्र०-सं०	सरकारी जंगल	सुविधायें
१	पुराने सुरक्षित वन ..	१—घरों तथा कृषि संबंधी औजारों जैसे हल, बखार तथा रहट के हेतु लकड़ी के निःशुल्क दिये जाने की छूट । २—खेतों की घारी करने (खेतों को घेरने) हेतु सामग्री निःशुल्क दिये जाने की छूट । ३—कुछ गांवों द्वारा वन में गिरी हुई लकड़ी का अपनी घरेलू वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सर के बोझ के रूप में निःशुल्क इकट्ठा किया जाना । ४—घरेलू आवश्यकताओं हेतु खरप-तवार (छप्पर छाने के लिये) के निःशुल्क इकट्ठा किये जाने की छूट ।
२	निहित (vested) वन जो जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप वन विभाग के अन्तर्गत आये हैं ।	१—वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं हेतु सर के बोझों के रूप में सूखी गिरी हुई लकड़ियों का इकट्ठा किया जाना । २—माल विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित मांगों के आधार पर खेतों के चारों ओर झाड़ी लगाने हेतु कांटों तथा झाड़ियों का इकट्ठा किया जाना । यह सुविधा ललितपुर, मदौरा और आंशिक तालबेहाट रेंज के निहित वनों में निःशुल्क उपलब्ध है । अन्य स्थानों पर यह सुविधायें अनुसूचित दरों (Scheduled rates) पर उपलब्ध हैं । ३—कृषि संबंधी औजारों हेतु अनुसूचित दरों पर लकड़ी की पूर्ति, यदि उपलब्ध हो ।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९० पर]

३१ मार्च, १९६२ तक बुन्देलखंड वन प्रखण्ड झांसी में निम्नलिखित रेंजर, सहायक रेंजर व फारेस्टर हैं जो तीन वर्ष से अधिक दिनों से एक ही जिले में हैं कर्मचारियों के पद-स्थान, उसमें कार्य करने की अवधि एवं वर्तमान रेन्ज का विवरण भी निम्नलिखित है—

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	जिला	वर्ष-माह-दिन	रेन्ज का नाम
१	२	३	४	५	६
१	सर्व श्री के० वी० श्रीवास्तव	फारेस्ट रेंजर	झांसी रेंज,	३–३–२८	तालबेहट रेन्ज
			तालबेहट	०–३–०	
२	फरीदुद्दीन ..	डिप्टी रेन्जर	झांसी	१–०–०	"
			मडवरा	१–६–०	
			तालबेहट	१३–०–०	
३	जे० एस० अवस्थी ..	"	महरोनी	०–१–१५	ललितपुर रेन्ज
			मडवारा	०–१०–०	
			मडवारा	१–५–०	
			ललितपुर	५–६–०	
१	शंकर लाल	फारेस्टर	मऊ	८–०–०	
			झांसी	४–०–०	
			ललितपुर	३–६–०	मोठ रेन्ज
			झांसी	२–०–०	
			मोठ	५–७–०	
२	मोहम्मद इस्माइल	फारेस्टर	मरवाड़ा	५–७–०	मड़वारा रेन्ज
३	जे० पी० मिश्रा	फारेस्टर	तालबेहट	४–०–०	
			मऊ	२–०–०	मऊ रेंज
४	एस० एस० लाल	फारेस्टर	मोठ	३–३–२४	मोठ रेंज
५	दीना प्रसाद	फारेस्टर	तालबेहट	३–०–०	
			ललितपुर	१–७–०	
			मडवारा	०–९–०	मडवारा
६	श्री राम देव ..	फारेस्टर	ललितपुर	५–१–१५	ललितपुर
७	राम संजीवन	फारेस्टर	मऊ	३–३–२९	मऊ

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	जिला	वर्ष-माह-दिन	रेंज का नाम
१	२	३	४	५	६
८	सर्व श्री महीपत ..	फारेस्टर	ललितपुर	१–११–०	
			मोठ	१–१–०	
			गुरसराय	२–४–०	
			मड़वारी	३–१–२२	
			झांसी	१–२–०	झांसी
९	के० के० ..	फारेस्टर	मुड़वारा	०–१०–०	
			हेड आफिस	१–९–०	
			गुरसराय	०–९–०	गुरसराय
१०	पंचमसिंह ..	फारेस्टर	ताल बेहट	३–१–१५	तालबेहट रेंज
११	श्री एच० सी० ..	फारेस्टर	गुरसराय	०–१०–०	
			ललितपुर	२–७–०	
			मड़वरा	०–६–०	मड़वारा

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९२ पर]

रकम	अदायगी की तिथि	प्रस्ताव संख्या तथा तिथि जिसमें रकम मंजूर हुई
रु०		
५००	२०–८–६० ..	प्रस्ताव संख्या ३१६, दिनांक २८ अप्रैल, १९६०।
१५०	२६–९–६० ..	
१५०	३१–३–६१ ..	
१२५	३–३–६२ ..	प्रस्ताव संख्या १९९, दिनांक ९–१–६२ (जन सुविधा समिति।)
७५०	४–१–६१ ..	प्रस्ताव संख्या ५९८, दिनांक ८ नवम्बर, १९६०।
१,०००	१६–६–६१ ..	प्रस्ताव संख्या ७५९, दिनांक २३ मार्च, १९६१।
१,२००	३१–३–६२ ..	
२५	(इसकी सूचना नगरपालिका ने नहीं भेजी है)	अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत खराब मोटरों के नम्बर तथा उनमें बदले गये क्वायलों की संख्या इस प्रकार है:—

मोटर संख्या	नये बदले गये क्वायलों की संख्या
१—(नं० १४२/०५८/१/४५) ..	२ बार जला—पहली बार १८ क्वायल जले तथा दूसरे बार ३ क्वायल जले जो नये बदले गये।
२—(नं०१४२/०८६/९/४८) ..	२ बार जला—पहली बार १८ क्वायल जले जो बदले गये दूसरी बार भी १८ क्वायल जले जिनकी मरम्मत अभी तक नहीं की गई है।
४—(नं० २१०२)	एक बार जला तथा उसके कुल २४ क्वायल जो जल गये थे, बदले गये।

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९५ पर)

सूची 'क'

१—जेल वार्डर का वेतन तथा टाइम स्केल जो कि भावी पुलिस कानिस्टेबुल का होने जा रहा है वही हो।

२—जेल हेड वार्डर का वेतन तथा टाइम स्केल पुलिस हेड कानिस्टेबुल के समान किया जाय तथा अन्य सुविधाएं भी जो कि पुलिस हेड को दी जाती हैं जेल हेड वार्डर को मिलनी चाहिये।

३—जेल के चीफ हेड वार्डर का वेतन भी पुलिस के सूबेदार के बराबर किया जाय।

४—पुलिस को जो एलाउन्स मिलता है (सिटी तथा रायफल एलाउन्स) जेल वार्डर तथा हेड वार्डर को भी मिलना चाहिये।

५—हेड वार्डर होने पर शिक्षित एलाउन्स बन्द न किया जाय।

६—जेल के शिक्षित वार्डर तथा हेड वार्डर के लिये ५० प्रतिशत जगहें पदोन्नति के लिये पुलिस तथा अन्य विभागों की तरह सुरक्षित रहनी चाहिये, क्योंकि अब सभी कार्य हिन्दी में ही होने लगे हैं और वार्डरान की भर्ती भी कम से कम मिडिल पास की की जाती है।

७—सहायक जेलर का चुनाव होते समय पहले अपने वार्डर स्टाफ में से ५० प्रतिशत बनाकर फिर बाद में बाहर का चुनाव किया जाय, क्योंकि इससे कर्मचारियों में कार्यक्षमता बढ़ती है इसी कारण पुलिस में ऐसा किया जाता है।

८—ट्रांसफर के समय पहले की भांति हेड वार्डर को द्वितीय श्रेणी का किराया मिलना चाहिये।

९—हमारे बच्चों की शिक्षा में भी आगे चलकर अड़चन पैदा होती है, क्योंकि १२ वीं कक्षा तक केवल आधी फीस माफ होती है, इसे बी० ए० तक पूरी माफ होने का आदेश दिया जाय।

१०—हमारी ड्यूटियां ८ घंटे से अधिक न ली जायं और ड्यूटी के बाद जेल से बाहर जाने की आज्ञा प्रदान की जाय। अधिक ड्यूटी होने के कारण स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

११—हमारी वर्दियों में सुधार किया जाय और जाड़े में गर्म वर्दी दी जाय।

१२—पानी भरने की जैसे पहले सुविधा थी अब भी दी जाय।

१३—अस्पताली छुट्टी (बीमारी की छुट्टी सिक लिस्ट की छुट्टी) १५ दिन की जैसे कि पहले बीमारी के मौके पर दी जाती थी और वह लाइन में रहता था अब वह नहीं दी जाती है जब दी भी जाती है तो इत्तिफाकिया छुट्टी में से काट ली जाती है, वह मिलनी चाहिये।

१४—जिन जेलों में क्वार्टरों की कमी है और सिपाहियों को क्वार्टर नहीं मिलते हैं किराया मकान दिया जावे और बाहर रहने की इजाजत दी जावे।

१५—गवर्नमेंट के जी० ओ० के अनुसार हम लोगों को बकरी पालने की इजाजत है, अब हमको बकरी पालने के लिये मना किया जाता है हम लोग गरीब हैं मोल लेकर दूध अपने बच्चों को नहीं पिला सकते हैं, एक तरफ यों गवर्नमेंट बच्चों के स्वास्थ्य के लिये स्कूलों और लेबर वेलफेयर सेंटरों में मुफ्त दूध बांटती है और दूसरी तरफ वही सरकार जानवर पालकर भी दूध बच्चों को पिलाने से मना कर रही है।

१६—अपरेन्टिस वार्डरों को मुस्तकिल वार्डरों की तरह पूरी वर्दी मिलना चाहिये। जब कि वह मुस्तकिल वार्डरों की तरह पूरी ड्यूटी देते हैं।

१७—इतवार के दिन और त्योहारों के मौके पर छुट्टी दी जाया करे और अगर किसी तरह से नहीं मिलती है तो उसका एलाउन्स मिलना चाहिये।

१८—जुर्माने की सजा जेल के कर्मचारियों को जो दी जाती है उसके बजाय शारीरिक दण्ड दिया जावे जैसा कि पुलिस व मिलिट्री में होता है।

१९—चीफ हेड वार्डर और हेड वार्डर का चुनाव सीनियारिटी से न किया जावे बल्कि ५ साल के बाद परीक्षा में बैठने का आर्डर दिया जावे।

२०—बरेली कारागार सर्किल के अन्तर्गत जो पहाड़ी जेलें हैं उन पर पहाड़ी एलाउन्स मिलता था वह अब नहीं मिलता है, जो कि मिलना चाहिये।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९७ पर)

नगरपालिका नगीना द्वारा सड़कों पर व्यय की गई धनराशि तथा सरकार द्वारा दिया गया अनुदान

वित्तीय वर्ष	नगरपालिका द्वारा व्यय की गई धनराशि	सरकारी अनुदान की धनराशि
	रु०	रु०
१९५७–५८	..	..
१९५८–५९	७,०३५	..
१९५९–६०	१,३६३	..
१९६०–६१	७८३	३५,१००
१९६१–६२	१७,४२०	..

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९९ पर)

निवास विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अन्तर्गत जौनपुर जिले में वर्ष १९६० से लेकर १९६२ तक उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा गृह निर्माण हेतु दिये गये ऋणों का विवरण

अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme)

क्रम-संख्या	वर्ष	स्थान का नाम	व्यक्ति का नाम जिसे ऋण दिया गया		ऋण की धनराशि
१	१९६०	जौनपुर सिटी	श्री इनायतुल्ला, जौनपुर शहर	..	६,५००.००
२	,,	,,	श्री जमुनाप्रसाद गुप्त	..	८,०००.००
३	,,	,,	श्री शमशेरबहादुरसिंह	..	८,०००.००
४	,,	,,	श्री विश्वनाथसिंह	..	५,०००.००
५	,,	,,	श्री अब्दुलतालिब रिजवी	..	८,०००.००
			योग	..	३५,५००.००
६	१९६१	,,	श्री श्रीपालसिंह क्षेत्र	..	५,०६२.५०
७	,,	,,	श्री मुहम्मद विलायत हुसैन	..	८७५.००
८	,,	,,	श्री संतोषसिंह ..	..	५,०६२.५०
९	,,	,,	श्री जोशन अहमद ..	..	५,०६२.५०
१०	,,	,,	श्री इकबाल अहमद	..	३,३७५.००
			योग	..	१९,४३७.५०
११	१९६२	,,	श्री हामिद हुसैन ..	..	३,३७५.००
१२	,,	,,	श्री अब्दुल कासिम किदवाई	..	५,०६२.५०
१३	,,	,,	श्री शेखहाजी रोजन	..	३,३७५.००
१४	,,	,,	श्री आलेहसन ..	..	१,०५०.००
			योग	..	१२,८६२.५०
वर्ष १९६०–६१ तथा अप्रैल, १९६२ तक का कुल योग				..	६७,८००.००

मध्यम आय वर्ग निर्माण योजना (Middle income group Housing Scheme)

१	१९६२	जौनपुर सिटी	श्री लक्ष्मीकान्त उपाध्याय	..	१४,०००.००
२	,,	,,	श्री राजेन्द्रप्रतापसिंह	..	१४,०००.००
			योग	..	२८,०००.००

अवध पुरातत्व संग्रहालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०१ पर।)

BOUNDARIES OF THE JAUNPUR MUNICIPALITY

Notification no. 2050/XI—374 E.64 dated 11th July, 1916 :

With reference to section 153(*a*) of the United Provinces Municipalities Act, 1916, the following are notified as the octroi limits of the Jaunpur Municipality.

Western Boundary

The river Gomti, from a point on its right bank west of Begamganj to Kalich-khan-ki-Barahdari, thence south by a linedrawn to the west of Katghara and Saadatganj to a tank south of Muradganj.

Southern Boundary

A line drawn from the tank south of Muradganj on the west to the metalled road from Jaunpur to Zafrabad on the east and running south of Mandwi Ahmad Khan Bazidpur and Naipura, a hamlet of Bharsara.

Eastern Boundary

A line drawn northward from the metalled road from Jaunpur to Zafrabad, on the south and passing to the west of Punjai-Sharif and east of Haraipur and crossing the Gomti to the east of Goshain Bagh, and thence east of Chachakpur to the Azamgarh road near the *pacca* wall of Khadran Lal Sahu, thence along with north side of the metalled road to Jaunpur as far as the Railway line, then straight beyond Gurjikhani to the Junction of the metalled road to Shahganj and the metalled road passing through Sukhipur.

Northern Boundary

A straight line drawn from the junction of the metalled Shahganj road and the unmetalled road to the metalled Bhitaura road north of Begamganj, thence to the Gomti.

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०४ पर)

गैर-सरकारी जेल निरीक्षकों के मुआयनों की तिथियों की सूची

नाम विजिटर	तारीख मुआइना
१—श्री चन्द्रभान विद्यार्थी ..	३ बार, १३–४–६०, १८–७–६०, १०–१२–६०
२—श्री बद्रीप्रसाद पुरवार ..	३ बार, १६–१–६०, ४–६–६०, ३०–११–६०
३—श्रीमती राजकुमारी रायजादा	कोई मुआइना नहीं किया।
४—श्री राजनारायण मिश्र	कोई मुआइना नहीं किया।

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०६ पर)

1960

Name of Committee	*Name of Chairman of the Committee.*
1. Public Health Committee	.. S. Satwant Singh.
2. Public Works Committee	.. Ch. Hakam Rai.
3. Finance Committee ..	.. Sri Amrik Singh Premi.
4. Education Committee ..	.. Sri Rajendra Agarwal.
5. Water Works Committee	.. Hfz. Abdul Razzaq.
6. Physical Culture Committee	.. Sri Raghu Nath Prasad.
7. Slaughter House Committee	.. Ch. Paras Ram.
8. Terminal Tax Committee	.. Hfz. Mohd. Akhtar.

विधान सभा सचिवालय प्रदेश

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०८ पर)

श्रीमान् माननीय गृह मन्त्री महोदय, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश
द्वारा
श्रीमान् महानिरीक्षक महोदय, कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
द्वारा
श्रीमान् अधीक्षक महोदय, जिला जेल, वाराणसी

महोदय,

विनीत प्रार्थना है कि प्रदेशीय सरकार की सुरक्षा का सम्पूर्ण कार्य-भार निम्न दो भागों पर ही अवलम्बित रहा है (जेल तथा पुलिस)। यदि पुलिस का कर्तव्य जनता की सेवा करना तथा चोर-डाकुओं आदि से सुरक्षित रखते हुए नगरों में शान्ति स्थापित करना है तो जेल कर्मचारियों का कर्त्तव्य उससे गुरुतर है क्योंकि उन्हीं अपराधियों की सुरक्षा का पूर्ण भार वहन करके उनको अच्छे नागरिक के रूप में परिवर्तित करना है। पहले सरकार ने जेल-विभाग के महत्त्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जेल कर्मचारियों का वेतन-क्रम पुलिस विभाग की अपेक्षा अधिक रक्खा था, फलस्वरूप १६—१३ का अनुपात था तथा पुनः वृद्धि पर २०:१६ हो गया, तत्पश्चात् पुलिस यूनियन न जल-विभाग को सरकार के समक्ष उदाहरणस्वरूप रक्खा, तब सरकार ने भी समानता का प्रश्न रखते हुए उक्त विभागीय-वेतन-क्रम समान कर दिया था, किन्तु आज पुनः सरकार ने केवल पुलिस विभाग का वेतन-क्रम बढ़ाकर समत्व के सन्तुलन को और भी न्यून कर दिया है। दुखः है कि इतने उत्तरदायित्व पूर्ण विभाग के प्रति यह उपेक्षा तथा उदासीनता अत्यन्त कष्ट दायक है।

जेल की ड्यूटी अन्य विभागीय ड्यूटी से सर्वथा भिन्न है सर्वत्र आठ घंटे ड्यूटी निश्चित है, परन्तु जेल में १२ से १४ घंटे तक ड्यूटी पड़ जाती है। जेल कर्मचारी का कोई भी समय अपना नहीं है, अवकाश काल में भी लाइन में ही उपस्थित रहना पड़ता है, हमारी दुनिया समाज से सर्वथा भिन्न है, दिन का चौथाई भाग बाहर रहने के अनन्तर अन्य सम्पूर्ण समय जेल की ऊंची दीवारों के अन्दर ही बन्द रहकर खतरनाक बन्दियों के मध्य में ही व्यतीत करना पड़ता है। इतने उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य-भार को उठाते हुए, इतने न्यून वेतन पर इस कष्टमय जीवन के साथ जल कर्मचारियों ने आज तक कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि सरकार की कृपा के भाजन बनने के आकांक्षी ही रहे।

हमारी सरकार का दृष्टिकोण निरन्तर बन्दी गृह अधिनियम परिवर्तन यथा सुधार की ओर बढ़ता जा रहा है जिसका यत्र-तत्र प्रयोग भी हो रहा है तथा नवीन योजनाएं बनती जा रही हैं, किन्तु खेद है कि इसके कार्यकर्ताओं द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कोई ध्यान नहीं दिया गया।

१—(अ) एतदर्थ विनीत प्रार्थना है कि जेल वार्डर का वेतन-क्रम भावी पुलिस कान्स्टेबिल का जो होने जा रहा है समता को समक्षा रखते हुए समान किया जाय।

(ब) जेल हेड वार्डर का वेतन-क्रम हेड कानिस्टेबिल के समान किया जाय।

(स) जेल के चीफ हेड वार्डर का वेतन-क्रम पुलिस के सूबेदार के समान किया जाय।

(द) पुलिस विभागीय अतिरिक्त एलाउन्स तथा सुविधाएं जेल कर्मचारियों को प्रदान की जायें।

२—(अ) जेल विभाग के शिक्षित वार्डर के लिये ५ प्रतिशत स्थान पदोन्नति के लिए अन्य विभागों की भांति सुरक्षित रक्खे जायें, कारण कि अब सभी कार्य हिन्दी में होने लगा है और जेल वार्डर की भर्ती कम से कम मिडिल पास अथवा जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल की की जाती है।

(ब) सहायक जेलर का चुनाव होते समय प्रथम वार्डर स्टाफ में से ५० प्रतिशत बना कर फिर बाहर से चुनाव किया जाय इससे कर्मचारियों में कार्य-क्षमता की वृद्धि होती है।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०९ पर)

महापालिका के प्रस्ताव संख्या १३ सन् १९६० के क्रम में दिनांक १८-३-६० के अधिवेशन की कार्यवाही का कार्यवृत्त

प्रतिलिपि

१३—पेश किये गये सन् १९६०-६१ के बजट पर विचार एवं निर्णयः—

शीर्षक १ (१) सामान्य कर—

इस मद में निम्नलिखित सदस्यों से अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहा गया—

(१) श्री कृष्णचन्द्र,

(२) श्री सतीशकुमार,

(३) श्री मुरलीधर,

श्री कृष्णचन्द्र ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया । श्री प्रीतीश विश्वास ने श्री मुरलीधर के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कहा कि क्या इसमें कटौती हो सकती है। इस पर नगर प्रमुख ने धारा १७२ की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कर कहा कि नियमतः १५ प्रतिशत से कम नहीं हो सकता । इस पर श्री मुरलीधर का प्रस्ताव अनियमित घोषित किया गया ।

श्री सतीशकुमार के समय उपस्थित न रहने के कारण उनका प्रस्ताव गिर गया ।

अन्त में निश्चय हुआ कि सामान्य कर की दर १५ प्रतिशत की जाती है । इस कर में गृह कर तथा जलकर भी सम्मिलित है ।

शीर्षक १ (२) वाहनों तथा अन्य गाड़ियों या नावों पर कर

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रस्ताव थे—

(१) श्री शंकरप्रसाद जायसवाल,

(२) श्री कमलाकर चौबे,

(३) श्री गनेशदास,

(४) श्री मुरलीधर,

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल ने कहा कि साइकिल टैक्स पूर्ण रूप से समाप्त किया जाना चाहिये जिसका अनुमोदन श्री जवाहरलाल ने किया ।

श्री सूरजप्रसाद दूबे ने भी साइकिल को टैक्स से बरी रखने पर जोर दिया ।

श्री कमलाकर चौबे ने अपने प्रस्ताव में साइकिल की दर १।। रु० के स्थान पर २ रु० निर्धारित करने का सुझाव दिया । श्री कार्तिक प्रसाद ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

श्री मुरलीधर ने अपना प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जिसका अनुमोदन श्री सत्येन्द्रकुमार गुप्त ने किया ।

श्री गनेशदास ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया ।

श्री पुरुषोत्तमदास तथा श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्त ने श्री शंकरप्रसाद जायसवाल के प्रस्ताव का समर्थन किया ।

श्री मुहम्मद इद्रीस तथा श्री अब्दुल रसीद ने कार्यकारिणी समिति द्वारा समर्पित साइकिल टैक्स १।। रु० रखे जाने पर विशेष जोर दिया ।

डाक्टर पुरुषोत्तमलाल और श्री प्रीतीश विश्वास ने भी शंकरप्रसाद जायसवाल के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये कहा कि साइकिल पर किसी भी प्रकार का टैक्स न लगाया जाय ।

श्री मुरलीधर के प्रस्ताव को नगर प्रमुख ने अव्यावहारिक बतलाया । इसी समय नगर प्रमुख ने सदन का ध्यान महापालिका अधिनियम की धारा १७२ (१) (ख) की ओर आकृष्ट किया तथा सदस्यों के आग्रह पर अपना मत व्यक्त किया कि साइकिल पर कर लगाना जरूरी है केवल दर में परिवर्तन किया जा सकता है ।

श्री हबीबुल्ला ने साइकिल कर को समाप्त कर देने की मांग की ।

श्री पूरनचन्द्र पाठक तथा श्री घनश्यामदास ने साइकिल कर समाप्त कर देना अनुचित बतलाया ।

अन्त में सदस्यों के अनुरोध पर अधिवेशन दिनांक १९-३-६० को २ बजे दिन के लिये स्थगित कर दिया है ।

(ह०) कुंजबिहारी गुप्त,
नगर प्रमुख,
नगर महापालिका, वाराणसी।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६३५ पर)

प्रश्न	उत्तर
१—क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० जेल्स में जो डी०आई०जी० के पद हैं उन्हें Tenure क्यों नहीं बनाया गया जिससे उस पद पर आसीन पदाधिकारी की एक निर्धारित अवधि के भीतर अन्य जगह बदली की जा सके ? क्या यह सही है कि इस पद के Tenure post न होने से कुछ डी० आई० जी० गत १४ साल से अपने उसी पद पर एक ही स्थान पर डटे रहे ?	१—चूंकि इनका एक अलग केडर है और अन्य पदों से वेतन-क्रम भी भिन्न है, इसलिये प्रशासकीय दृष्टि से यह उचित नहीं समझा गया कि डी० आई० जी० के पद Tenure हों। यह सही है कि एस० डी० आई० जी० पूरे १४ साल से तो नहीं, किन्तु जून सन् १९४९ से उसी स्थान पर हैं।
४—क्या यह सही है कि प्रिंसिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल, डाइरेक्टर जेल इंडस्ट्रीज को Tenure बनाने के लिये उन्हें सुपरिन्टेन्डेन्ट सेन्ट्रल जेल के केडर में मर्ज (merge) किया जा रहा है ? अगर हां, तो समान वेतन पाने वाले डी० आई० जी० जेल को भी इसी में क्यों नहीं मिलाया (merge) जा रहा है ?	४—जहां तक प्रिंसिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल के पद का प्रश्न है, यह सही है कि सरकार इसको केन्द्रीय कारागार के अधीक्षकों के केडर में मिलाने का विचार कर रही है, किन्तु डाइरेक्टर जेल इंडस्ट्रीज के विषय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह सही नहीं है कि डी० आई० जी० तथा प्रिंसिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल या डाइरेक्टर जेल इंडस्ट्रीज या केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक का वेतन समान है। अतएव प्रश्न का अन्तिम भाग पैदा नहीं होगा।

गोविन्द सहाय,
कारागार मंत्री।

अनुपूरक प्रश्नोत्तर

* * * * *

श्री चन्द्रजीत

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि १८ अप्रैल को लखनऊ में जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की एक कान्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है कि यह जो डी० आई० जी० की पोस्ट है इसको टेन्योर कर दिया जाय अन्यथा इससे बहुत गड़बड़ी होती है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य

प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई सूचना सरकार को नहीं है किन्तु . . . .

नत्थी 'ढ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६३५ पर)

प्रश्न	उत्तर
५१—क्या जेल मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिला जेल से इस बात की शिकायत आई है कि वहां पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है ? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?	५१—जी हां । चार हैन्ड पम्प लगाने की स्वीकृति दे दी गई है तथा एक और योजना सरकार के विचाराधीन है ।

अनुपूरक प्रश्नोत्तर

श्री राधेश्याम शर्मा —क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजना विचाराधीन है वह क्या है ?

वह योजना ट्यूब-वेल लगाने की है ।

श्री लक्खीसिंह —क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूब-वेल लगाने की योजना है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

इस योजना पर करीब ३३,५०० रु० व्यय होगा जिसमें से ३,७०० रु० दे दिया गया है और सम्भवतः १९६३–६४ के वित्तीय वर्ष में इसको पूर्ण किया जायगा ।

विधान सभा मथुरा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२१ एल० ए०—१९६२—८४७ ।